खण्ड-206, अंक-7
सोमवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(24 अगस्त, 1959 ई0)

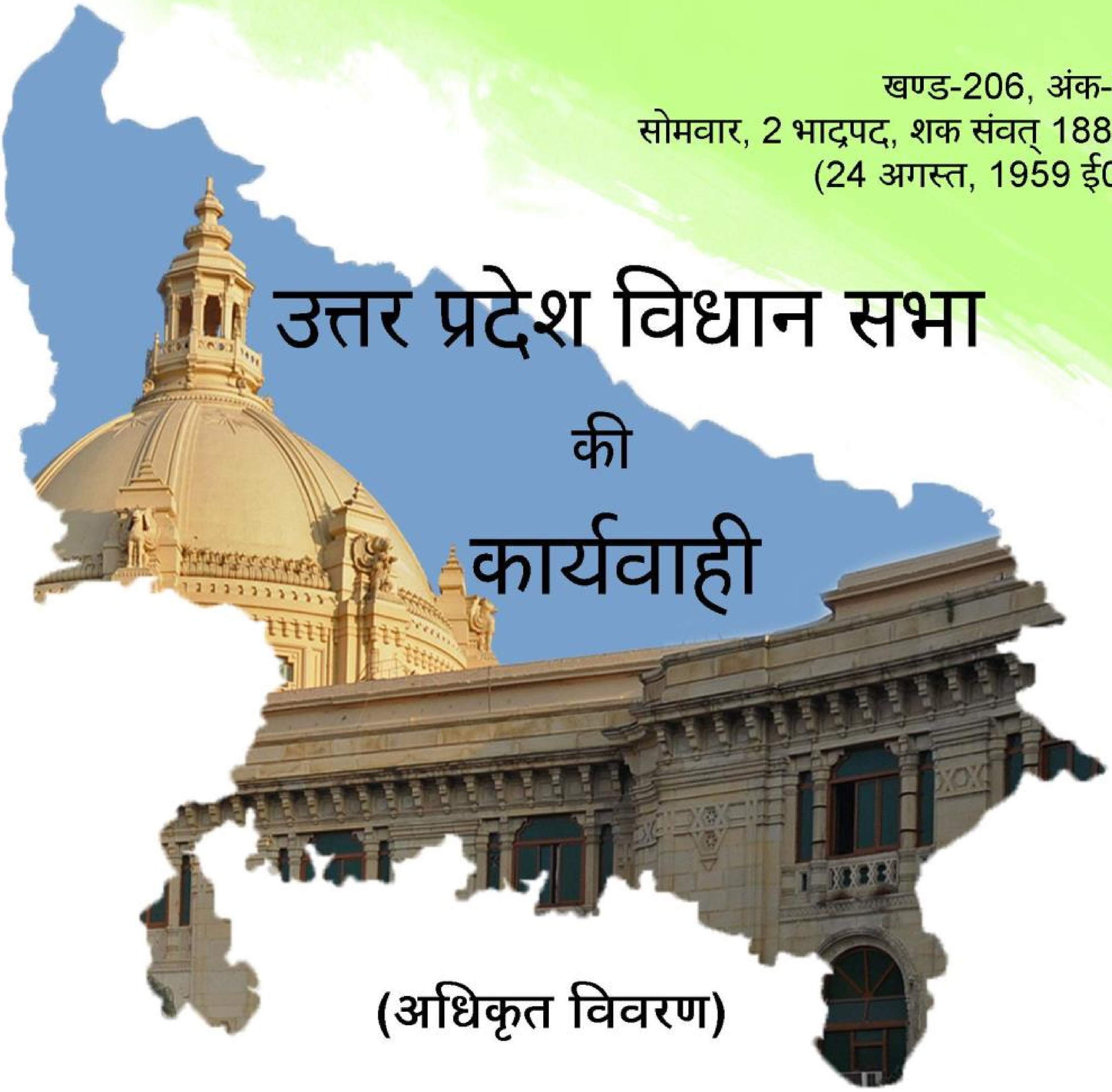

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 206 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २४ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३८१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमदबख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश कुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीशास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसादमित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदवसिंह दतियानवी, श्री
नरन्द्रसिंह भंडारी, श्री

नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री

रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन, श्री
रुद्रसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री

शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्री
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

इलाहाबाद व गोरखपुर यूनिवर्सिटी कोर्ट तथा सैनिक शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति के चुनाव का स्थगन

श्री अध्यक्ष--पहले मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं। इलाहाबाद व गोरखपुर यूनीवर्सिटी कोर्ट तथा सैनिक शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति में विधान सभा द्वारा चुनाव होना था कुछ सदस्यों का, तो त्रिलोकीसिंह जी ने मुझ से यह कहा है कि दो रोज का अगर मौका दिया जाय तो शायद चुनाव का मौका न आये और चुनाव में जो दिक्कत पड़ती है वह नहीं पड़ेगी। सब लोग मिल कर दो रोज का मौका और चाहते हैं। मैं परसों तक का समय दे देता हूं।

एक सदस्य--परसों तो छुट्टी है।

श्री अध्यक्ष--तो २७ को उसे रख देता हूं। २७ तक अगर तस्फिया नहीं हुआ तो चुनाव होगा।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २४ अगस्त, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भूमि-सम्बन्धी दाखिल खारिज तथा कागजात दुरुस्ती के मामले परगनाधीश की अदालत में भेजने का आदेश

**१--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसे सरकारी आदेश निकाले गये हैं जिनके अनुसार भूमि संबंधी दाखिल खारिज तथा कागजात दुरुस्ती के मामले तहसील की अदालत में न लेकर जिले के केन्द्र स्थान में परगनाधीश की अदालत में विचारार्थ लिये जायेंगे ?

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--जी हां।

**२--श्री भगवतीसिंह विशारद--यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री उक्त आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--इस विषय से संबंधित निम्नलिखित विज्ञप्तियों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है:--

(क) ३७३६ (२)/१-अ-४१४/५३, दिनांक ६ जून, १९५३।
(ख) ४३४४/१-अ-४१४/५३, दिनांक ८ जुलाई, १९५३।
(ग) ९४९ आर०एस०/१-क--१३००/५८, दिनांक १७ मार्च, १९५९।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६३३ पर)

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से सरकार को इस प्रकार का विज्ञापन निकालना पड़ा ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--पहले तो जमींदारी उन्मूलन के बाद रेकार्ड्स में गलतियां थीं, उनके संबंध में बहुत से मुकदमें दायर हुये थे। क्योंकि कलेक्टर या एस०डी०ओ० उन्हें पूरा नहीं कर सकते थे इसलिये तहसीलदार को अख्तियारात दिये गये थे और जब काम कुछ हद तक हो गया और एस० डी०ओ० के इमकानात के भीतर बात हो गयी तब तहसीलदारों से पावर विद्ड्रा कर ली गयी।

श्री भगवतीसिंह विशारद--ये मुकदमें तहसील के सदर में न हो कर अब जिले के केन्द्र स्थान पर हो रहे हैं जिससे किसानों को बड़ी कठिनाई हो रही है तो सरकार इस कठिनाई को ध्यान में रखकर इस बात का आदेश जारी करेगी कि ये मुकदमें तहसील में ही हुआ करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--एस०डी०ओ० हफ्ते में दो दिन तहसील में मुकदमें किया करेंगे, यह आदेश जारी हो चुके हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--यह जो आदेश जारी हुआ है क्या यह उन भूमि संबंधी मामलों के बारे में है जो निर्विवाद हैं या नान कंटेस्टेड हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--दफा ३३, ३५, ३९ और ४० के अन्तर्गत जो आते हैं उनके बारे में हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या कठिनाई माननीय मंत्री के सामने उपस्थित हो जाती है अगर एस० डी० ओ० तहसील में ही ये मुकदमे तय किया करें ताकि किसानों को सुविधा हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बहुत जगह इमारतें नहीं हैं इसलिये वहां हेडक्वार्टर पर रहना बहुत मुश्किल है, इस वजह से यह रखा गया है कि जहां-जहां वे नहीं रह सकते हैं वहां हफ्ते में दो दिन जा कर मुकदमात का फैसला किया करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या लॉ डिपार्टमेंट से इस बात की छानबीन कर ली गई है कि दफा ३३ में तहसीलदार की कोर्ट के जूरिस्डिक्शन में लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के मुकदमे न होने से अवैध करार होंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमको तो यह सलाह दी गयी है कि अवैध नहीं होंगे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--जिस समय तहसीलदारों को यह पावर दी गयी उस समय उनके खिलाफ सरकार को क्या कोई इस प्रकार की शिकायत भी प्राप्त हुई कि वे इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और व मुकदमात की ठीक देखभाल नहीं कर पाते ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी शिकायत तो नहीं मिली।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत निर्धारित प्रश्न]

*१-२--श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--[वांछित सूचान एकत्र न हो सकने के कारण ३१ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

पीलीभीत उपनिवेशन योजनांतर्गत भूमि तुड़वाई पर व्यय

*३--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी उपनिवेशन योजना की भांति जो पीलीभीत उपनिवेशन योजना में सात हजार एकड़ जमीन तुड़वाई जाने वाली थी वह तोड़ी गई या नहीं और तोड़ी गई तो जमीन की तुड़वाई में कितना रुपया खर्च हुआ ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत जून, १९५९ तक १,०६५ एकड़ भूमि तोड़ी गई व इसकी तुड़वाई पर ५५ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब स ५८,५७५ रुपया खर्च हुआ।

*४--श्री बंशीधर शुक्ल (अनुपस्थित)--क्या पीलीभीत उपनिवेशन योजना में जो जमीन तोड़ी गई है या तोड़ी जायेगी वह किसानों को बांटी जायगी या उसका सरकारी नौकरों का कोआपरेटिव फार्म होगा ?

श्री मोहनलाल गौतम--पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत तोड़ी गई तथा आगामी वर्षों में तोड़ी जाने वाली भूमि, भूमिहीन मजदूरों व शिक्षित बेकारों को बसाने के हेतु अनुदान की जायगी। उस पर सरकारी नौकरों का फार्म खोलने की कोई योजना नहीं है।

विलम्ब से वर्षा के कारण धान की फसल को क्षति

*५--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलम्ब से वर्षा होने का वर्तमान खरीफ अभियान पर क्या असर पड़ा है ?

श्री मोहनलाल गौतम--क्वारी धान में कुछ क्षति होने की आशंका है। खरीफ अभियान काफी सफलता से चल रहा है। फसल अच्छी होने की संभावना है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष जून और जुलाई में हर साल के मुकाबले में कितने दिन बाद वर्षा हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके पूरे आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन वर्षा कुछ कम हुई यह शिकायत है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष वर्षा डेढ़ महीने पीछे हुई जिसके कारण क्वारी फसल डेढ़ महीने बाद बोई गयी है और अगहनी, जिसके लिये आप कहते हैं कि अच्छा अभियान चल रहा है उसके लिये भी वर्षा पर्याप्त नहीं है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने जैसा कहा, वर्षा कुछ कम हुई, यह सही है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि समय से बारिश न होने के कारण प्रदेश के उन खेतों का टोटल रकबा कितना होगा जिसमें भदई की फसल नहीं रोपी गयी और खेत खाली पड़े हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करने का इरादा रखते हैं कि वर्षा कहां-कहां इतनी लेट हुई है जिससे ज्यादा नुकसान पहुंचा और जहां ज्यादा नुकसान होने की संभावना है वहां के बारे में वे क्या कार्रवाई करने की सोच रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---ये आंकड़े तो इकट्ठे ही होते रहते हैं कि कितनी वर्षा कहां-कहां हुई और जहां भी कमोबेश होती है वहां के लिये जो कुछ प्रयत्न कर सकते हैं वह किये जाते हैं ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना प्राप्त हुई है कि अर्ली पैडी के जो बीज बोये गये थे उनके रोपने के लिये पानी पर्याप्त नहीं मिला इसलिये बहुत जगहों पर रोपनी हुई नहीं और बीज खेत में ही फूट गये ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस वक्त तो मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, वर्षा कुछ कम हुई, उसका असर पड़ा है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या मंत्री जी को पता है कि प्रान्त के बहुत से भागों में क्वारी धान वर्षा देर से होने के कारण बोया ही नहीं जा सका है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं, इसका असर पड़ा लेकिन कितना असर कहां-कहां पड़ा इसके लिये अगर कोई विशेष प्रश्न हो तो वह मैं सूचना एकत्र करके दे सकता हूं ।

[२४ अगस्त, १९५९ के लिए निर्धारित प्रश्न]

पशुधन

*१---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४७ से अब तक उत्तर प्रदेश में उसने पशुधन की गिनती कराई है ?

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)---जी हां । सन् १९४७ के बाद उत्तर प्रदेश में सन् १९५१ तथा १९५६ में पशु गणना कराई गयी है ।

*२---श्री गनेशचन्द्र काछी---यदि हां, तो अब तक पशुधन में वृद्धि हुई है या कमी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---पशुधन में वृद्धि हुई।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पशुधन की गणना क्यों कराई जाया करती है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---क्योंकि पशुधन बड़ा आवश्यक होता है और देश की आर्थिक व्यवस्था को कायम रखने के लिये चूंकि हमको उसके आंकड़े मालूम करने होते हैं इस-लिये गणना कराई जाती है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतायेगी कि सब से अधिक वृद्धि कौन से पशुओं में हुई है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---सब से अधिक वृद्धि मेरे ख्याल में भैंसों में हुई है। वैसे आंकड़े दिये हुए हैं, यदि माननीय सदस्य चाहें तो देख सकते हैं किन में कम हुई और किन में बढ़ी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि सरकार जो जांच करती है पशुधन की संख्या में वृद्धि की तो वह इसकी भी जांच करती है कि क्वालिटी में वृद्धि हो रही है या नहीं ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्या वह ऐसा इरादा रखती है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जहां तक जनसंख्या का सवाल है उसमें केवल जनसंख्या देखते हैं क्वालिटी नहीं देखते। लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम इस पर विचार करेंगे कि हम बतला सकें कि उनकी क्वालिटी में क्या उन्नति हो रही है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पशुधन की वृद्धि में सरकार का हाथ है तो वह कौन से साधन हैं जिनसे पशुधन में वृद्धि हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम अच्छे-अच्छे सांड़ मुहैया करके देते हैं।

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार को सूचना है कि भैंस और भैंसों को बड़े पैमाने पर जबह करके खाने के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है तो जिस रफ्तार से वृद्धि होनी चाहिये वह नहीं हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इन सब कारणों पर अभी प्रकाश डालना बड़ा कठिन है क्योंकि गो रक्षा विधेयक के पास हो जाने के बावजूद गायों में कमी हो रही है और भैंसों के कटने के बावजूद वह बढ़ रही हैं तो यह सब देखने की बात है कि क्या दूसरे कारण हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि जो सांड़ दिये जाते हैं उनके बारे में शिकायत आई है कि बूढ़े सांड़ दिये जाते हैं ?

(हंसी)

श्री हुकुमसिंह विसेन---आगरे से शिकायत नहीं आई है।

(हंसी)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जो सांड़ वह एकत्र करते हैं वह गदहे ज्यादा पैदा करने लगे हैं ?

(हंसी---कोई जवाब नहीं दिया गया।)

आजमगढ़ जिले में लोहे की सरिया का वितरण

*३---श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में १९५७-५८ व १९५८-५९ में ३०-४-५९ तक कितनी-कितनी लोहे की सरिया वितरण के निमित्त सरकार द्वारा दी गई ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---आंकड़े निम्नलिखित हैं---

वर्ष	टन	इ०	क्वा०	पौ०
१९५७-५८ ..	..	..	..	..
१९५८-५९ (३० अप्रैल तक)	२८	१६	३	१०

पौड़ी-गढ़वाल में अन्नाभाव की शिकायत

*४---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पौड़ी-गढ़वाल के इलाके में अन्न की अधिक कमी १९५९ के पूर्वार्द्ध में हो गई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पौड़ी-गढ़वाल के इलाके में पिछले पूर्वार्द्ध में अन्न की कोई विशेष कमी नहीं थी ।

*५---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---यदि हां, तो सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---प्रश्न नहीं उठता ।

*६---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---इस इलाके में सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा कितना गल्ला प्रति दिन बेचा जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पौड़ी-गढ़वाल जिले की सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा प्रतिदिन विक्रय की मात्रा पर प्रतिबन्ध केवल कोटद्वार और लक्ष्मण झूला में है । इन क्षेत्रों की प्रति दूकान पर प्रतिदिन निम्नलिखित मात्रा में खाद्यान्न बेचे जाते हैं :

गेहूं	३० मन ।
चावल	२० मन ।
मोटा अनाज	३० मन ।

कोटद्वार के चारों तरफ भाबर क्षेत्र में चावल के प्रतिदिन विक्रय पर प्रतिबन्ध लागू है । इन क्षेत्रों की दूकानों पर १५ मन प्रतिदिन कुल अनाज के बेचे जाने की मात्रा में ५ मन चावल का विक्रय निर्धारित किया गया है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोटद्वार और गढ़वाल में सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनाज किस भाव पर बेचा जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---भाव तो अलग-अलग जगह के अलग-अलग होते हैं । समें ट्रांसपोर्ट के चार्जेज भी जुड़ते हैं, लेकिन इश्यू गोडाउन पर एक ही चार्जेज रहते हैं

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सरकार को ज्ञात है कि लक्ष्मण झूला आदि स्थानों में ज्यादा यात्री जाते हैं ? उनको बहुत कष्ट होता है, इसको देखते हुए क्या वह कोटा बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वह तो काफी बढ़ा हुआ है । अभी तक किसी को कष्ट की शिकायत नहीं आयी है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी-गढ़वाल में १९५९ के पूर्वार्द्ध में कितने गल्ले की कमी पड़ी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जैसा मैंने अर्ज किया वहां कमी पड़ी नहीं । अब भी बहुत जगह स्टाक पड़ा हुआ है और पहले भी था । कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कमी के कारण ।

मैसेजिकों और स्टाकमैनों के प्रशिक्षण की योजना

*७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५७–५८ में इलाहाबाद पशु-चिकित्सालय के मैसेजिकों (कम्पाउन्डर्स) के प्रशिक्षण के लिये नियमित कक्षा प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो १९५७–५८ और १९५८–५९ में पृथक-पृथक कितने शिक्षणार्थी शिक्षित हुए ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां। सन् १९५७–५८ के प्रशिक्षण कक्षा में ३५ शिक्षणार्थी शिक्षित हुए। सन् १९५८–५९ की कक्षा में ४० शिक्षणार्थी इस समय शिक्षा पा रहे हैं।

*८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५९–६० के वित्तीय वर्ष में दो अतिरिक्त अर्द्धवार्षिक प्रशिक्षण कक्षायें खोलने का विचार है ? यदि हां, तो क्या उन में से एक प्रशिक्षण कक्षा सीतापुर जिले में भी खोलने की कृपा की जायेगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां। इस संबंध में शासकीय स्वीकृति, संचालक, पशु पालन, उत्तर प्रदेश को दे दी गई है। इन कक्षाओं को बरेली तथा लखनऊ में खोलने का प्रस्ताव है।

*९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५९–६० के वित्तीय वर्ष में स्टाकमैन प्रशिक्षण कक्षा आरम्भ किये जाने का विचार है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां। सन् १९५९–६० के वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त स्टाकमैनों की प्रशिक्षण कक्षा वाराणसी या गोरखपुर या अन्य किसी पूर्वी जिले में खोलने की शासकीय स्वीकृति दे दी गई है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पशु चिकित्सालय में प्रशिक्षित शिक्षणार्थियों को सर्विस में ले लिया जाता है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—हमारे पास तो बड़ी भारी कमी है कम्पाउंडरों की। जैसे वह पास होते हैं सभी ले लिये जाते हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि १९५७–५८ के प्रशिक्षित शिक्षणार्थी अभी तक बेकार हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—अगर कोई ऐसा केस हमारे नोटिस में लाया जाय तो विचार हो सकता है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पशु चिकित्सालय में शिक्षा के हेतु गये विद्यार्थियों को कोई आर्थिक सहायता भी दी जाती है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जब प्रयोगावस्था में आया था तो उस समय हमने कोई स्टाइपेंड नहीं रखा था, लेकिन बाद में यह बात कही गयी कि ३० रु० प्रतिमास का स्टाईपेंड दिया जाय। उस पर गौर कर रहे हैं और जल्द दिया जायगा।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो स्टाकमैन की ट्रेनिंग के लिये गोरखपुर में केन्द्र खुलने वाला है वह कब तक खुल जायगा ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—शीघ्रातिशीघ्र।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी कुछ दिनों पूर्व उन्होंने उत्तर दिया था कि जो प्रशिक्षणार्थी लिये गये वह बी० एस-सी० नहीं बल्कि हाई स्कूल लिये गये, अब यह कोशिश करेंगे कि ज्यादा योग्यता वाले प्रशिक्षणार्थी लिये जायं या उनका रिटेन टेस्ट लिया जाय जिससे ठीक से जांच हो सके ?

श्री मोहनलाल गौतम---जहां तक मेरा खयाल है वह सवाल स्टाकमैन का था। यह कम्पाउंडरों का है।

चीनी के मूल्य में वृद्धि

*१०---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर), राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर), श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी), श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया), श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद), श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया), तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या सरकार को यह विदित है कि राज्य में अप्रैल तथा मई, १९५९ में चीनी के दामों में लगभग २५ प्रतिशत की वृद्धि हो गई ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चीनी के दामों में यह वृद्धि किन कारणों से हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सरकार को मालूम है कि अप्रैल के अन्तिम सप्ताह और मई के प्रथम सप्ताह में चीनी के दामों में कुछ वृद्धि हुई। जहां तक सरकार को ज्ञात है इस वृद्धि का कारण इस वर्ष देश में चीनी का कम उत्पादन है।

*११---श्री मदन पांडेय, राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री लक्ष्मणराव कदम, श्री गेंदासिंह, श्री कोतवालसिंह भदौरिया, श्री गौरीशंकर राय तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चीनी के दामों की उपर्युक्त वृद्धि को रोकने के लिये सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मई के प्रथम सप्ताह में जैसे ही चीनी का भाव तेजी से चढ़ने लगा, सरकार ने तुरन्त भारत सरकार से लिखा-पढ़ी करके ३,०५० टन चीनी का एडहाक कोटा प्राप्त किया जो उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा राज्य के आठ बड़े शहरों में राशन कार्ड द्वारा सस्ते गल्ले की दुकानों पर ०.९९ नये पैसे प्रति सेर के हिसाब से बेचा गया। इसके पश्चात् एक और एडहाक कोटा ५,९०५ टन का प्राप्त किया गया यह भी उसी प्रकार राज्य के उन ३१ बड़े नगरों में बांटा गया जिनकी जनसंख्या ५०,००० से अधिक है। अब भारत सरकार को इस बात पर भी राजी कर लिया गया है कि वे प्रदेश का मासिक कोटा २५,००० टन चीनी के समस्त कोटे में से ८,४९५ टन उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन को तथा शेष राज्य सरकार से लाइसेन्स प्राप्त चीनी व्यवसाइयों को ही, जिलाधीश की सिफारिश पर देंगे। उपरोक्त २५,००० टन का मासिक कोटा प्रत्येक जिले में वहां की शहरी तथा देहाती क्षेत्रों की आबादी का ध्यान रखते हुए बांट दिया गया है और अब प्रत्येक जिले का निर्धारित कोटा उसी जिले में कोआपरेटिव फेडरेशन अथवा अन्य वहीं के लाइसेन्स प्राप्त व्यवसाइयों द्वारा बांटा जा रहा है।

*१२---श्री मदन पांडेय, राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री लक्ष्मणराव कदम, श्री गेंदासिंह, श्री कोतवालसिंह भदौरिया, श्री गौरीशंकर राय, तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह शक्कर वितरण की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं, अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहूंगा आपने कहा "९७ नये पैसे", क्या यह ठीक है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—साढ़े १५ आने ।

श्री अध्यक्ष—साढ़े पंदरह आने नहीं होता है। इस तरह "९७" तो बहुत कम होता है । इस प्रकार स ९७ नये पैसे समझ में नहीं आते हैं जिस प्रकार से आप दशमलव ९७ कह रहे

श्री जगमोहनसिंह नेगी—असल में वह टाइपिंग मिस्टेक है मैंने उसको उसी तरह से पढ़ दिया । वैसे वह ९७ नये पैसे ही है ।

श्री अध्यक्ष—वह ९७ नये पैसे है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह गलती तो पहले के सवालों में भी हुई है। अभी स्टाकमैनों के संबंध में मंत्री जी ने जवाब दिया था तो उसमें भी इसी प्रकार से गलती हुई है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो दूसरे माननीय मंत्री की बात थी, यह खाद्य मंत्री की बात है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—यह देखते हुए कि अभी भी जिस योजना पर चीनी वितरण का कार्य हो रहा है उससे चीनी के दाम घटे नहीं वरन बढ़त चले जा रहे हैं तो क्या सरकार किसी दूसरी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसमें कोई शक नहीं है, चूंकि इस पर पूरा हमारा नियंत्रण नहीं है, केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण है। पहले तो उन्होंने एडहाक कोटा दिया जिसका मैंने जिक्र किया । फिर उन्होंने कुछ ६४ फीसदी देने की बात कही और फिर ३५ फीसदी.....

श्री अध्यक्ष—उनका प्रश्न यह था कि क्या आप और कोई तजवीज कर रहे हैं ? आपने तो इतिहास बताना शुरु कर दिया ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उस को बदलने के लिये इस तरह से लिखा पढ़ी करनी पड़ती है । हम स्वतंत्र नहीं हैं । उसमें कारण यह है कि पहले का एडहाक कोटा, जो मिलों के टेंडर से आया है, वह बाजार में हैं । उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है । जहां तक हमारा संबंध है वह ठीक है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गांवों के लिये चीनी के कोटे का बटवारा जनसंख्या के आधार पर है ? यदि हां, तो वह गांव में किस आधार पर बांटी जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—चूंकि पुराना अनुभव यह है कि यू० पी० में २५ हजार टन खर्च होती है तो वह शहर में १।। सेर के हिसाब से और गांव में भी डेढ़ सेर के हिसाब से फ्लैट रेट पर फी यूनिट हमने रखा क्योंकि बहुत से लोग गांवों में भी और शहर में भी चीनी नहीं लेते हैं । देहात में भी, तहसील के हेडक्वाटर्र पर, ब्लाक के हेडक्वार्टर पर या बड़ी मंडियों में हमने ऐसा कर दिया और जिलाधीश को यह सलाह दी कि वह होल सेलर या रिटेल सेलर के लिये १।। सेर फी यूनिट कर दे । अगर बाकी बचेगी तो वह कमी वाले एरिया को बाद में दी जायगी । यह अनुभव ही बतलायेगा ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अप्रैल में चीनी के दाम बढ़े और दूसरे महीने मई में इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी की लेकिन गांवों में चीनी की व्यवस्था उसके बाद भी नहीं हो गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं इसीलिये इतिहास बता रहा था जिससे अधिक पूरक प्रश्न न हों। अप्रैल के अन्त में ज्यों ही हमको मालूम हुआ हमने तुरन्त भारत सरकार को लिखा और उसको इसकी सूचना दे दी। सूचना देने के बाद उन्होंने कई एक स्कीमें हमसे मांगीं और वह सब हम देते चले गये। इस बीच में कभी एडहाक कोटा मिल गया, कभी कुछ और। इसमें डेढ़ महीन का विलम्ब हुआ। और अभी १७ जुलाई को यह सूचना हमें मिली कि वह पूरी चीनी दे रहे हैं लेकिन कोटा उन्होंने अगस्त के महीने का देने की बात कही। तो उसके लिये हर लाइसेंसी को साढ़े तीन परसेंट जमा करना पड़ता है और इस काम को कराने में जिलाधीशों को देर हुई। इसके अलावा मिलों ने भी यह कह दिया कि तुम्हारे पास परमिट है लेकिन हमारे पास अभी सूचना नहीं पहुंची। उन्होंने हमारे कई लोगों को वापस कर दिया, इसलिये यह विलम्ब हुआ।

श्री राजनारायण—जो स्कीम आज चीनी वितरण के लिये चल रही है उसे प्रान्तीय सरकार के सुझाव पर केन्द्रीय सरकार ने माना है अथवा केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार का सुझाव दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने जैसा कहा, उन्होंने हमसे पूछा कि तुम क्या व्यवस्था चाहते हो और इस पर हमने अपनी यह स्कीम उनको दी।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय मंत्री जी ने कहा था कि चीनी का उत्पादन कम हुआ। मैं इस बारे में सरकार से जानना चाहता हूं कि अप्रैल और मई के महीने में इस प्रान्त की कई हजार टन चीनी कलकत्ते से विदेशों को चोरी से बाहर भेजी जा रही थी, यह सरकार को क्या मालूम है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस सरकार को यह बात नहीं मालूम है क्योंकि हमारा संबंध उससे नहीं है। लेकिन भारत सरकार से हमें कुछ ऐसा अनुमान लगा कि शायद इसी वजह से दाम बढ़ रहा है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या यह बात सही है कि साढ़े १५ आने सेर के हिसाब से जो चीनी बेची जा रही है सरकारी दूकानों पर वह सी ग्रेड की चीनी है और अच्छे ग्रेड की चीनी, जिसको व्हाइट शुगर कहते हैं वह अभी भी मिल मालिक ब्लैक में १ रुपये और १ रुपये २ आने सेर बेच रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—३६ रुपये फी मन एक्स मिल प्राइस डी-२९ चीनी का दाम है और बाकी का दाम किसी का ३६, किसी का साढ़े ३७ और किसी का और ज्यादा है। हम प्रदेश में लोगों को देने के लिये डी-२९ किस्म की चीनी लेते हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बस्ती जिले में जहां काफी चीनी मिलें हैं उसके बहुत से भागों में, ट्रान्स राप्ती एरिया में १ रुपये १२ आने और १ रुपये १४ आने सेर चीनी बिक रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कई जगह से शिकायतें आयीं थीं तो मैंने इसकी इन्क्वायरी करायी और यह पता चला कि १ रुपये ४ आने सेर तक निजी तौर पर रिटेलर्स चीनी बेच रहे हैं और उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि डी–२९ के अलावा दूसरी चीनी उन्होंने भारत सरकार के कहने पर ली अथवा स्वयं और बेस्ट क्वालिटी की चीनी क्यों नहीं ली ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट ने हर किस्म की चीनी के दाम तय कर रखे हैं। बाज-बाज का दाम ३८, ३९ रुपये मन है। अगर हम उसे खरीदेंगे तो वह १ रुपये २ आने के करीब पड़ेगी और हम चाहते हैं कि चीनी सस्ती बिके। डी–२९ चीनी बुरी नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—अपनी योजनाओं की अनिश्चितता के कारण सरकार चीनी के भाव पर कंट्रोल नहीं कर सकी इस बात को देखते हुए क्या कन्द्रीय खाद्य मंत्री जी की तरह से प्रदेश के खाद्य मंत्री जी भी इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसका जवाब उनसे नहीं लूंगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—देहातों के लिये जो मंत्री जी ने प्रबन्ध बतलाया है कि जिलाधीशों के जरिये से वितरण कराया जायगा तो क्या किसी जिले से खबर आयी है कि वहां वितरण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उसके लिये आदेश भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कुछ जिलों में तो मैंने स्वयं देखा जैसे बिजनौर वगैरह में कि स्कीमें बना लीं जैसा मैंने अर्ज किया बदलने की बात कही, बदल हम नहीं रहे हैं। अब एक हिस्सा दिया, फिर दूसरा हिस्सा दिया फिर पूरा हिस्सा दिया। तो लाजमी तौर पर तीन स्कीमें हुईं। पहले ही अगर पूरा हिस्सा दे देते तो शुरू में ही पूरी स्कीम बन गई होती। लेकिन उसके बाद देहातों में ज्यों ज्यों चीनी आ रही है वह बंट रही है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनको कोई भरोसा है कि सीजन चलने के पहले यह चीनी फिर उस भाव पर यानी ९७ नये पैसे सेर पर कहीं बिक सकेगी या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हमें तो पूरा भरोसा है कि हर जगह साढ़े पन्द्रह आने सेर बिकेगी।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार जो ८० प्रतिशत गरीब किसान लोग ग्रामों में रहते हैं उनके लिए देहात के हर एक क्षेत्र में चीनी की दूकान खोलने पर विचार करेगी ताकि उन गरीब मजदूरों को चीनी मिल सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हमने तो कोई भेद नहीं समझा है। गरीब किसान, मजदूर सब डेढ़ सेर प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीनी ले लें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २५ हजार टन का कोटा मिला है भारत सरकार से वह सब डी–२९ का ही है या बढ़िया शुगर का भी कोटा भारत सरकार ने दिया है ? अगर नहीं दिया है तो बढ़िया शुगर ब्लैक मार्केट में कहां से आ गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हर किस्म की चीनी हम ले सकते हैं। लेकिन हम प्रिफर करते हैं लोगों को सस्ती देना। मिल वाले तो कोशिश करते हैं कि डी–२९ न लें बल्कि ३७, ३८ की लें। लेकिन डी–२९ वैसे अच्छी चीनी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके कथनानुसार देहाती क्षेत्रों में चीनी बटने लगी है ? यदि हां, तो कब से बंट रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने पहले ही अर्ज किया कि अगस्त के महीने में कोटा आया है। (शोर) सुन तो लीजिये। जब आप सुनेंगे ही नहीं तो मैं कहूंगा क्या ? अगस्त के महीने से उन्होंने कोटा दिया है। हर जिलाधीश ने अपने-अपने नामनीज को वहां भेज दिया है। अब हर जिले में, करीब-करीब शहरों में चीनी पहुंच गई है। इस वक्त जो रिपोर्ट मिली थी पिछले हफ्ते में उसके हिसाब से ३० जिलों में आ गई थी और दस-पन्द्रह जिले रह गए थे। उन्होंने वहां कोशिश की है कि देहात के हेडक्वार्टर्स पर चीनी चली जाय और चली गई होगी। अगर आप चाहें तो कल तक मैं निश्चित सूचना दे दूं कि किस जिले में . . . . .

श्री अध्यक्ष—तो आप नोटिस ले लीजिए।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सही है कि कवाल टाउन्स को छोड़कर उत्तर प्रदेश में कहीं भी शहरों में या देहातों में चीनी वितरण की कोई व्यवस्था नहीं हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मेरे खयाल से आपकी इत्तला बिलकुल गलत है। सब शहरों में वितरण हो रहा है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि सरकार द्वारा चीनी के दामों के कंट्रोल करने के प्रयास जो किए गये, उसमें या तो वह सफल नहीं हुई या हुई तो नहीं के बराबर इसको देखते हुए क्या सरकार इस प्रदेश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीय करण पर विचार कर रही है या इस तरह के किसी सुझाव को भारत सरकार को भेजने का विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—राष्ट्रीयकरण तो भारत सरकार के अधीन की बात है, वह राष्ट्रीयकरण करे, न करे। हमारा जहां तक संबंध है उन्होंने हमें कोटा दिया। बेहतरीन तरीके पर हम उसका वितरण कर देंगे।

*१३–१४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ३१ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५—श्री गेंदासिंह तथा श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—[१३ अगस्त, १९५९ को प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

बरेली जिले में सस्ते गल्ले की दुकानें बढ़ाने की प्रार्थना

*१६—श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में कुल कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं ? इनमें से कितनी दुकानें शहर में हैं और कितनी कस्बों तथा देहातों में हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बरेली जिले में सस्ते गल्ले की ७६ दुकानें हैं जिनका विवरण इस प्रकार है—

६८—बरेली शहर में।
२—बरेली तहसील में।
२—आंवला तहसील में।

२---फरीदपुर तहसील में ।
१---सेंथल (तहसील नवाबगंज) में
१---नवाबगंज में ।

योग---७६

*१७---श्री शिवराजबहादुर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून सन् ५९ से फरीदपुर और आंवला में दुकानें खोलने के बाद कस्बा नवाबगंज व सेंथल से पब्लिक की मांग के अनुसार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें क्यों नहीं खोली गईं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सेंथल और नवाबगंज में भी दुकानें खोल दी गई हैं ।

श्री शिवराजबहादुर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देहात में गल्ले की कमी को देखते हुए और पिछले साल रबी की फसल में कमी होने के कारण वहां कब तक दूकानें खुलेंगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जहां पर आवश्यकता समझते हैं या तो गल्ले की कमी की वजह से या कीमतों के बढ़ने की वजह से देहात में या शहर में, वहां दुकानें खोलते जा रहे हैं ।

श्री शिवराजबहादुर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कस्बों में जो ८ दुकानें खुली हुई हैं उनमें शकर भेजी है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वैसे तो नोटिस की आवश्यकता है, लेकिन पहुंच अवश्य गयी होगी ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तहसील में दो दूकानें जो बतायीं कि खोली गयी हैं तो वह पापुलेशन की बिना पर खोली हैं या किसी और बिना पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने अर्ज किया कि हर जिले में मोटे तौर पर हिदायत की है, बाकी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पूर्ण अधिकार दे रखा है कि जहां पर आवश्यक समझें वहां खोल दें ।

छिबरामऊ बाजार में गेहूं की खरीद में अनियमितता की शिकायत

*१८---श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ बाजार में मार्केटिंग इंसपेक्टर किसी भी दुकान पर काश्तकार का गल्ला जो बिकने के लिये आता है उससे आधा गल्ला सरकारी रेट से जबरदस्ती तुलवा लेते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं, छिबरामऊ बाजार में गेहूं की खरीदारी काश्तकारों से नहीं बल्कि लाइसेन्सदार खाद्यान्न व्यापारियों से की जा रही है ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जानकारी किस अधिकारी द्वारा करायी गयी है कि वहां लाइसेंसदारों से गल्ला लिया गया, काश्तकारों से नहीं लिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जिला अधिकारियों से ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या सरकार इस बात को सूचना मान करके इस प्रकार की खुली जांच करायेगी और जांच करते वक्त मुझे सूचना देगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आप अगर स्पेसिफिक किसी आदमी का नाम देकर कि अमुक आदमी ने ऐसा किया, सूचना देंगे, तो जरूर इंक्वायरी करा लेंगे।

श्री गरीबदास (जिला जालौन)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि काश्तकारों से यह गल्ला लिया गया है, इस प्रकार की शिकायत जिला अधिकारियों के पास आयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नहीं, ऐसी कोई नहीं आई है।

जौनपुर सहकारी संघ द्वारा अलमोनियम सल्फेट चोर बाजार में बेचने की शिकायत

*१९---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**---क्या सरकार को विदित है कि ४५८ बोरा अलमोनियम सल्फेट (रासायनिक खाद) जिला जौनपुर सहकारी संघ के द्वारा स्थानीय व्यापारियों को चोर बाजारी में बेचने के लिये दिया गया था जिसको कि पुलिस ने १६ जुलाई को व्यापारियों के गोदामों में पकड़ा ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---प्रश्न का पहला भाग निराधार है। १६ जुलाई, १९५९ को अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) के आदेशानुसार अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी ने तीन व्यक्तियों के पास से ४५८ बोरा खाद पकड़ा था। मामला स्थानीय पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर दिया गया है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार यह बतायेगी कि अलमोनियम सल्फेट खाद की बोरियां या तो कोआपरेटिव बैन्क या कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा बिकती हैं या ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज द्वारा, तो ये ४५८ बोरियां स्थानीय व्यापारियों के पास कैसे आयीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, सारा मामला पुलिस की तहकीकात में है। जो जवाब हमको उनसे मिला है वह हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन फिर भी मैं आप से निवेदन करूं कि इस अलमोनियम सल्फेट के दूसरे भी रास्ते हैं, जैसे गन्ना संघ है, ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, दूसरे जिलों का हो सकता है। तो यह कहना कि उसी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का है तो जब तक पुलिस इंक्वायरी का नतीजा न मिले हम यह कैसे कह दें कि उसी का है ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या यह सही है कि यह जो बोरियां हैं, जिस समय डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन की स्टाक चेकिंग हुई वह कम मिलीं और जब वहां के लोग पकड़े गये तो उन्होंने कहा कि ये बोरियां हमको डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन से प्राप्त हुईं जिससे वहां के स्टाकमैन और एकाउंटेन्ट सस्पेंडेड हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जिस मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है उसके बारे में अध्यक्ष महोदय, यह कैसे जवाब दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष---आप कह सकते हैं कि कान्फिडेंशल है।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि पुलिस इंक्वायरी हो रही है, मुझे बाध्य न करें कि मैं सब चीजों का जवाब दूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस जो इंक्वायरी कर रही है उस इंक्वायरी में पुलिस इस बात की भी इंक्वायरी करेगी कि यह जो बोरे व्यापारियों के यहां पकड़े गये वह कहां से आये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—यही मुख्य विषय है इंक्वायरी का।

लखनऊ में कोआपरेटिव सेमिनार पर व्यय

*२०—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, १९५९ में लखनऊ में होने वाली कोआपरेटिव सेमिनार में कितने सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित हुए और उनके टी० ए० व डी० ए० में सरकार का कितना-कितना खर्च हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—लगभग २८५ सरकारी अधिकारी तथा ५९९ कर्मचारी सम्मिलित हुए। उनके मार्ग तथा दैनिक भत्ते में अनुमानतः २६,५०० रुपया व्यय हुआ।

*२१—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सेमिनार में कुल कितना रुपया किन-किन मदों में खर्च हुआ था और उनमें अधिकारियों व कर्मचारियों के टी० ए० व डी० ए० में कितना-कितना खर्च हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—कुल खर्च जो सेमिनार में हुआ उसका विवरण संलग्न सूची में दिया है सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के टी० ए० तथा डी० ए० की सूचना प्रश्न २० के उत्तर में दी हुई है। गैर-सरकारी संस्था के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का मार्ग व्यय सम्बन्धित संस्थाओं ने दिया था। जिसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६३४ पर)

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त सेमिनार किस की ओर से आमंत्रित किया गया था और इसमें गैर-सरकारी कर्मचारी और अधिकारी कितनी संख्या में सम्मिलित हुये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सेमिनार गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उसकी प्रेरणा दी थी और उसकी एक रिसेप्शन कमेटी बनी थी जिसमें कि प्राविन्शियल कोआपरेटिव बैंक, प्राविन्शियल कोआपरेटिव यूनियन और केन फेडरेशन, इन सब जमातों के लोग थे, यही सब लोग इकट्ठा हुये थे और उन्हीं की तरफ से इसका आयोजन था।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त संस्थाओं की ओर से कितना रुपया टी० ए०, डी० ए० में खर्च किया गया है, इसकी सूचना उपलब्ध करके सदन की मेज पर उसे रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—जितना दूसरी संस्थाओं से रुपया लिया गया उसकी सूचना तो मैं इकट्ठी कर सकता हूं लेकिन जितने आदमी आये थे उन सब ने कितना भत्ता लिया उस में कुछ समय अवश्य लगेगा। अगर आप आज्ञा देंगे तो उसको इकट्ठा कर लूंगा।

श्री झारखंडेराय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सरकार ने इस सेमिनार का जो आयोजन किया था वह किस उद्देश्य और लक्ष्य को सामने रख कर किया था, क्या लाभ सोचा था ?

श्री मोहनलाल गौतम—जैसा कि माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम है, सहकारिता की एक नयी नीति सामने आयी जिसमें कि सर्विस कोआपरेटिव्ज, कोआपरेटिव फार्मिंग, कोआपरेटिव की मार्फत स्टेट ट्रेडिंग, यह सब विषय हमारे सामने थे। इन्हीं सब विषयों पर विचार करने के लिये और उन चीजों का प्रचार करने के लिये और अपने कार्यकर्त्ताओं और कर्मचारियों को उसे अच्छी तरह से समझाने के लिये यह सम्मेलन आयोजित किया गया था।

श्री झारखंडेराय---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उनके जवाब के मातहत सरकार ने कुल ५० हजार रुपये के लगभग खर्च किया है तो क्या सरकार ने यह मूल्यांकन, असेसमेन्ट करने की कोशिश की कि उससे कितना लाभ हुआ, यदि हां, तो उस लाभ का क्या असेसमेन्ट था ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैं यह कह सकता हूं कि इतने बड़े प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन जो यह हुआ और जितना लाभ इसमें हुआ, इतने खर्च में उससे सस्ते दामों में इतना बड़ा सम्मेलन नहीं हो सकता था ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिसेप्शन कमेटी की तरफ से पन्डाल पर २६,५०० रुपया खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम---कुल २२,०९१.५५ रुपये खर्च हुये और पंडाल पर ७,१६६.८१ रुपये खर्च हुये ।

श्री राजनारायण---यह सेमिनार कितने दिन चला और उसमें सरकारी कर्मचारियों को दैनिक भत्ता कितना मिला ?

श्री मोहनलाल गौतम---२ दिन चला । मुमकिन है कि सरकारी कर्मचारियों को वाद-विवाद करने के लिये एकाध दिन और रोक लिया गया हो और उन्हें उसका भी भत्ता मिला हो । इतनी बात साफ कर देना चाहता हूं कि जितने दिन का भत्ता मिला, उन्होंने यहां अच्छा काम किया, बेकार रहने का किसी को भत्ता नहीं मिला ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---सरकारी कर्मचारियों को दैनिक भत्ता नियम के अनुसार दिया गया या कुछ कम ज्यादा ?

श्री मोहनलाल गौतम---ज्यादा हम दे नहीं सकते और कम देना ठीक नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि दैनिक भत्ते में कुल रकम सरकारी कर्मचारियों को २६,००० रुपये दी गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---२६,००० रुपये में दैनिक और यात्रा भत्ता दोनों हैं ।

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार इस आयोजन की सफलता से उत्साहित होकर हमारे प्रदेश की डिवीजन्स में भी ऐसा आयोजन कराने पर विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---सहकारिता की नयी नीति को कामयाब बनाने के लिये जरूरी है कि गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं और पदाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को अच्छी तरह से शिक्षित किया जाय । उसके लिये एक अच्छी और बड़ी योजना बन रही है और हम चाहते हैं कि केन्द्र उसमें सहायता देगा । उसे हम बड़े पैमाने पर चलाना चाहते हैं जिसमें केवल डिवीजन ही नहीं, जिले के और ब्लाक लेविल पर और उसके भी नीचे जाने का हमारा इरादा है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि लोग बोर होकर घर जाना चाहते थे और उन्हें रोकने के लिये सरकार ने कवि-सम्मेलन वगैरह और प्रदर्शनी की व्यवस्था की ?

श्री मोहनलाल गौतम---कुछ दिमागों की ऐसी उपज हो सकती है । उन दिमागों को इलाज की जरूरत है । कम से कम हमारे यहां किसी का भी दिमाग खराब नहीं हुआ जिसे हम कवि-सम्मेलन से रोकते । कवि-सम्मेलन और मुशायरा खास तौर से इसलिये हैं कि सहकारिता की नयी नीति की शेरें बनें और उन्हें हम पुस्तिका के रूप में छपवायें । उनसे हम प्रचार करना चाहते हैं, वे तफरीह के लिये नहीं थे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का स्पष्ट आक्षेप है कि हम उन लोगों में से हैं जिनका दिमाग फिर गया था। कुछ लोगों का दिमाग पागल हो गया यानी यह एक इनुएंडो है। इसके मानी हैं कि उन्होंने हमारा दिमाग खराब बतलाया है .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप उसे रगड़ कर ख्वामख्वाह अपने ऊपर ले रहे हैं। ऐसी बात उससे नहीं निकलती है। आपने प्रश्न में कहा कि इसलिये कवि-सम्मेलन किया गया कि लोग भाग रहे थे। तो थोड़ा-सा, उत्तर सुनने के लिये, आपको भी दिल मजबूत रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री मदन पांडेय—क्या यह मुनासिब है कि सदन में किसी का दिमाग खराब कहा जाय ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मंत्री जी ने किस डाक्टर से सर्टीफिकेट हासिल किया था कि इस सम्मेलन के संगठन कर्त्ताओं का दिमाग उस दिन सही हालत में था ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतावेंगे कि इस पंडाल के सजाने में ७,००० रुपया क्या किराये में खर्च हुआ, या रोशनी में या किसी सजावट में खर्च हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—पन्डाल में माननीय सदस्यों को बुलाया गया था और उन्होंने देखा होगा, उनको मालूम होगा कि उसमें बल्लियां लगी थीं, कपड़ा लगा था, लाउडस्पीकर था, मंच भी बनाया गया था, रोशनी हुई थी, फोटोज़ भी लगाये गये थे, और भी बातें थीं।

स्टेट फार्म्स के मजदूरों को सुविधाएं देने की प्रार्थना

*२२—**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि स्टेट फार्म्स के तमाम मजदूरों की नौकरी पक्की नहीं है ?

*२३—क्या यह सच है कि स्टेट फार्म्स के मजदूरों को ड्यूटी ८ घंटे से अधिक देना पड़ती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार को जो सूचना प्राप्त है वह इन कथनों की पुष्टि नहीं करती। ऐक्ट के अनुसार ९ घंटे की ड्यूटी है ८ घंटे की नहीं।

*२४—**श्री गज्जूराम** (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि उन्हें हफ्तेवार रेस्ट व त्योहारों की छुट्टियों की सुविधा नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—मिनिमम वेजेज ऐक्ट और रूल्स तराई फार्म को छोड़ कर सब जगह लागू हैं और वहां उन्हीं नियमों के अनुसार छुट्टी मिलती है। तराई फार्म में यह कानून लागू नहीं है इसलिये गो कि छुट्टी मिलती है परन्तु वेतन सहित नहीं मिलती है।

बीज भण्डार मुरैना सहकारी संघ, मुसैला से खराब बीज देने की शिकायत

*२५—**श्री उग्रसेन**—क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास अप्रैल, १९५९ में देवरिया के एक विधायक द्वारा इस आशय की शिकायत पहुंची है कि बीज भंडार मुरैना सहकारी संघ, मुसैला, तहसील सलेमपुर द्वारा १९५६ में रबी के सड़े बीज बांटे गये और वे जमे नहीं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय उस की जांच करा कर उचित व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर जांच कराने से मालूम हुआ कि शिकायत तथ्यहीन थी।

श्री उग्रसेन—सन् १९५६ में जो रबी का बीज दिया गया था वह नहीं जमा, तो क्या कृषि विभाग से उसकी जांच हुई? यदि हां, तो उसकी रपट क्या है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जिस समय वह बीज खोला गया था उस समय इसकी प्योरिटी और जर्मिनेशन को टेस्ट कर लिया गया था।

श्री उग्रसेन—क्या किसानों द्वारा शिकायतों की किसी अधिकारी ने जांच की?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—ए० डी० ओ० एग्रीकल्चर ने रिपोर्ट की थी, २५ फीसदी गेहूं और चना जमा है, ६० प्रतिशत पीज़ और बार्ले जमा है।

श्री उग्रसेन—क्या वहां का सुपरवाइजर इसलिये डिसमिस किया गया कि उसने गलत बीज बांटा था?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी नहीं। उसके विरुद्ध और बहुत से चार्जेज थे। यह कोई चार्ज नहीं था।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी फिर से इसकी जांच करावेंगे और पुरानी रपट को देखकर इस बात का निर्णय देंगे कि सही मायनों में किसानों से, खराब बीज उन्हें देकर, जबरदस्ती वसूली की गई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—अगर माननीय सदस्य कोई लिखित शिकायत दें तो उसकी जांच जरूर कराई जायगी।

फैजाबाद जिले के डी० सी० एफ० में गबन

*२६—**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि फैजाबाद जिला के डी० सी० एफ० में कोई गबन पकड़ा गया है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, दो गबन पकड़े गये हैं।

*२७—**श्री रामस्वरूप वर्मा** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है और गबन का आरोप किसके विरुद्ध है?

श्री मोहनलाल गौतम—आरोप श्री बेचन लाल श्रीवास्तव, कमीशन एजेंट तथा श्री फतेह बहादुर, केन्द्र इंचार्ज जलालपुर के विरुद्ध है। जिम्मेदारी का निर्णय न्यायालय के अधीन है।

*२८—**श्री रामस्वरूप वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त गबन का मामला बहुत दिनों से सरकार में पड़ा हुआ है? यदि हां, तो निर्णय में क्यों इतना विलम्ब हो रहा है?

श्री मोहनलाल गौतम—मामला अदालत में विचाराधीन है।

हाथरस तहसील के लहरा बीज गोदाम में दो आदमियों को बन्द रखने की शिकायत

*२९—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस तहसील के लहरा बीज गोदाम पर गत दिनांक ६ जून, १९५९ को सुपरवाइजर ने गढ़ीनन्दराम के प्रधान तथा उसके पिता को जबरन कमरे में दो दिन बन्द करा दिया था और अन्तरिम परिषद् के अधिशासी तथा डी० सी० ओ० ने उसे बन्द पाया? इस अनधिकार चेष्टा करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी नहीं।

अलीगढ़ जिले में ईंटों के सहकारी भट्ठों को कोयला

*३०--श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ में इन भट्ठों को कितना-कितना कोयला दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--सन् १९५८-५९ में फरवरी, १९५९ तक इन भट्ठों को २७८ वैगन कोयला दिया गया ।

श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बीरपुरा और सिरसौल के भट्ठों को कितना कोयला दिया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--बीरपुरा को १५ वैगन और सिरसौल को ९ वैगन ।

राजकीय कृषि फार्मों में गन्ने के उत्पादन पर व्यय

*३१--श्री ब्रजनारायण तिवारी तथा श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के राजकीय कृषि फार्मों में पिछले १९५१ ई० से १९५८ ई० तक गन्ने के ऊपर प्रतिमन उत्पादन-व्यय कितना पड़ा है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--आवश्यक सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६३५ पर)

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो सूचना संलग्न है उसमें आपने दिया हुआ है कि गन्ने का उत्पादन व्यय १९५१-५२ में १ रु० १५ आ०, १९५२-५३ में १ रु० १३ आ०, १९५३-५४ में १ रु० ५ आ०, १९५४-५५ में १ रु० २ आना, १९५५-५६ में १ रु० २ आना, १९५६-५७ में .९९ रुपया और १९५७-५८ में १ रुपया है। इससे मेरे पूछने का मतलब यह है कि गन्ने के उत्पादन व्यय में यह विरोधाभास क्यों है जबकि हर एक चीज के मूल्य में वृद्धि हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम--विरोधाभास तो कहीं है नहीं । एक मन गन्ने पर जो उत्पादन व्यय हुआ है वह बताया गया है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस उत्पादन व्यय में गन्ने की ढुलाई भी शामिल है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--जी नहीं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन वर्षों में गन्ने की बुआई का खर्चा १ रु० ३ आ० पड़ा है उन वर्षों में सरकारी फार्मों में सरकार को घाटा हुआ है या नहीं हुआ ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--सरकारी फार्म प्योरली कमर्शियल बेसिस पर नहीं चलते । वहां पर कुछ ऐक्सपेरीमेंट्स होते हैं और कुछ डेमान्स्ट्रेशन्स होते हैं । इसलिये कभी लाभ भी होता है और कभी नुकसान भी । खाली गन्ने में लाभ होता है ।

कृषि विभाग में विलीन टिहरी राज्य के कर्मचारी

*३२--श्री सूरतचन्द्र रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विलीन टिहरी राज के कितने कर्मचारी उनके विभाग में इस वक्त हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--६ ।

नोट:--तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*३३--श्री सूरतचन्द रमोला--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वे किस-किस पे स्केल पर टिहरी राज्य काल के वक्त नियुक्त थे और इस वक्त उनका वेतन-क्रम क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना संलग्न तालिका "क" में दी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६३६ पर)

शाहगंज तहसील में रबी को क्षति

*३४--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में सन् १९५८-५९ की वासन्ती कृषि (रबी) में पछुवा हवा के समय से पहले चल जाने के कारण कितने प्रतिशत का नुकसान अनुमानित किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--जौ की फसल में रुपये में २ से ३ आने तक हानि हुई । और किसी अनाज की फसल में हानि नहीं हुई ।

बाग लगाने के लिए केन्द्र से प्राप्त अनुदान का वितरण

*३५--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार से १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में राज्य सरकार को बाग लगाने के सिलसिले में कोई सहायता प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो वह रकम कितनी थी और हर जिले को कितनी-कितनी रकम दी गई ?

श्री मोहनलाल गौतम--वित्तीय वर्ष १९५७-५८ व १९५८-५९ में भारत सरकार से बाग लगाने के सिलसिले में कोई सहायता नहीं प्राप्त हुई । परन्तु वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के अन्त में ३६ लाख रुपये की सहायता प्राप्त हुई थी । यह रकम १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में बांटी गई जिसका जिलेवार ब्यौरा माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६३७-६३८ पर ।)

बृजमनगंज बीज भण्डार से वितरित धान के बीज की शिकायत

*३६--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में फरेंदा तहसील के बृजमनगंज छायाखंड व धानीबाजार छाया खंड के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के कितने एकड़ में बोने के लिये बृजमनगंज सीड स्टोर कृषि विभाग की ओर से १९५८-५९ में कितने मन धान दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--कुल ९८ ग्रामों में ८०२७ मन उन्नत धान का बीज बांटा गया इससे लगभग १५,००० एकड़ जमीन बोई जा सकती थी । कितनी जमीन पर वास्तव में यह बीज बोया गया यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

*३७--श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त सीड स्टोर से जो धान किसान खेत में बोने के लिये ले गये थे, खेतों में उस धान की फसल कुछ भी पैदा नहीं हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं । जो किसान बीज बोने के लिये ले गये थे उससे अच्छी पैदावार हुई और उसके बारे में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई ।

कोर्ट-फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा—मैं सूचना देता हूं कि "कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ जो विधान सभा द्वारा १३ अगस्त, १९५९ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के २२ अगस्त, १९५९ को वापस प्राप्त हो गया है ।"

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री हलीमुद्दीन साहब ने मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करने की अनुज्ञा मुझ से मांगी थी । मैं उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता हूं । वह व्यर्थ-सा है और मैं इसकी इजाजत भी नहीं दे रहा हूं ।

श्री चरणसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना †(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब जो एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न श्री राजनारायण जी ने चौधरी चरणसिंह के विरुद्ध उपस्थित किया था, तो उसके विषय में यहां पर चर्चा तो हुई थी और मैं अनुज्ञा दूं या न दूं इस विषय में भी मैंने कई सदस्यों की राय भी प्राप्त कर ली थी । चूंकि उस रोज चौधरी चरणसिंह जी मौजूद नहीं थे, अगर आज मौजूद हैं तो मैं समझता हूं कि उन्होंने उस प्रस्ताव को भी देख लिया होगा और इसकी जानकारी भी हासिल कर ली होगी कि क्या लोगों का कहना है । तो अनुज्ञा देने के सम्बन्ध में उनको कुछ कहना हो कि वह दी जाय या न दी जाय, उस सम्बन्ध में वे कहना चाहते हों तो कहें ।

***श्री चरणसिंह** (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, मुझको समाचार-पत्रों द्वारा यह मालूम हुआ कि २१ तारीख को ३ मित्रों ने विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे खिलाफ उठाया है । और कुछ मित्रों ने उसके हक में और कुछ अन्य मित्रों ने उसके खिलाफ अपनी राय दी थी । लेकिन जिन तीन मित्रों ने वह प्रश्न उठाया उनमें से केवल एक मित्र ने कल रात को ९ बजे उस प्रस्ताव की प्रति मेरे पास भेजी है । शेष दो मित्रों ने क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम ।

श्री अध्यक्ष—राजनारायण जी ने भेजी थी ?

श्री चरणसिंह—जी हां, राजनारायण जी ने भेजी है । लेकिन गालिबन श्री चन्द्रजीत यादव और श्री गौरीशंकर राय जी ने भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है ।

श्री अध्यक्ष—उनका विशेषाधिकार का प्रश्न आपके विरुद्ध नहीं था ।

श्री चरणसिंह—अखबारों में मुझे यही पढ़ने से मालूम हुआ कि उन दोनों का भी था । तो जो दोस्तों ने राय दी वह केवल अखबारी रिपोर्ट पर ही मुझे मालूम है । मैंने उनकी दलीलें सुनी नहीं क्योंकि मैं यहां मौजूद नहीं था, इसलिये स्वयं उनको नहीं सुन सका । तो यह मामला काफी महत्वपूर्ण है । वैसे प्राइमा-फेसी मेरी अपनी राय में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न उठता नहीं है । लेकिन पेश्तर इसके कि मैं अपनी राय आपके सामने रखूं, मैं यह चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो आप मुझे यह सहूलियत दें कि जो मेरे दोस्तों ने उस रोज बातें कही थीं और जो जो दलीलें दी थीं, इसके लिये आप अपने दफ्तर से उस रोज की प्रोसीडिंग्स की सर्टिफाइड कापी दिलवा दें ताकि मैं उनको देख सकूं । और अगर यह मुमकिन न हो तो आप अपने दफ्तर को यह आज्ञा दे दें कि वे मुझको वह प्रोसीडिंग्स दिखला दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†२१ अगस्त, १९५९ को कार्यवाही से ।

श्री अध्यक्ष—आपको कितना समय लगेगा ?

श्री चरणसिंह—उसके लिये मुझे ८, १० रोज दे दिया जाय तो ठीक है, क्योंकि इस बीच में त्योहार आ रहा है और मेरी एक दो मीटिंग्स भी हैं और इस बीच में हाउस में नहीं आ सकूंगा, इसलिये आप २ सितम्बर तक का समय दे सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

श्री अध्यक्ष—तो मैं आपको यह सहूलियत तो देता हूं, लेकिन इतनी जल्दी सर्टिफाइड कापी देना सम्भव नहीं है, क्योंकि माननीय सदस्यों के पास भाषण की प्रति दुरुस्त करने के लिये भेजी जाती है और जब तक वह दुरुस्ती के बाद वापस नहीं आती तब तक सर्टिफाइड कापी दफ्तर से देने का रिवाज नहीं है, लेकिन प्रोसीडिंग्स आप को दिखाई जा सकती हैं, जो कुछ लोगों ने कहा है वह सब आप देख सकते हैं । अब इसके अलावा भी मैं एक बात आप से जरूर कहना चाहता हूं कि जो आप को प्रोसीडिंग्स में नहीं मिलेगी । जिस दृष्टि-कोण से उस दिन यहां चर्चा चल रही थी वह दृष्टिकोण भी आप को मालूम हो जाना चाहिये । वैसे प्राइमाफेसी बात तो यह है कि किसी भी मंत्री को कोई बाध्य नहीं कर सकता, यह तो सबको मालूम है, मंत्री जी जो इस्तीफा दे चुके हैं वे, चाहें वक्तव्य दें या न दें इसमें कोई सवाल सदन के अवमान का पैदा नहीं होता । अब जिस विशेष परिस्थिति में यह बात पैदा हुई उस की सूचना मैं थोड़ी सी दिये देता हूं आप उसको सुन लें और जो आप की इच्छा हो, २ सितम्बर को जब आप अपनी राय सदन में देंगे, उस समय कहें । मुझे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है, आप २ सितम्बर को ही अपनी बात कहें । मैं आप की बात सुनने के बाद या और लोग भी अगर कुछ कहना चाहें तो उनको भी सुनकर मैं अपना फैसला दे दूंगा ।

अब जिस परिस्थिति में मैंने इस मामले को तत्काल खत्म नहीं किया वह इस सदन की एक भावना का सवाल था । जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है, हमारे विशेषा-धिकार वही हैं जो कि इंगलैंड की पार्लियामेंट के हैं और वे विशिष्ट अधिकार जो कि सदस्यों की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में हैं वह तो निश्चित और स्पष्ट हैं—हर एक आदमी को बोलने का अधिकार है, सदन में आने का अधिकार है, कोई बीच में उन्हें पकड़ न ले—इस तरह के सब अधिकार हैं, लेकिन जो चीज कन्टेम्प्ट या अवमान में आती है उसके लिये अभी कोई स्पष्ट रूपरेखा या व्याख्या नहीं है जैसा कि माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने भी उस दिन बताया था, किसी चीज को भी जिससे सदन के कार्य संचालन में बाधा पड़े, चाहे वह कोई ऐक्ट आफ कमीशन हो या ऐक्ट आफ ओमिशन हो, उससे सदन अपना अवमान या कन्टेम्प्ट समझ सकता है । एक बात उसमें यह थी और इस परिस्थिति में एक विचित्रता यह रही कि अगर आप प्रारम्भ से ही कह देते कि मैं कोई वक्तव्य नहीं देने वाला हूं या चुप ही बैठते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब विरोधी दल इस बात पर जोर दे रहा है कि आप को वक्तव्य देना चाहिये । अब इसका कारण क्या है—अध्यक्ष होने के नाते मैंने यह जानने की कोशिश की, क्योंकि अध्यक्ष का यह काम होता है कि सब के साथ समरस हो कर सब के हृदय की बात को समझ ले और उसे सदन में सबको अवगत कर दे, क्योंकि आप जो वक्तव्य २ सितम्बर को देंगे तो आप उस समय इस भावना का भी खयाल रखेंगे ।

वक्तव्य का जहां तक सम्बन्ध है वह तो जो इस्तीफा देने वाले मंत्री हैं उनको तत्काल देना चाहिये, दूसरे ही दिन जिस दिन वह पहले सदन में आयें उसे दे दें, यह रीति साधा-रणतः रही है और गवर्नमेंट का उत्तर भी तत्काल ही हो जाना चाहिये । लेकिन चूंकि विरोधी दल की तरफ से एक संकेत अविश्वास के प्रस्ताव का आया था इस कारण आपने, विरोधी दल आपके वक्तव्य से लाभ न उठा सके, इस लिये, बाद में वक्तव्य देने की इच्छा प्रकट की, मैंने भी आप को सदन की ओर से अकामोडेट किया । मैं जो कुछ भी यहां करता हूं वह तो सदन की ओर से ही करता हूं, इस कारण जो कुछ मैंने किया उस को विरोधी दल वालों ने बरदाश्त किया और कोई टीकाटिप्पणी नहीं की, उन्होंने सोचा कि अच्छी बात है, अगर

उस वक्त उनको आपके वक्तव्य से लाभ नहीं मिलेगा जब कि अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद हो, तो आगे मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने जोर दिया कि अगर २१ तारीख को वक्तव्य का दिन मैं निश्चित करता हूं। तो जो पूरक अनुदान पर बहस होनी है वह बाद में होनी चाहिए और उसमें कम से कम उनको मौका वक्तव्य से लाभ उठाने का मिल जायगा। मैंने उसके लिये उनसे वायदा भी कर दिया था। तो वह बिल्कुल इस बात के लिये तैयार थे कि आपके भाषण को सुन कर जो उसके बाद पूरक अनुदान आएगा उसमें टीका टिप्पणी वे कर लेंगे।

इसके बाद ९८ सदस्यों ने यहां पर हस्ताक्षर करके वक्तव्य दिया। उसमें आपके भी हस्ताक्षर थे और उसमें कई आरोप आपने सरकार पर लगाये थे। विरोधी-दल के लोग यह भी आपसे अपेक्षा कर रहे थे कि आप कुछ ब्योरा अपने वक्तव्य में देंगे उनके संबंध में। ९८ लोगों का जो वक्तव्य था वह तब आया जब कि विरोधी दल के लगभग सभी नेता बोल चुके थे। इसलिये वह उसके बारे में बोल भी नहीं सके सिवाय-त्रिलोकीसिंह जी के, जिन्होंने प्रत्युत्तर दिया था। उन्होंने तो उसका लाभ उठाया। इसलिये दूसरे विरोधी पक्ष के सदस्यों के दिल पर इसकी ठेस पहुंची। वे लोग उम्मीद लगा रहे थे कि २१ तारीख को आपके वक्तव्य द्वारा सब बातें मालूम हो जाएंगी और शायद उन्होंने प्रदेश के बहुत से लोगों को देहातों से बुलाया भी था और शायद वे आये भी थे। तो जनता की भी अपेक्षा उसमें बहुत बढ़ गई थी। इन सब बातों के बाद एक दम से जब आपने वक्तव्य देने से इन्कार कर दिया तो जो हृदय के ऊपर धक्का लगा उसके लिये भी मैं समझता हूं, (हंसी) हंसने की बात नहीं है, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि विरोधी दल के साथ यह सलूक उन माननीय मंत्री जी के द्वारा जिनकी प्रशंसा वे भूरि-भूरि कर चुके हैं उनकी इंटेग्रिटी के बारे में और काम के बारे में, इससे उनको और ज्यादा चोट लगी कि ऐसे मंत्री से हम लोगों के दिल पर धक्का लगा। तो यह भावना उनकी थी। वह यह फील करते हैं कि हमारे साथ यह व्यवहार---इसको और कुछ नहीं तो कम से कम यह कहा जा सकता है, शैबी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यह जरूर है कि कुछ ज्यादती ऐसी हुई जिससे कि उन्होंने सोचा कि---कंटेम्प्चुअस तरीके से या स्कैंट कर्टसी से हमारे साथ व्यवहार हुआ और कंटेम्प्चुअस तरीके से जान-बूझ कर अगर व्यवहार होता है तो फिर कंटेम्प्ट के दायरे में वह आ जाता है, अगर कोई सदस्य कंटेम्प्चुअस व्यवहार करे और पूरे विरोधी दल के साथ ऐसा व्यवहार अगर होता है---इरादतन होता है साथ में और भी कई बातें होती हैं तो यह भावना उनकी पैदा हो जाना कि हमारे साथ कुछ अपमान-जनक व्यवहार हो गया है। तो अनुचित नहीं है और इसलिये उन्होंने अपनी नाराजी जाहिर करने के लिये यह कंटेम्प्ट का प्रश्न संभवतः सदन के सामने रख दिया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो इन सब बातों का लिहाज रखते हुए आप अपना उत्तर दें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि त्रिलोकीसिंह जी ने एक दफा एक डिस्कशन मुल्तवी कराया था। जब दूसरे रोज वह आए तो उन्होंने कहा कि मैं माफी चाहता हूं सदन से कि मैंने कल इसे मुल्तवी कराया था। आप वक्तव्य के दिन आये भी नहीं। मेरे पास एक चिट्ठी भेज दी और यहां आकर रिग्रेट भी नहीं व्यक्त की। इसलिये भी शायद यह बात हुई। यह सब आप ध्यान में रक्खेंगे २ सितम्बर को उत्तर देते हुए और उपस्थित प्रश्न पर राय देते हुए।

श्री चरणसिंह---मैं जरा कुछ अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष---२ तारीख को ही कह दीजिएगा। पीस-मील न कहिए।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि वक्तव्य न देने के प्रश्न के एक पहलू के संबंध में आपने जो कुछ कहा उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। उस संबंध में मुझे कुछ कहना नहीं है।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

लेकिन उसके दूसरे पहलू की ओर आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उस पर विचार करें। प्रश्न केवल यह नहीं था कि उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया। प्रश्न यह भी है कि उन्होंने वक्तव्य न देने की सूचना पत्रों में छपाई, यह नियमों की अवहेलना की और आपको सूचना देने से पहले पत्रों में छपी . . . .

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठें। बात यह है मैंने तो यह कहा ही था कि अन्य बातें उनको कार्यवाही में मिल जायंगी। जो चीज कार्यवाही के बाहर की थी वह मैंने उन्हें बतायी, आपकी भावनाओं को व्यक्त किया। लेकिन एक स्पष्टीकरण मैं कर देना चाहता हूं। मैंने उस रोज कहा था कि मुझे चरणसिंह जी ने यह सूचना फोन पर दी थी कि वह वक्तव्य नहीं देंगे, लेकिन किस वक्त दी थी यह मैंने उस दिन नहीं बताया था। उन्होंने मुझे अखबारों में उनका कथन जाने के पहले सूचना दी थी। १९ तारीख की रात को फोन किया था और कहा था कि २१ तारीख को जो वक्तव्य देने वाला हूं वह नहीं दूंगा। उसके बाद दूसरे रोज अखबार में खबर छपी, उन्होंने फोन पर यह भी कहा था कि मैं लिखित कारण भेज रहा हूं। वह दूसरे रोज उन्होंने दिया। इतना मैं कम से कम सदन को फैक्ट्स के बारे में इसी समय सूचित कर देना चाहता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---आपने हमको सुनने को कहा था कि सोमवार को सुनेंगे . . . .

श्री अध्यक्ष---पहले आज का काम, कार्य-स्थगन प्रस्ताव वगैरह, हो जाय; उसके बाद आप कहें।

केन्द्रीय खाद्य मंत्री द्वारा प्रदेश की खाद्य नीति को दोषी ठहराने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---सर्वश्री राजनारायण और त्रिलोकीसिंह जी के प्रस्ताव करीब-करीब एक ही विषय पर हैं। राजनारायण जी का इस प्रकार है :---

"गत २२ अगस्त, १९५९ को पार्लियामेंट में खाद्य समस्या पर की गई बहस का उत्तर देते हुए केन्द्रीय खाद्य मंत्री, श्री अजितप्रसाद जैन, ने उत्तर प्रदेश के बाजारों से गेहूं लुप्त हो जाने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार की गलत खाद्य नीति को दोषी ठहराया है।

प्रदेश की खाद्य समस्या दिन ब दिन जटिल होती जाती है, सरकार ने अपनी गलत नीति का अवलम्बन कर गरीब जनता को भूखों मरने पर विवश कर दिया है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री के बयान ने प्रान्तीय सरकार की खाद्य नीति के खोखलेपन को और स्पष्ट किया है जिससे प्रदेश की आम जनता में सरकार की खाद्य नीति पर व्यापक असन्तोष व्याप्त है और परिस्थिति बराबर जटिल से जटिलतर होती जा रही है, केन्द्रीय खाद्य मंत्री के बयान के बाद खाद्य नीति पर अविलम्ब पुनः विचार करना आवश्यक हो गया है।

अतः लोकहित के उपर्युक्त अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर तत्काल विवाद करना आवश्यक समझ कर सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं राजनारायण जी से इतना और कह दूं कि मेरे पास टाइप की प्रथम कापी भेजा करें, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत होती है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, वही भेजता हूं।

श्री अध्यक्ष---माननीय त्रिलोकीसिंह जी का प्रस्ताव यह है---

"मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से एवं सार्वजनिक महत्व के निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न अर्थात् सरकार की खाद्य नीति की असफलता, जैसा कि अनाज तथा चीनी के बढ़ते हुए

भावों को न रोक सकना और उनके वितरण की समुचित व्यवस्था न होना, पर विचार करने के लिये सदन का कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि अध्यक्ष महोदय आज्ञा प्रदान करेंगे ।"

इस विषय में जहां तक राजनारायण जी का प्रस्ताव और वाद-विवाद का प्रश्न है, तो माननीय राजनारायण जी और त्रिलोकी सिंह जी के एक-से ही प्रस्ताव हैं, लेकिन उसके साथ माननीय राजनारायण जी के प्रस्ताव में बहुत सी बहस है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री, श्री अजितप्रसाद जैन, ने जो लोक सभा में कहा, वह कोई निश्चित नहीं है। मेरे पास जो उन्होंने अखबार भेजा है उसमें भी कोई निश्चित और स्पष्ट बात नहीं है। इसमें यह दिया हुआ है---

"He said that about 50,000 tons of overseas wheat was being given to U. P. up to May 5. Wheat was flowing freely into the market. The arrivals were not bad. Because the U. P. Government were not getting much by procurement, they carried out dehoarding operations and wheat disappeared."

इसके ऊपर वह अपने कामरोको प्रस्ताव का आधार रखते हैं; तो मैं उसको इन-आर्डर नहीं समझता ।

दूसरे जो त्रिलोकीसिंह जी का है उस विषय में मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि वह इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कोई रोज बहस के लिये देना उचित समझती है ? क्या माननीय उप नेता सदन इस विषय में कोई दिन देंगे ? मैं यह पसन्द करूंगा कि महत्वपूर्ण विषय होने की वजह से अगर सरकार इसमें एक दिन बहस के लिए दे दे तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि कामरोको प्रस्ताव में तो केवल २ घंटे ही मिलते हैं ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जो मौजूदा प्रोग्राम है उसमें से तो वैसे टाइम नहीं निकलता । लेकिन अगर कोई सैटरडे दे दिया जाय तो कोई एतराज मुझको नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---सेटर डे लें या संडे लें, यह सवाल नहीं है । सवाल यह है कि जब इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसके कारण केन्द्र में यह हालत हो गयी है तो यह नहीं हो सकता कि प्रदेश उससे प्रभावित न हो ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---विवाद के लिये कोई दिन देने के लिये एतराज नहीं है बशर्ते कि वह सैटर डे हो ।

श्री अध्यक्ष---जो दिन सम्भव हो उसे आप तय कर लेंगे । मैं इसके लिये कह देना चाहता हूं कि अगर कोई दिन और न निकले तो शनिवार भी हो सकता है और इतवार भी हो सकता है, २ रोज भी बैठक हो सकती है । क्योंकि यह आवश्यक तथा महत्व का विषय मालूम होता है इसलिये कोई शनिवार, इतवार या छुट्टी का इन्तजार न करते हुए कोई भी दिन आप मुकर्रर कर लें ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मैं यह निवेदन करूंगा कि इस शनिवार और रविवार को न रखा जाय तो अच्छा है इसलिये कि पहले से सब आना जाना बंधा हुआ है । लिहाजा अगला कोई दिन निकल जाय, या अब के शुक्रवार को असरकारी दिवस हो तो उस दिन रख लिया जाय और उसकी एवज में कोई आगे दिन दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---यह हो सकता है । लेकिन मैं समझता हूं कि इसको जितना शीघ्र आप करें उतना ही अच्छा है क्योंकि देर होने से उसका महत्व खत्म हो जाता है ।

श्री त्रिलोकी सिंह---तो शुक्रवार रख दिया जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—शुक्रवार को हो जाय। यह ठीक है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—शुक्रवार, २८ तारीख को इस पर बहस हो जायेगी। लेकिन मेरी राय में दो दिन होना जरूरी है, लिहाजा वृहस्पतिवार तथा शुक्रवार दोनों ले लिये जायं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष—शुक्रवार कर लिया जाय। अगर बहस उस दिन के बाद भी कंटिन्यु करने का समय आयेगा तो कोई रास्ता निकाल लेंगे।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—शनिवार को तो छुट्टी मनायी जाती है। उस दिन न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—शुक्रवार लिया जा रहा है इसीलिये।

श्री टीकाराम पुजारी—करोड़ों आदमियों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है। लिहाजा दो दिन दिये जायं।

नियम ५२ के अन्तर्गत नगरपालिका देवरिया की अव्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार मेरे पास ध्यान आकृष्ट करने वाले कुछ विषय आये हुए हैं। उनमें श्री उग्रसेन का मैं ले रहा हूं, उसकी नकल शायद मंत्री जी के पास पहुंच गयी होगी।

"नगरपालिका देवरिया की अव्यवस्था, गंदगी, तथा कर्मचारियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार से ऊबकर पालिका के सम्मानित सदस्य, श्री तिलकसिंह सर्वहार, दिनांक २० अगस्त, सन् १९५९ से पालिका के फाटक के समक्ष अनशन कर रहे हैं। उनके अनशन से नगर की जनता में क्षोभ व्याप्त है। पालिका के प्रबन्धकों ने अभी तक अनशन समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया है; फलस्वरूप एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा एवं स्पष्टीकरण के लिये नियम ५२ के अन्तर्गत उपस्थित करता हूं"।

माननीय स्वशासन मंत्री को इस विषय में कोई जानकारी हो तो वह सदन को दे दें।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—श्रीमान् जी, इसके संबंध में शासन के पास आवश्यक सूचना मौजूद नहीं है। सूचना मांगी गयी है और उसके आने पर सदन के सामने रखी जायगी।

श्री अध्यक्ष—कितने रोज का समय आप चाहते हैं, ७ रोज का ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है, ७ रोज के बाद आप सूचना दे दीजियेगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत बलिया जिले की बाढ़ के विषय में सरकारी वक्तव्य के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, सेक्शन ५२ के अन्तर्गत मैंने बलिया की बाढ़ और कटाव के बारे में पूछा था।

श्री अध्यक्ष—बलिया के कटाव और बाढ़ के ऊपर मैंने एक रोज स्वीकार कर लिया था और मंत्री जी ने जानकारी हासिल करने के लिये कहा था। यदि उनके पास सूचना हो तो वे दे सकते हैं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---श्रीमन्, मैंने मंगल के लिये कहा था लेकिन तब तक सामग्री इकट्ठी नहीं होगी इसलिये अगर २७ तारीख रख दी जाय तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है, इसके लिये २७ तारीख रख दी जाती है।

अल्प-सूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---मुझे शार्ट नोटिस क्वेश्चन के संबंध में कुछ अर्ज करना है। जब कोई माननीय सदस्य शार्ट नोटिस क्वेश्चन देते हैं और मिनिस्टर उसे मंजूर कर लेता है तो उसका जवाब देने के लिये मिनिस्टर के लिये लाजिमी है कि वह सदन में उपस्थित रहे। मगर क्या यह जरूरी नहीं है कि प्रश्नकर्त्ता भी उस रोज हाजिर रहे? वह नहीं होते हैं तो वह प्रश्न लैप्स हो जाता है। हम सारे काम रोक कर यहां हाजिरी देते हैं। अभी तीन-चार रोज हुए श्री यादवेन्द्रदत्त जी ने एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन का नोटिस दिया था। उसके लिये जो तारीख मुकर्रर थी उसको मैं सदन में मौजूद हुआ लेकिन अभाग्यवश हमारे प्रश्नकर्त्ता गैरहाजिर थे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---मंत्री जी ने बात ठीक कही कि मैं २० तारीख को नहीं था लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि हमको भी सूचना नहीं मिलती कि किस दिन मंत्री जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अगर तिथि की निश्चित सूचना मिले तो हम लोग निश्चय आ सकते हैं। तो मंत्री जी की यह शिकायत कि प्रश्नकर्त्ता मौजूद नहीं थे मैं उचित नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष---सिद्धान्त तो सबको स्वीकार है कि उस रोज हाजिर रहना चाहिये। अब यह है कि किसी खास वजह से उस रोज उनके पास सूचना नहीं पहुंच सकी। आमतौर पर तो दी जाती है। लेकिन शार्ट नोटिस क्वेश्चन में यह कहा जाता है कि फलां रोज हमको उत्तर दो और मंत्री जी ने कहा कि हम दूसरे रोज देंगे। ऐसी हालत में नोटिस हमने भेजी और यदि माननीय सदस्य के पास वह नहीं पहुंची तो ऐसे मौके पर माफी देना चाहिये। बाकी मैं समझता हूं कि जैसे मंत्री जी को हाजिर रहना होता है वैसे ही जो माननीय सदस्य शार्ट नोटिस क्वेश्चन करें वह भी उत्तर के रोज हाजिर रहें, क्योंकि शार्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए खासतौर पर सूचना मंगानी पड़ती है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---प्रश्नकर्त्ता को भी तो सूचना होनी चाहिये कि किस दिन प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---वह तो देते हैं, लेकिन एक-आध बार न पहुंच पाये तो अगर प्रश्नकर्त्ता न मौजूद रहें तो कोई बात नहीं।

नगरपालिका देवरिया सम्बन्धी वक्तव्य के विषय में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मंत्री महोदय ने कहा था कि एक सप्ताह बाद सूचना देंगे; तो तब तक तो तिलक सिंह सर्वहारा मर जायंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि २७ तारीख तक वे भी सूचना मंगा सकते हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---वे मरेंगे नहीं, क्योंकि उनका अनशन तो अब समाप्त हो चुका है।

श्री अध्यक्ष---तो यह सूचना आप मंत्री जी को दे दीजिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--मैं आपसे भी कह रहा हूं और उनसे भी कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--जब ऐसा है तो मंत्री जी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जवाब दे दें। अगर कल जवाब मिल जाय तो कल दे दें।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--जी हां, अगर कल मिल गया तो कल ही दे दूंगा।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के संबंध में मुझे भी कुछ पूछना था। प्रश्नों के संबंध में मुझे भी शिकायत है। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न जो दिये जाते हैं वे अतारांकित हो जाते हैं जबकि विषय बड़ा गम्भीर.....

श्री अध्यक्ष--मंत्री जी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो मेरे दफ्तर का काम है। मेरे दफ्तर में आकर मुझे आप बताइये यदि कोई महत्पूर्ण विषय हो और वह अतारांकित हो गया हो तो फिर से मैं उसे देख सकता हूं।

श्री हरदयालसिंह--दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न दिये जाते हैं उनमें से बहुत से स्वीकृत नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है?

नियम ५२ के अन्तर्गत उठाये गये विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, क्वीन्स कालेज के संबंध में.....

श्री अध्यक्ष--वह तो दफा ५२ का विषय हो गया।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--श्रीमान्, मेरी एक प्रार्थना है। एक प्रस्ताव मैंने भी दिया था कि हमारे यहां चावल का और चीनी का स्मगलिंग हो रहा है और आगरे के जितने एम० एल० एज० और एम० पी० हैं उनकी मीटिंग में.....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर बैठें। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, बैठिये। अभी उनका प्रश्न है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि क्वीन्स कालेज के संबंध में वह सूचना देंगे। दर्जा ७ में रमेश के संबंध में प्रिंसिपल ने आज्ञा दे दी थी कि वह भर्ती किया जायगा और बाद में वह काट दी गई। ऐसी कोई सूचना यदि उनके पास मौजूद हो तो वह सदन को दे दें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, जानकारी तो आ गई है लेकिन आज मैं लाया नहीं हूं। कल दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--कल दे दीजिये।

*उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ †(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--गृह मंत्री जी के प्रस्ताव पर, कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९५९ पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय, श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी जी भाषण दे रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

---

*१३ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

†२१ अगस्त १९५९ की कार्यवाही।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी शास्त्री (जिला आजमगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विश्वविद्यालय विधेयक के समर्थन में बोल रहा हूं। मान्यवर, मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनकी कार्य पद्धति, उनकी पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है, अभाग्यवश वह न्यूनतम होता चला जा रहा है और देश के सामने एक बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। विश्वविद्यालय के स्नातक जिनके द्वारा हम देश के निर्माण का एक बड़ा भारी कार्य कर सकते हैं उसमें उनका स्तर गिर जाने के नाते और उनमें अनुशासनहीनता आ जाने के कारण देश के सभी विचारकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा अपने उधर के बैठने वाले भाइयों से यह निवेदन कर रहा हूं और वह एक श्लोक से समझाना चाहता हूं कि

"स किं सखा साधु न शास्तियो ऽधिपं।
हितान्नयः संशृणुते स किं प्रभुः।"

वह कोई मित्र नहीं है जो राजा को साधुवाद न बताये। वह राजा भी उत्तम नहीं है जो उनकी हितकारी बातों को न सुने। इस उक्ति के अनुसार अब यह देखना है कि हमारे विरोधी दल के जो लोग हैं, उनके जो सुझाव आ रहे हैं, अगर वे सुझाव साधु हैं और उनसे लाभ होने वाले हैं तो उनको मानने में किसी को एतराज नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में जो उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है उसमें कोई भी ऐसा सुझाव नहीं आ रहा है जिससे इस पर सोचा जा सके कि विश्वविद्यालय की व्यवस्था सुचारु रूप से हो सकेगी। श्रीमन्, कहा गया कि बड़ी खराबी है, बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं। अगर यह सब मान भी लिया जाय तो हम उनसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि हमें कोई ऐसा सुझाव दें जिससे हम विश्वविद्यालय की व्यवस्था को सुचारु रूप से चला सकें।

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूं कि गोरखपुर के विश्वविद्यालय के संबंध में बड़ी शिकायतें सदस्यों की हैं और खास तौर से उधर के बैठने वाले लोगों को हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंध में सरकार की ओर से एक भूल हुई है। अगर वह उसको सुधार लें तो मैं समझता हूं कि बलिया, जौनपुर, गोरखपुर के जो सदस्य आलोचना करते हैं वह बन्द हो जाय। वह भूल सरकार की यह है कि उसने महाराणा प्रताप कालेज को उसमें मर्ज किया। अगर महाराणा प्रताप कालेज मर्ज नहीं हुआ होता तो आज कोई शिकायत, श्रीमन्, आपके सामने नहीं आती। मेरी बात कुछ लोगों को पसन्द नहीं होगी, किन्तु हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। हितकारी बात हो और मनोहारी भी हो, यह नहीं हो सकता। तो मैं यह चाहूंगा कि हमारे शिक्षाधिकारी यह बात भी सोंचे कि अगर किसी तरह से महाराणा प्रताप कालेज को गोरखपुर विश्वविद्यायल से अलग कर सकें तो यह झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय थोड़े दिन से चला है। पंडित सुरतिमणि त्रिपाठी की अनेक तपस्या, अनेक साधनों, से एक छोटा सा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। सरकार उसमें अधिक सहायता भी न दे सकी क्योंकि उसके सामने बड़ी कठिनाइयां थीं। श्रीमन्, मैं आपको स्मरण दिलाऊं कि वहां के सेंट ऐंड्रूज कालेज को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से एक लाख रुपया मिल गया लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय को वह भी नहीं मिल सका। इस तरह की कठिनाइयों से वह विश्वविद्यालय गुजर रहा है। बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती के जो विधायक हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके यहां कोई चीज नहीं है। सारी चीजें पश्चिम में चली गयीं। कहीं धोखे में एक विश्वविद्यालय खुल गया और आज से ही यह शिकायत शुरू कर दी कि इसमें बड़ी गड़बड़ी है तो निश्चय समझिये कि आपका जो लाभ होने वाला है वह नहीं होगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय अगर नहीं खुला होता तो आजमगढ़, देवरिया,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

बस्ती, जौनपुर इन सब में जहां पर अब तक कालेज नहीं था, और आगरा वाले एक भी खोलने के लिये तैयार नहीं थे, वहां जो एक एक कालेज खुल गया है, वे न खुलते।

मैं आपसे निवेदन करूं कि जौनपुर का कालेज बहुत पुराना कालेज है। उसको मान्यता नहीं मिल रही थी। इस वर्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय ने उसको मान्यता दी। गौरीशंकर राय जी ने यह आरोप लगाया कि वहां पर जो नियुक्तियां होती रही हैं उनमें बड़ी गड़बड़ी है। उसमें जो गड़बड़ी है, चलिए, उसको मानकर भी चलते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि दो चार गड़बड़ियां अगर हो गईं तो उस विश्वविद्यालय से सम्बन्धित दसियों कालेज जो उसके अन्तर्गत स्थापित हुए वहां पर सैकड़ों अध्यापकों की नियुक्ति हुई; अगर वह यूनिवर्सिटी न खुली होती तो एक भी कालेज सम्बद्ध नहीं हो सकता था। आज फैजाबाद, रायबरेली, प्रतापगढ़ आदि जिलों के लोग इस बात की कामना में हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय कुछ अच्छा हो जाय। असेम्बली से जो पैसा आप पास करके देते हैं, आप देख लीजिए वह कुछ भी नहीं है, बिलकुल नमक के बराबर है और किस-किस तरह से वहां के अधिकारी उसमें लिपटे हुए हैं और कार्य को किसी न किसी तरह से चला रहे हैं। इसलिए जो मैंने पहले कहा था कि सरकार की एक भूल अवश्य हुई कि महाराणा प्रताप कालेज को उसने ले लिया; अगर वह न लिया जाता तो सारा झगड़ा खत्म हो गया होता और सरकार को चाहिए कि अब भी अगर छोड़ सके तो छोड़ दे। यह मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आपसे निवेदन कर रहा हूं। वहां के उपकुलपति एक योग्यतम व्यक्ति हैं और योग्यतम एग्जीक्यूटिव की देखरेख में वहां का काम हो रहा है। नियम बने हुए हैं, विधान बना हुआ है। सबको उसमें जाना चाहिए। किसी के लिए दरवाजा बन्द नहीं है। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक इस बात की प्रार्थना करूंगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आप निकट से अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद उसको आगे बढ़ाने में मदद दें।

दूसरी बात जो कही गई थी, श्रीमन्, मैं तो यह चाहूंगा कि मेरी बात इधर के और उधर बैठे हुए सज्जन अगर मान लें तो मेरा उनसे यह निवेदन है कि विश्वविद्यालय में पूर्ण हस्तक्षेप हो। पूर्ण हस्तक्षेप का मतलब यह नहीं है कि उससे उनका कुछ बिगड़ेगा। उनके जो नियम बने हुए हैं, विधान बने हुए हैं उनके मुताबिक उनको चलना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र जब यह कार्य दूसरा हो जाय तो एक दूसरा विधेयक लाना चाहिए और हर प्रकार से विश्वविद्यालय को नियंत्रण में रखना चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने इसके विरोध में प्रस्ताव रखा है वह उसको वापस लें। एक भी सुझाव ऐसा उधर से नहीं आ रहा है जो कि उपयोगी हो।

आखिर विश्वविद्यालय को कर्ज लेने से जब रोका जा रहा है तो उससे क्या दिक्कत पड़ रही है? वह रुपया कर्जा ले लेकर खर्च करती है। वह रुपया देना होता है सरकार को। अगर सरकार नहीं देती है तो आप सब लोग कहते हैं कि नहीं, सरकार को देना ही चाहिए। जब रुपया देने की जिम्मेदारी सरकार पर है, कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी सरकार पर है, तो वहां पर उससे पूछ लेना, राय ले लेना यह तो कोई बड़ी आपत्ति की बात नहीं है। इसके सम्बन्ध में जो अध्यादेश था उसके अननुमोदन प्रस्ताव पर बहस के समय सारी चीजें बता दी गई थीं। मैं तो यह चाहूंगा कि यहां के लोग चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, सब इस बात को सोचें और विचार करें कि विश्वविद्यालय में हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए।

विश्वविद्यालय तक्षशिला के समान, नालन्दा के समान, जब तक नहीं होंगे, उनकी पढ़ाई, उनकी परम्परा, उनकी रीति नीति इस प्रकार से नहीं होगी तब तक कोई भी काम चलने वाला नहीं है। जो नये विश्वविद्यालय खोलने की बात सोची जा रही है मेरठ और कानपुर में, उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि अगर इसी तरह के विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं जहां

पर कि सबको खड़े होकर पेशाब करने की आदत पड़ती है तो ऐसे विश्वविद्यालय न खोले जायं। जो विश्वविद्यालय खोले जायं वहां पर एक नयी रीति नीति सिखाई जाय। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जितने भी आप लोग हैं जो कि इस वक्त सब कामकाज चला रहे हैं, ये आप लोग आखिर कितने दिनों तक रह सकते हैं। आगे चलकर सारा काम इन्हीं विश्वविद्यालय के स्नातकों के जिम्मे आने वाला है। आज जितने भी हमारे देश के कर्णधार हैं वे दस वर्ष से ज्यादा चलने वाले नहीं हैं। उसके बाद सारा भार इन्हीं विश्वविद्यालयों से बाहर आने वाले स्नातकों पर ही पड़ेगा। अगर उनकी योग्यता समाप्त हो गई, उनके उठने बैठने के रीति रिवाज समाप्त हो गए तो कैसे यह देश की नाव चलायेंगे? कौन मुख्य मंत्री बनेगा, कौन प्रधान मन्त्री बनेगा जबकि उनकी योग्यता ही समाप्त हो जायगी? मैंने देखा, एम० ए० के एक विद्यार्थी ने मेरे पास एक पत्र लिखा था, उसकी एक भी लाइन दुरुस्त नहीं थी, हिन्दी की शब्दावली भी बहुत जगह अशुद्ध थी। मैं चाहता हूं, श्रीमन्, कि इसमें सुधार होना चाहिए। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि विश्वविद्यालय विधेयक के विरोध में जो प्रस्ताव रखा है उसको उन्हें वापस लेना चाहिये और जो विवाद हो रहा है उस समय को दूसरे काम के लिये रखना चाहिये।

एक सदस्य ने यह कहा कि इलाहाबाद में कायस्थ पाठशाला और अग्रवाल विद्यालय को ला की स्वीकृति दी गई यह बड़ा अवैधानिक रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब लड़के ज्यादा हैं और पढ़ाई लिखाई का प्रबन्ध कम ह और तरह तरह की परेशानी है तो यूनिवर्सिटी ने अगर इन दो कालेजों को अनुमति दी कि वहां इन लड़कों को पढ़ा लिया जाय तो इसमें कौन सी दिक्कत हो गई। उन लोगों को तो इसका स्वागत करना चाहिये। ऐसी दशा में इन सब बातों को सोचना है और विचार करना है और विश्वविद्यालय को बहुत ऊंचे उठाना है। आज शिक्षा का स्तर और उसकी परम्परायें नीचे गिर रही हैं; यह बड़े दुख की बात है। वहां के आचार्य को इस तरह से होना चाहिये कि....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि विषयान्तर हो रहा है।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब मनीषियों को इस प्रकार से सोचना चाहिये कि हमारे विश्वविद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनकी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिये जिससे उनके बाहर निकलने पर मालूम हो जाय कि ये विश्वविद्यालय के आचार्य हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो इस विधेयक के विरोध में प्रस्ताव आया है उसको हमारे भाई जी को वापस लेना चाहिये और विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो सुझाव मैंने दिये हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिये और सत्परामर्श देना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपकी आज्ञा से अपने प्रवचन को समाप्त करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मैं, श्रीमन्, एक अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। अभी उधर से माननीय सदस्य ने इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला और अग्रवाल कालेज का जिक्र किया कि उनको लड़कों की जरूरत के लिये एफीलियेशन दिया गया। मैं बताऊं कि कायस्थ पाठशाला और अग्रवाल कालेज को जो एफीलियेशन मिला है वह विद्यार्थियों की सुविधा के लिये नहीं मिला है और इसलिये भी नहीं मिला है कि ला में अधिक एडमिशन हो जाय बल्कि यूनिवर्सिटी में ला के विद्यार्थियों की संख्या को कम करके और बावजूद वहां हैड आफ दि डिपार्टमेंट, डीन और एकेडेमिक कौंसिल की इस इच्छा के कि ला में अधिक लड़कों का एडमीशन हो, उन्होंने कायस्थ पाठशाला और अग्रवाल कालेज को एफीलियेशन दिया...

श्री अध्यक्ष—वह इसका जवाब देंगे।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं नैनीताल के माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जहां तक सब यूनिवर्सिटीज का ताल्लुक है, वहां तक मैं इनकी राय से सहमत हूं; किन्तु जहां तक लखनऊ यनिवर्सिटी का ताल्लुक है, मैं

[श्री सुरथबहादुर शाह]

माननीय सदस्य के संशोधन से कुछ इख्तलाफ रखता हूं। यदि यह विधेयक केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये लागू होता तो मुझे माननीय मन्त्री के प्रस्ताव के समर्थन का सौभाग्य प्राप्त होता, किन्तु दुर्भाग्य से यह विधेयक सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर लागू किया गया है। मान्यवर, इस प्रकार से छोटे-छोटे विधेयकों के द्वारा ९ महीने से लेकर १२ महीने तक विश्वविद्यालयों की रोजाना की बातों में खलल देकर उनके हक को छीनना, मेरा यह विश्वास है, उनकी स्वतंत्रता और उनकी आटोनामी पर कुठाराघात है। श्रीमन्, सरकार को यह जेबा नहीं देता, सरकार के लिये यह उचित नहीं है, कि विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता उनकी आटोनामी पर कुठराघात करें, उन पर प्रहार करें। मुझे अफसोस है कि हमारे आजमगढ़ के माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर के चले गये और उन्होंने दूसरों की बात सुनना उचित नहीं समझा। उन्होंने और माननीय मंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा कि सरकार की नीति नहीं है कि वह विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता छीने।

श्रीमन्, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता, बरसों हुए, समाप्त हो चुकी। वह तब ही खत्म हो चुकी जबकि एक कैबिनेट मिनिस्टर वहां का ट्रेजरर बन बैठा। वह तब समाप्त हो चुकी जब कांग्रेसी मिनिस्टर और कांग्रेसी आचार्य ने मिल कर वहां पुलिस बुलवायी और गोलियां चलवायीं। रही-सही स्वतंत्रता उस समय समाप्त हो चुकी जबकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने अपने चुने हुए नुमाइन्दों को वहां की बाडीज में ठूंस कर वहां के वातावरण को दूषित कर दिया। अब उसकी स्वतंत्रता और आटोनामी पर तरस! उसको न लेने का विचार!! यह किस मुंह से कहा जाता है, मुझे आश्चर्य है। मैं तो शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर हमेशा एक दलबन्दी और राजनीतिक दृष्टि से देखा है। सन् १९५७ में एक विधेयक लाया गया, मगर उसकी स्याही सूखने भी न पायी थी कि एक्स-प्लेनेटरी क्लाजेज चालू किये गये। वह विधेयक इस वास्ते लाया गया था कि एग्जीक्यूटिव काउन्सिल में जो बाहरी सदस्य हैं उनके ऊपर रोक लगायी जा सके। मिनिस्टर की तिकड़मबाजी के कारण वे बाहर के मेम्बर जो एग्जीक्यूटिव काउन्सिल में ९ से २९ बरस तक यूनिवर्सिटी के सीने पर मूंग दलते रहे, उन पर रुकावट लगे, लेकिन थोड़े ही दिन बाद परिवर्तन हो गया और दूसरा विधेयक लाया गया और वह इस वास्ते कि वे कायम रहें। तो यह क्या तमाशा है? यहां की शिक्षित जनता और विश्वविद्यालय के आचार्य और टीचर के आहिमान होने पर हमारे शिक्षा मंत्री ने यह उचित समझा कि इस विधेयक द्वारा कुछ रुकावटें पैदा करें, लेकिन कबल इसके कि उनका कुछ असर हो सके एक दूसरे विधेयक की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी गयी और वह इस वास्ते कि वे लोग जिन पर रुकावटें लगाने का विचार था वह कायम और बरकरार रहें। यह विधेयक थोड़े दिन भी न चल सका, इसका कारण क्या है? हमारे काबिल शिक्षा मंत्री और उनके महाकाबिल सलाहकार क्या करते हैं और खासकर उनका लीगल डिपार्टमेंट।

(गणपूर्ति के अभाव में घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जब इस किस्म के फाल्टी लाज, गलत कानून बनते रहे और ट्रेजरी बेंचेज फख्र करती रहीं कि ऐसे कानून कभी प्रस्तुत ही नहीं हो सके थे, तो मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इन मंत्रियों के मंत्रिगण, सलाहकार क्या करते रहे। एक सदस्य राजा सर महाराज सिंह द्वारा प्रस्तुत जो प्राईवेट मेम्बर्स बिल था, उसने ३५ वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्य को बड़े आराम और सुविधा के साथ चलाया, परन्तु इनके लीगल ऐडवाइजर्स की बदौलत एक ऐसा विधेयक नहीं आ पाता है जो कुछ दिन चालू हो सके। मंत्री महोदय यहां नहीं हैं, परन्तु उनके उपमंत्री विराजमान हैं, मुझे आशा है कि वह मेरा निवेदन उन तक पहुंचाने की कृपा करेंगे कि मुझको इस बात का संदेह है कि उनके इशारे से तो ऐसा नहीं होता। मुझे आशा नहीं है, मगर संदेह है। यदि ऐसा नहीं है, तो मंत्री महोदय

यह बतायेंगे कि उनकी ओर से कोई इशारा नहीं हुआ है तो क्या उन्होंने कभी अपने लीगल डिपार्टमेंट से यह पूछा या जवाब तलब किया है कि क्यों नहीं ऐसा विधेयक बन पाता है। एक प्राईवेट मेम्बर्स बिल की बदौलत ३५ वर्ष काम चला, और यहां डिपार्टमेन्टल आगमेंटेशन हो रहा है, फूलते चले जा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में वृद्धि होती चली जा रही है परन्तु इनके यहां कोई दिमाग वाला नहीं है ? क्या वे सोते रहते हैं ? दे ट्राई टु हेच इट, दे सिट ओवर इट, अंडे सेते हैं।

श्रीमन्, इस बिल के द्वारा मुझे यह आशा थी कि बहुत सी बातें जिनके लिए लखनऊ की शिक्षित जनता और लखनऊ विश्वविद्यालय के आचार्य तथा अध्यापक उत्सुक थे उन बातों का इसमें जिक्र किया गया होगा। मुझे यह आशा थी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक यह विधेयक बनाया गया होगा जिसमें वह बातें दूर की गयी होतीं, जैसे कि ट्रेजरर की जगह की समाप्ति, राधाकृष्णन कमेटी के आधार पर यूनिवर्सिटी के आनरेरी ट्रेजरार का पद एक नान-ऐकैमेडीशियन लेकिन एक एक्सपर्ट फाइनैंशियर के पास होना चाहिए था। मुझे आशा थी कि उन चीजों की यहां कहीं झलक होगी। मुझे आशा थी कि इस विधेयक द्वारा उस बात की कोशिश की गयी होगी जो १०–१२ वर्ष से लखनऊ विश्वविद्यालय में अप्वाइंटमेंट्स की गड़बड़ी, रुपये पैसे की गड़बड़ी जो चली आ रही है उसको खत्म किया गया होगा, उसको ठीक किया गया होगा। परन्तु दुर्भाग्य से वह नहीं हुआ। उल्टे कायदे कानून लागू किये जाते हैं। उन कानूनों को मुस्तकिल और पक्का किया जाता है जिनके द्वारा वे लोग जो ३०–३५ साल से चले आ रहे हैं और जिनके द्वारा गड़बड़ियां हुई हैं उन्हीं की जगहों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। मैं आदरणीय शिक्षा मन्त्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह विश्वविद्यालय जो कि इस आदरणीय विधान मंडल से दो मील पर स्थित है उसमें पिछले सात वर्षों से जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको स्वीकार करें और उस डर को निकालें जिसकी वजह से वह और उनके कानूनी सलाहकार चुप दबके हुये बैठे रहते हैं। मालूम नहीं उनको क्या भय है ! यह हो सकता है कि गुटबन्दी व दलबन्दी के कारण या सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने जो गल्तियां की हैं, जिसकी वजह से यह मुसीबतें नुमायां हो रही हैं, उसको कायम रखें, एक जगह वह हिम्मत करते हैं कि इसको खत्म होना चाहिये लेकिन फिर मालूम नहीं कि वह खुद सोचते हैं या उनके सलाहकार उनको सोचवाते हैं कि ऐसा न कीजियेगा, यू० पी० सी० सी० का भी ध्यान रहे, तो फिर वह कहते हैं कि ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यह शब्द मैंने किसी पर आक्षेप करने की नीयत से नहीं कहा है और मैं इनको वापिस लेता हूं, यदि किसी पर कोई आक्षेप हो रहा हो। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर किस बात से भयभीत होकर यह किया जाता है। अगर मन्त्री जी दावा करते हैं कि वह जनता के हितैषी हैं, वह तरक्की, तालीम और शिक्षा चाहते हैं और इस मुल्क में, इस प्रदेश में, जवाहर लाल और राजेन्द्र प्रसाद पैदा करना चाहते हैं तो क्यों हिम्मत नहीं करते ? वह मुनासिब चीज क्यों नहीं करते हैं ? क्या वजह है कि राधाकृष्णन रिपोर्ट और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के कहने पर, आज सात साल हो गये लेकिन आपने इंक्वायरी कमेटी बैठाने की हिम्मत नहीं की ?

पिछले १० वर्षों में यूनिवर्सिटी appointments में क्या गड़बड़ियां हुईं, क्या इससे आप वाकिफ नहीं हैं ? क्या इसके लिये आवश्यक है सुरथ बहादुर शाह खड़ा होकर यहां आपको बताये ? तमाम समाचार-पत्रों में निकला करता है, आपको अपने दोस्तों से, अपने मंत्रिमंडल के साथियों से मालूम हो सकता है कि यह गड़बड़ियां हो रही हैं जिसकी नजीर और उदाहरण इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि इस देश में नहीं मिलेंगे जो आपके यहां ला डिपार्टमेन्ट में हुईं। अंत में चांसलर द्वारा नामिनेशन ठीक कराया गया। क्या ये चीजें आपको नुमायां नहीं ? क्या ये आपको नजर नहीं आतीं ? क्या ये बातें ६ फीट के आदमियों को मेरे जैसा ढाई फीट का आदमी समझाये ? यह सब स्पष्ट है, आपको मालूम है लेकिन आप तस्लीम नहीं करते, हिम्मत नहीं करते। इतना आप भयभीत क्यों होते हैं ? लीगल डिपार्टमेन्ट से भयभीत क्यों होते हैं ? आप अपने सलाहकारों से डरते हैं। खुदा जाने इनको कौन सा भय है ! श्रीमन्, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, यद्यपि इसकी आवश्यकता

[श्री सुरथबहादुरशाह]

नहीं लेकिन मैं आदरणीय शिक्षा मन्त्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी वह जगह है जहां कि हमारे भविष्य को और हमारे विचारों को बनाया जाता है और ट्रेन किया जाता है ; यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय वह जगह है जहां हमारे कल के आने वाले राजेन्द्र प्रसाद और जवाहर लाल शिक्षा लेकर निकलेंगे । मान्यवर, यूनिवर्सिटी वह जगह है जहां शिक्षा-शैली का जन्म होता है, यूनिवर्सिटी विचारों का कोष है (It is the repository of thoughts) जब वह इतने पुनीत स्थान हैं तो फिर उनके साथ इस प्रकार की खिलवाड़ क्यों ? इस आदरणीय सदन के मंत्रियों के द्वारा मुझे इस प्रकार की आशा नहीं थी ।

श्रीमन्, यह कहा गया है कि हर एक चीज नाशवान है । विश्वविद्यालय की इमारतें खत्म हो जायंगी, विश्वविद्यालय के एपरेटस और फरनीचर खत्म हो जायेंगे और जिस जगह वह बना हुआ है वह भी मिट्टी से ढक जायगी और फिर कोई आर्कलोजिस्ट इस बात का पता लगायेंगे कि यहां इस प्रकार की कोई बिल्डिंग थी । किन्तु, श्रीमन्, एक चीज कभी नष्ट न होगी वह हमारे विचार जो लाइब्रेरी में हम पुस्तकों में प्रीजर्व करते हैं, वे कभी नष्ट न होंगे; वे अमर रहेंगे यानी Everything will vanish except our thoughts which we will leave in the archives of our libraries. यानी हर एक चीज नाशवान है सिवाय उन विचारों के जो हम लाइब्रेरियों में छोड़ जायेंगे । आज चाहे समाज और आपके खुशामदी आपकी खुशामद में भले ही यह कह दें कि आप जो कुछ कह रहे हैं वह बहुत अच्छा है, सत्य वचन महाराज; परन्तु एक समय के बाद जब आपके वह विचार लाइब्रेरी से निकलेंगे तो नयी पीढ़ी के लोग आपको क्षमा नहीं करेंगे । ऐसी परिस्थिति में कृपा करके अब भी जागिये । यह जो बूंद बूंद करके आप अपनी इनायत टपकाते हैं और जिसका श्रेय लूटना चाहते हैं यह आपके लिये कोई गौरव की बात नहीं है क्योंकि यह जमाना तो आपसे gallons में चाहता है ।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण के समय यह फरमाया कि यह बहुत कुछ कर्जों की वजह से लाया गया है । लखनऊ और इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों ने धीरे-धीरे करके १७-१८ लाख रुपये के करीब कर्जा कर लिया था और हमारी सरकार ने रफ्ता-रफ्ता करके उसको अदा किया । माना, लेकिन उसको अदा करना ही चाहिये था । इसी के लिये आप ऋण लेते हैं, इसी के लिये हम लोगों से आय कर भी वसूल करते हैं । तो क्या उसका बहाना बना कर आप यह रुकावटों का विधेयक लाना चाहते हैं ताकि इस प्रकार के कर्ज न लिये जा सकें ? यह आपके लिये शोभा की बात नहीं है । किसी भी प्रगति के समय रुपये की आवश्यकता होती है और रुपये के लिये कर्जा लेना ही पड़ता है जहां भी जब कभी भी आप किसी चीज की प्लानिंग करें या किसी चीज का. . . .

(इस समय १ बज कर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुयीं ।)

अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार को उन संस्थाओं के कर्जे का निवारण तो करना ही पड़ेगा जिनके द्वारा जनता में एजूकेशन फैलती है । इन लोगों का यह कहना कि इन यूनिवर्सिटियों पर कर्जा इतना बढ़ रहा था कि अब उसके ऊपर रोक लगाना जरूरी है, तो क्या मैं शिक्षा मंत्री जी से नम्र निवेदन करते हुये आपके द्वारा पूछ सकता हूं कि क्या कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय के इतिहास में, इस देश में, दूसरे देश में, विलायत में, इंगलिस्तान में, पाकिस्तान में, आज तक यह सुनायी दिया है कि कर्जे के कारण किसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नीलाम हो गयी और उसकी लेबोरेटरीज या ऐपरेटस सब कुर्क हो गये । नहीं, बेसिस तो वह होता है कर्जे के लेने का लेकिन उसकी नौबत नहीं आती । अगर आप इस तरह से उनके कर्ज लेने पर रोक लगा देंगे तब उनकी स्वतंत्रता और आटोनोमी कहां रह जायगी ? अगर लखनऊ

यूनिवर्सिटी के लिये यह कहें तब तो बात दिमाग में आती है लेकिन वैसा न कह कर घुमा फिरा कर बात कहते हैं। तसलीम नहीं करते। कर्जा हुआ यह तो ठीक है लेकिन यह नहीं कहते कि क्यों कर्जा हुआ।

माननीय मंत्री जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भलमनसहत की तारीफ करते हुए पिछली मर्तबा कहा था कि पिछला कर्जा जो १६, १७ लाख के करीब था उसे अदा करने के बाद अब तक केवल ३ लाख कर्जा ही उसने किया है। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सन् ५४ से ५८ तक फिर २० लाख के करीब कर्जा कर लिया यानी सब मिलाकर करीब ४० लाख के कर्जा हो गया है। लेकिन क्यों कर्जा हुआ, किसने यह कर्जा किया, उसका नाम नहीं लिया जाता। अगर नाम लें तो सत्तारूढ़ दल पर, उसकी गुटबन्दी पर, उंगली उठेगी। यह भला कैसे हो सकता है? क्यों नहीं वे हिम्मत करते? अगर नहीं हिम्मत करते तो वे अपने सलाहकारों की बात ही मानें। उनके तो बड़े-बड़े सलाहकार हैं, बड़े-बड़े ऐडवाइजर, एजूकेशन डाइरेक्टर, लीगल डाइरेक्टर, पब्लिक हेल्थ डाइरेक्टर आदि बड़े नाम वाले बड़े काबिल लोग हैं जो आचार्य रह चुके हैं, उनको पढ़ा चुके हैं, वे क्यों नहीं एक छोटा सा विधेयक ले आते? आज से ३५ साल पहले स्वर्गीय राजा महाराज सिंह जी ने एक प्राइवेट विधेयक सदन के सामने रखा था। श्रीमन्, मुझे तो बड़ी हैरत है, मेरी अक्ल काम नहीं करती कि मैं क्या कहूं। मुझसे पहले आजमगढ़ के आदरणीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं थीं। बहुत सी बातें तो मैं कबूल करता हूं कि मैं समझ ही नहीं पाया, मेरी अक्ल में ही नहीं आयी या मैं कुछ सुन नहीं सका या सुन सका तो समझ नहीं सका। कुछ बातें तो ऐसी थीं जिनको यहां दोहराना, मैं इस आदरणीय सदन में कहने के काबिल नहीं समझता और यहां कहना जेबा नहीं देता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज यहां कौन सी ऐसी बात हो रही है जिसके द्वारा सरकार स्वतंत्रता नष्ट कर रही है। उसके बारे में तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका कि वह किस स्वतंत्रता की बात करते हैं यह तो मुझे नहीं मालूम लेकिन वास्तव में जो स्वतंत्रता है, विशेषकर लखनऊ विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता जहां पर कि मैं पढ़ा हूं ३० साल बीते वहां की स्वतंत्रता की बात हो तो मैं उसे अर्ज कर चुका। लेकिन किसी विशेष प्रकार की स्वतंत्रता अगर सरकार कायम करना चाहती है तो उस स्वतंत्रता को या तो सदस्य आजमगढ़ जानें या माननीय मंत्री जी जानें या मंत्री महोदय के सलाहकार और उनके लीगल एडवाइजर या डिप्टीज जानें लेकिन हमारी समझ में तो उनकी बात नहीं आती।

फिर वह कहते हैं कि कहीं-कहीं ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें वह बाधक हो रही है। मुझे कहने की श्रीमती इजाजत दें, मैं कहने के लिये मजबूर होता हूं कि उनके जो तजुर्बात हैं वे केवल स्कूल तक ही सीमित हैं। वह विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता की और स्कूलों की स्वतंत्रता के अन्तर को क्या जानें? उन्होंने इस बिल के समर्थन में कहा कि यह बिल बहुत अच्छा है, मगर इसके बाद एक इससे भी अच्छा बिल लाना चाहिये। यानी यह कि आज एक कानून आ गया, ७ साल बाद फिर एक संशोधन आ जावे, फिर कोई एग्जिक्यूटिव आर्डर निकल जाय और फिर कोई स्टेट्यूस बन जावें। न मालूम वह क्या समझते हैं? यहां बैठने वाले क्या बिलकुल बेवकूफ हैं, अहमक हैं या उल्लू हैं? वह कुछ समझते ही नहीं? यह क्या तरीका है कि बेवकूफ बना कर. . . . .

श्री दवनारायण भारतीय—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने अहमक और उल्लू शब्दों का प्रयोग किया है, क्या ये शब्द पार्लियामेंटरी हैं?

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने कहा कि वह ऐसा समझते हैं।

श्री सुरथबहादुर शाह—श्रीमती, मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई बदगुमानी नहीं है, न मैं किसी पर हमला करता हूं न किसी को कोई अपशब्द ही कहता हूं। यदि वह अंग्रेजी में कहने की इजाजत दें तो कहूंगा कि :

"Do these self-conceited treasury benches consider us to be idiots ?"

[श्री सुरथबहादुरशाह]

यह अनपार्लियामेंटरी नहीं है। इसका अनुवाद या तर्जुमा मैं किये देता हूं कि हम यह कहने को विवश होंगे कि क्या वे अहंकारी जीव, जो गरूर में मस्त हैं, हमको अहमक, उल्लू और बुद्धू समझते हैं? मैं और किन शब्दों में उसका अनुवाद करूं?

खैर, मेरे कहने का मतलब यह था कि वह फरमा रहे थे कि यह बिल तो बहुत अच्छा है और इसके बाद सरकार को एक ऐसा बिल लाना चाहिये कि जो इससे भी ज्यादा अच्छा हो। यह सुनकर हमें आश्चर्य और ताज्जुब होता है, उन्हीं की सरकार, उन्हीं के मंत्री, उन्हींके नौकर---हम लोग तो मुक्तखोरों में हैं--इत्तफाक से यहां आ गये, यह ऐसा समझते हैं। गो हम मेजारिटी वोट से आये हैं और वह माइनोरटी वोट से आये हैं जो उनके लिये एक आई ओपिनर है और एक इशारा है सन् ६२ के लिये। बाकी यह फर्क जरूर है कि उनके साथ दस चपरासी चलते हैं। मोटर पर झंडा उड़ता है जो उन्हें concieted बना देता है। तो निवेदन करने का तात्पर्य यह था कि वह खुद इस बात को स्वीकार करते हैं और अगर नहीं स्वीकार करते तो दिल में मानते हैं और वह जानते हैं कि इस प्रकार के छोटे-छोटे विधेयकों से काम नहीं चलेगा। इसके लिये एक अच्छा विधेयक लाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं एक अच्छा विधेयक लाते? क्यों नहीं इंक्वायरी कमेटी बैठाते? क्यों नहीं राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों पर विचार करते? मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि लिल्लाह परमात्मा के वास्ते छोड़िए यह खिलवाड़। यह वह संस्था है कि जो हम लोगों के लिये ही नहीं बल्कि आगे वाली पीढ़ियों के लिये राजनीतिक, आचार्य और नेता पैदा करेगी। इसको सत्तारूढ़ दल की दलबन्दी और गुटबन्दी छोड़कर, रिश्तेदारों का खयाल छोड़कर, यथार्थ राय से चलाना चाहिए, कह दिया कि यह लोग सब बेचने का खयाल करते हैं इसलिये यह कानून लाना चाहिये। यह गलत है। कोई भी संस्था अपने यहां के फर्नीचर को, पुस्तकों को, लाइब्रेरी को, बिल्डिंग को गिरवी भले ही रखें लेकिन बिकने नहीं देगी।

श्रीमती, गोरखपुर यूनीवर्सिटी के बारे में अर्ज करता हूं कि सेक्शन ७ में है कि १० मील के रेडियस के अन्दर दूसरा कालेज नहीं होना चाहिये। क्यों? यदि कोई दानी व्यक्ति हो, कोई वहां दान देने वाला व्यक्ति या शिक्षा संस्था मिल जाय तो क्यों नहीं होना चाहिए? लखनऊ में दो-दो और तीन-तीन मील के रेडियस के अन्दर पचासों कालेज हैं और वहां दस मील की कैद की जाती है। क्यों? यहां तो ५० मील की कैद की गई। ताकि कानपुर, भी शामिल हो सके और हैं। यहां आधा मील के रेडियस के अन्दर आई० टी० कालेज है, सवा मील के अन्दर शिया कालेज है, दो-तीन मील के अन्दर डी० ए० वी० कालेज हैं कान्यकुब्ज वोकेशनल और कान्यकुब्ज कालेज है। तो क्या वजह है कि यहां पर जो हो सकते हैं वहां पर १० मील के रेडियस के अन्दर नहीं हो सके? यदि कुछ संस्थाएं मिल कर या एक कोई व्यक्ति पैसा देने को तैयार हो तो क्यों न उसका उपयोग किया जाय? विलायत में जो बड़ी यूनीवर्सिटी है वह तो ज्यादातर इन्डाउमेंट से चलती हैं। यह डब्लू० डी० ऐन्ड एच० ओ० विल्स जो सिगरेट की कम्पनी है इसकी चार चेयर्स हैं Bristol University में। फिजिक्स की है, मैथमेटिक्स की है, इंग्लिश की है और यूरोपियन Classics और Languages की। इसी तरह अगर आपके यहां कोई व्यक्ति या इंडिवीजुअल हो तो क्यों न उसका फायदा उठाया जाय? इन शब्दों के साथ अन्त में मैं आपके द्वारा फिर मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके लखनऊ विश्वविद्यालय के लिये इस प्रकार का विधेयक यदि लाते तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि ज्यादातर हमारे उधर के बैठने वाले सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त होता और हम उसे अपना सौभाग्य समझते कि एक ऐसा विधेयक आया। तो बैठाइये इनक्वायरी, पता लगावें, जो नियुक्तियों में गड़बड़ियां हुईं, रुपये पैसे में गड़बड़ हुई इन १०, १२ वर्षों के अन्दर और विशेष कर पिछले ७-१०

वर्षों के अन्दर और उसके अनुसार एक ऐसा विधेयक लायें जिससे कि सत्तारूढ़ दल की गुटबन्दियों की महज परवरिश न हो सके बल्कि ऐसी कोई चीज करें जिससे हमारी आने वाली संतान हमको बजाय दोषी ठहराने के हमारी सराहना करे।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—मोहतरमा चेयरमैन साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर अपने खयालात के इजहार करने का मौका दिया। इसी के साथ मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उन खराबियों और कमियों को दूर करने के लिये यह बिल हाउस के सामने रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने काफी तकरीरें दोनों तरफ की सुनीं और संजीदगी के साथ गौर किया और इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि यूनिवर्सिटीज के मौजूदा ढांचे और निजाम में कुछ खामियां ऐसी आ गई जिनकी दुरुस्ती और इसलाह के लिये यह बिल लाना पड़ा। बहरहाल जब दोनों तरफ के सदस्य यह तसलीम करते हैं कि खराबियां हैं और उनको दूर करने के लिये एक बिल की शक्ल में यहां वे इसलाहत पेश किये गये तो मेरी समझ में नहीं आता कि एक दूसरे पर इलजाम लगाने से क्या फायदा है।

बिल उसी वक्त पेश किया जाता है जब कि कुछ खराबियां हमें दूर करनी पड़ती हैं। यह भी कहा गया कि इस बिल के बाद एक ऐसा बिल लाना है जो इससे कहीं ज्यादा अच्छा हो। ठीक है जब खराबियां आपके सामने हैं उन पर ब्रेक लगाने के लिये, आरजी तौर पर रोकने के लिये ताकि इस बीच में हम खराबियां ढूंढ सकें और जो खराबियां सामने हैं वह और न बढ़ सकें अगर हमने आरजी तौर पर एक बिल यहां रख दिया तो कौन सी आफत आ गई? यूनीवर्सिटीज के कायम करने का एक मकसद होता है और वह यह कि खोयी हुई और सोयी हुई जो खूबियां इन्सान की हैं वे पनप सकें और उनसे हम फायदा उठा सकें। तो जब हमारा मकसद यह है और इसी मकसद से यूनीवर्सिटीज बनायीं तो जाहिर है कि उनकी खराबियों को दूर करना भी हमारा फर्ज है। इस एतबार से मैं यह समझता हूं कि जब दोनों तरफ के हजरात इन खराबियों को सोचते हैं तो जल्द से जल्द यह कोशिश की जायगी कि जितनी भी बुराइयां दूर कर सकें वे जल्द से जल्द दूर हो जायं। एक भाई ने यह भी कहा कि तीन दफा अमेंडमेंट पेश हुए। उन्होंने यह एतराज किया कि एक ही दफा क्यों नहीं सोच समझ कर बिल पेश किया गया ताकि घड़ी-घड़ी तबदील करने की नौबत न आती। आज जमाना इस तेजी से बदल रहा है और तेजी के साथ इतनी तरक्की कर रहा है कि आने वाले वक्त के मुताल्लिक नहीं कह सकते कि जो बात आज तय कर रहे हैं उसके मुताल्लिक कल क्या होने वाला है, नया कदम कितनी तेजी से उठने वाला है। इस जरूरत को देखते हुए एक अमेंडमेंट आज हुआ है और कल दूसरा करना पड़े तो जरूरत के मुआफिक हम उससे गुरेज नहीं करेंगे, दूसरा अमेंडमेंट हिम्मत के साथ पेश करेंगे। अगर अच्छाइयां और खूबियां बार-बार पेश की जायं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बात काबिले एतराज नहीं है। अगर जरूरतें नई-नई रोज पैदा होती हैं तो जाहिर है नये नये अमेंडमेंट्स लाने होंगे।

एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि जो ऐक्ट सन् २१ से चल रहा था—३५ साल तक बड़ी खूबी के साथ यूनीवर्सिटी उसके मातहत चलती रही और उसमें कोई अमेंडमेंट पेश करने की जरूरत नहीं हुई तो इस वक्त क्या जरूरत पेश आई। मैं गुजारिश करूंगा कि उस वक्त और इस वक्त में कितना अन्तर हो गया है, उस वक्त की जरूरियात और इस वक्त की जरूरियात को पेशे नजर रखना होगा, आज जितनी जाग्रति, बेदारी, सोच विचार, दूसरों से ताल्लुक वगैरह पैदा हो गये हैं आज से २०-२५ साल पहले वे बातें नहीं थीं। मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि जिस वातावरण से जिस माहोल से हम गुजर रहे हैं यह हमारे तजुर्बे का नया दौर है। डेमोक्रेसी का १०वां, १२ वां साल है इस प्रदेश में। इस दौरान में हमको ऐसी परम्परायें, ट्रेडीशंस रवायात कायम करने चाहिये जिनके तजुर्बे का फायदा आने वाली संतानें उठा सकें। इसलिये मुखालिफत न किया करें। उधर बैठ कर उनका

[श्री अहमद बख्श]

फर्ज यह हो जाता है कि मुखालिफत करें। जो और मुल्क हैं उनकी डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है। बहुत सोच-समझ कर वे एक दूसरे की वहां नोका-टिप्पणी करते हैं। वे इस गरज से इत्तिफाक या नाइत्तिफाक नहीं करते कि वे किस तरफ बैठे हैं। नजरिया यह होना चाहिए कि हर अच्छी चीज से इत्तिफाक करें और हर बुरी चीज की नुक्ताचीनी करें। उनका फर्ज अवलीन यही है कि वे तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी में ब्रेक का काम करें ताकि ऐसी गलतियां न हो जायं जो ब्रेक लगने से उलट जातीं।

इसके बाद मैं यह अर्ज करूंगा कि ५५ में जो ऐक्ट बना उसमें कुछ ऐसी चीजें हुईं जिनसे खराबियां पैदा हुईं। उसमें तनासुब के एतबार से नुमायंदग मिलती थी। उसमें बाधा पड़ी। इस एतबार से उसमें दुरुस्ती करने के लिये १९५७ में दूसरा अमेंडमेंट बिल आया और आज उस पर अमल नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ सबब और कारणों की बिना पर उस पर अमल-दरामद नहीं हो सका। अगर यह इल्जाम लगाया जाय कि इसी तरफ से वह बिल पेश किया गया तो कल यह गलती हो सकती थी, उस वक्त के एतबार से वे खामियां रह सकती थीं, आज वे दूर की जायं तो इसमें क्या मुसीबत है।

इसमें कोई शक नहीं कि यूनीवर्सिटी पर आज कर्जा है, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो एफिशियेंसी बार क्रास नहीं कर सके। मौजूदा हालत में कुछ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार के दिये गये हैं जिनको नहीं दिया जाना चाहिये था। जो खर्चा है उसमें रेकरिंग तथा नान-रेकरिंग की मदें नहीं है, सारी मदें एक जगह जमा हैं। मैं यह गुजारिश करूंगा कि इस बात पर ध्यान दिया जाय कि रेकरिंग तथा नान-रेकरिंग ग्रान्ट्स का हिसाब अलग-अलग रखा जाय और जहां तक कि खर्चे का सवाल है उसके लिये इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाय और गौर व खोज के साथ वह इस नतीजे पर पहुंचे कि क्या-क्या उसमें दुरुस्ती हो सकती है। जहां तक कि ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट का ताल्लुक है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि हम ट्रेजरार की पोस्ट को उड़ा दें और उसकी जगह एक एकाउन्टेन्ट होना चाहिए। तो जब ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो एकाउन्टेन्ट कर सकता है तो मेरे खयाल से कोई जरूरत नहीं है कि ट्रेजरार की पोस्ट रखी जाय। इस पर सरकार गौर करे। जब उसमें तमाम इन्क्वायरी हो चुके और वह इस नतीजे पर पहुंच सके कि किस जगह क्या-क्या खामियां हैं तो फिर उन चीजों को रफा करने में वह कामयाब हो सकती हैं और उसके बाद एक अच्छा बिल आपके सामने आ सकता है। इसमें शक नहीं कि यह बिल पार्शल अच्छाइयां पैदा करेगा, पूरे तौर से अच्छाइयां नहीं पैदा हो सकतीं जो काफी गौर व खोज करके बिल आने के बाद होंगी। इसलिये मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि वे इन्क्वायरी कमेटी जरूर बिठायें जो तमाम छानबीन करे ताकि इन चीजों को हम दूर कर सकें। यही मुझे अर्ज करना था।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीया, आपकी आज्ञा से मैं प्रवर-समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह जो हमारे सामने विधेयक है इसमें ४-५ चीजों की आवश्यकता बतायी गयी है जिनके आधार पर यह विधेयक पेश है। सबसे प्रथम आवश्यकता तो यह बतायी गयी कि विश्वविद्यालयों की अचल संपत्ति पर निर्बन्धन लगाया जाय क्योंकि आजकल ये विश्वविद्यालय अपने ऋणों को बढ़ाते जाते हैं यहां तक कि वे ऋण सरकार के सामने अदेय हो रहे हैं। उनकी निरन्तर वृद्धि को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि कुछ निर्बन्धन लगाये जायं। दूसरी आवश्यकता यह बतायी गयी है कि कुछ विश्वविद्यालय, जैसे लखनऊ, इलाहबाद और आगरा, इनमें कुछ पद की अवधि समाप्त होने पर जो नया निर्माण होता है किसी निकाय या प्राधिकारियों का उसके बनने में कुछ ऐसी कानूनी अड़चनें पड़ीं जिनको दूर करने के लिये सरकार कुछ अधिक अधिकार लेना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहती थीं। तीसरे यह कठिनायी दिखायी पड़ी कि इन कानूनों के लागू होने के समय, संक्रमण काल में जो कठिनाइयां होती हैं उनको दूर करने के लिये भी सरकार को आवश्यकता पड़ी। अन्त में सरकार ने एक यह भी आवश्यकता दिखायी है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कुछ उन अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि करने की कोशिश की गयी है कि जो क्षेत्र उनके पास पहले थे और इन क्षेत्रों की वृद्धि में विश्वविद्यालय के कुलपति को कुछ अधिकार भी दिये जाने वाले हैं कि वह चाहे तो अन्य कालेजों को भी सम्बद्धता दे दे।

अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि यह विधेयक लाने के पहले जो अध्यादेश हमारे सामने आया था उसमें भी सरकार ने कुछ अपनी दिक्कतें पेश की थीं, वह ज्यादा स्पष्ट थीं और उससे हम समझ पाये कि सरकार को किस प्रकार दिक्कतें उत्पन्न हुईं। माननीया, जिनती भी दिक्कतें सरकार ने बतायी हैं उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उन कठिनाइयों को जन्म देने वाली यह सरकार ही है। वह अपनी कठिनाइयों को जन्म देती है और उसका प्रतिफल भी भोगती है। प्रथम में उस धारा को लेना चाहता हूं जिसमें यह आवश्यकता बतायी गयी है कि अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर निर्बन्धन लगाया जाय। उसमें है---

"किसी ऋणदाता के कहने पर किसी न्यायालय की आदेशिका द्वारा, विश्वविद्यालय-के विरुद्ध की गयी किसी मांग के निमित्त या उक्त न्यायालय की किसी आज्ञप्ति (डिक्री) या आज्ञा के निष्पादन के हेतु न अभिगृहीत या कुर्क की जा सकेगी और न पृथक की जा सकेगी" इसका तात्पर्य यह है कि इसमें अचल सम्पत्ति के ऊपर कुछ बंधन लगाये गये हैं और मैं समझता हूं कि वह उचित ही हैं।

मैंने यह चीज अपने निजी अनुभव के आधार पर कही है। मुझे इलाहाबाद विश्व-विद्यालय के कोर्ट के सदस्य होने का सौभाग्य मिला है और उसकी सदस्यता की हैसियत से उसकी अंतरिम हालत को भी देखने का मौका मिला बल्कि इसके वार्षिक बजट में मुझे सुनने का मौका मिला कि इसके पिछले साल में बहुत बड़ा ऋण इकट्ठा हो गया है जो करीब १८ लाख के था। हमारी सरकार ने विश्व विद्यालय की इस अड़चन को दूर करने के लिये इसको अदा कर दिया और उसके साथ ही साथ यह समझौता भी किया कि इस विश्व-विद्यालय के आय-व्यय में जो अन्तर हो उसको प्रति वर्ष सरकार दे दिया करे जिससे विश्व-विद्यालय के आगे ऋण में जाने का प्रश्न न आये। ऐसा करने के बाद भी हमने माननीय देशमुख जी से यह सुना कि हमारी प्रगति में बहुत-सी बाधायें धन के कारण हैं और इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है कि हमारी सरकार या तो धन दे या ऋण दे।

इसी विश्वविद्यालय की दूसरे वर्ष की प्रगति को देखकर हमें पता लगा कि ऋण में कोई कमी नहीं है। इसके विरुद्ध माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमने सुना और लखनऊ विश्वविद्यालय की कहानी इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। उसने पिछले कई सालों से करीब २६ लाख रुपये का ऋण इकट्ठा कर रखा था जिसको सरकार ने तीन-चार सालों में अदा किया। वह अदा नहीं हो पाया कि नया ऋण इकट्ठा हो गया और वह करीब १७-१८ लाख के है।

माननीया, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि विश्व-विद्यालयों का ऋणग्रस्त होना स्वाभाविक है क्योंकि जितने वह अपने पैर फैलाते हैं उतनी लम्बी चादर उनके पास नहीं है या जैसी उनकी व्यवस्था या शिक्षा संचालन या ट्रैडीशन्स हैं उनको देखते हुये हम कह सकते हैं कि यह जो विश्वविद्यालय गुलामी के रूप में हमें मिले हैं यह हमारे लिये उपयोगी नहीं हो सकते। इनसे शिक्षा प्राप्त करके जो हमारे नवयुवक आज निकलते हैं उनके बारे में सभी को पता है और यह एक बेकारी की वृद्धि करने का स्रोत हैं और हमारी प्राचीन संस्कृति और पूंजी को नष्ट कर देने वाली हैं। यह खर्चे का इतना बोझा हमारे ऊपर लादती चली जा रही हैं कि हम उठ नहीं पा रहे हैं। यदि यह कहा जाय कि हमारे देश में इन्होंने अच्छी सन्तानें पैदा की हैं तो इससे इंकार तो

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

नहीं किया जा सकता है लेकिन यह कह देना कि यह इनकी ही उत्पत्ति हैं, अन्यथा नहीं होते, तो यह विवाद का सवाल है । देश में इन विश्वविद्यालय के लगाव से बहुतों में गिराव भी आये हैं और उस का परिणाम यह है कि विश्वविद्यालयों में उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता और उसके साथ ही साथ व्यर्थ की कामनायें ऐसी चीजें हैं जो देश के सामने एक समस्या बन गई हैं ।

विशेष तौर से यह तीन विश्वविद्यालय हैं जिनका सीधा संबंध इस विधेयक से है, जिनका परिवर्तन इस विधेयक में सन्निहित है । इन तीनों विश्वविद्यालयों, लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा, इन तीनों की कहानी हमारे सामने प्रतिवर्ष आ जाया करती है जब कि उनके दीक्षान्त भाषण होते हैं । लखनऊ या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषणों के समय पूर्व उपद्रव, जूतापैजार भी होते देखा गया है । मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कोर्ट का सदस्य होने की हैसियत से उसकी १७ वीं ऐनिवर्सरी में मैं शरीक हुआ । मैंने तब विद्यार्थियों का आचरण देखा जब भारत के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू का भाषण हो रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इन यूनिवर्सिटियों में हम क्या कल्चर पैदा कर रहे हैं, क्या शिक्षा और दीक्षा दे रहे हैं ? आज इनकी खर्चीली वृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने हमारे सामने उपाय रखा है और यह बताया कि यदि हम उनका यह अधिकार छीन लें कि वह अपनी अचल सम्पत्ति को विक्रय न कर सकें, बंधक न कर सकें अथवा दानस्वरूप न दे सकें, तो यह खर्चीली वृत्ति रुक सकेगी । लेकिन क्या वह अपनी वृत्ति को बदल सकेंगे ? माननीया जी, जिसका स्वभाव खर्चीला होता है उसका स्वभाव जल्दी नहीं बदलता ।

इन विश्वविद्यालयों से यह कहना कि कर्ज न लें, अपने खर्चे घटाएं, अपने ट्रेडीशंस को बदलें, यह कहां तक सम्भव हो सकेगा ? उनकी साज-सज्जा को देखें, शिक्षा के तरीकों को देखें या उनके अध्यापकों को देखें, तो हम कह सकते हैं उनमें एक भी ऐसी वस्तु आदर्श नहीं है जो इस निर्धन देश के प्रति न्याय कर रही हो । मुझे एक कुलपति से बात करने का मौका मिला और मुझे यह कहने का साहस हुआ कि यदि आप सादगी बर्तें तो हो सकता है कि आपके विद्यार्थी भी सादगी बर्तें । उनका जवाब था कि सादगी की बात न कहिये, हम अपना स्तर नहीं गिराना चाहते । उनका यह भी कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय का स्तर गिरा रहे हैं । मुझे उनकी बात सुन कर उनकी बुद्धि पर लज्जा आयी । एक कुलपति, जिसकी इस प्रकार की बुद्धि हो, वह इस निर्धन देश के साथ कैसे न्याय कर सकेगा ? सरकार उनसे आशा करती है कि वह ऋण नहीं लेंगे लेकिन उनकी यह आशा निराशा में परिणत होने वाली है । ऋण लेने वाला कोई न कोई उपाय निकाल ही लेता है । अगर किसी लड़के को सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है तो वह चोरी करने का मौका न पाने पर, और अपने पिता के रोकने पर भी, कोई न कोई ऐसा मौका निकाल लेता है जिससे वह अपनी आदत पूरी कर सके । इसी प्रकार विश्वविद्यालयों की यह खर्चीली वृत्ति विधेयक में थोड़ा सा परिवर्तन करने से न बदल पायेगी जब तक कि इनके आधारभूत तरीकों को न बदला जाय, जो इनकी जड़ में हैं और जिनकी वजह से विश्वविद्यालयों की दशा बिगड़ रही है । इसी धारा का जो प्रतिबन्ध है वह यह है :—

"प्रतिबन्ध यह है कि खंड (२) के उपबन्ध इस अध्यादेश के प्रख्यापित होने के पूर्व निष्पादित किसी बन्धक या संविदा किये गये किसी ऋण पर प्रवृत्त नहीं होंगे ।"

इसका अर्थ यह है कि जो यह प्रतिबन्ध दिया हुआ है यह इस खंड के लागू होने के पहले जो ऋण हैं उन पर वह लागू नहीं होगा ।

इसमें यह दिया हुआ है :—

"Provided that the provisions of clause (ii) shall not be applicable to any mortgage executed, or debt contracted prior to the date of coming into force of this Act."

इस ऐक्ट के आने के पहले जो कुछ भी उन्होंने खर्चा कर दिया है या डेट ले लिया है उन पर यह लागू न होगा । मैं जानना चाहूंगा कि यह उपबन्ध लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी ? इस कानून के लागू होने के पहले यह उन्होंने कोई गलत काम किया है जिसको कि आज हम जान पाये हैं कि वह गलत है तो क्यों न हम उनसे कहें कि वह अपना कदम पीछे हटायें, उसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दें जिससे कि उनके द्वारा की हुई चीज निरर्थक बने । लेकिन हम पाते हैं कि सरकार एक तरफ अपनी कुछ नीति बरतना चाहती है और दूसरी तरफ उनको हटा लेना चाहती है और उनके किये हुये अनेक कार्यों को करने देना चाहती है । श्रीमन्, मैं ज्यादा न कहकर केवल एक बात की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि सरकार का यह जो प्रयत्न है उससे वह इस प्रवृत्ति को दूर करने में निष्फल हो जाने वाली है, क्योंकि जड़ की दवा सरकार नहीं कर रही है । पहले उसको उन्हें कम खर्चीला बनाने की कोशिश करनी चाहिए । उसे पहले ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि शिक्षा सस्ती हो, निर्धन व्यक्ति के लिए भी उसे प्राप्त करना सम्भव हो, केवल धनी लोगों के लिए ही न हो । इसके अलावा हमारी शिक्षा भी हमारे देश के उपयुक्त होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए जो कि हमारे बीच में बेकारी फैलावे ।

इस विधेयक में जो विशेष बातें हैं जो कि तीनों ही विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में सरकार लागू करना चाहती है वह हैं पद या सदस्यता की अवधि समाप्त करने का अधिकार और दूसरा है कठिनाइयों के निवारण का अधिकार । ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको कि सचमुच में हम यह कह सकते हैं कि सरकार ने यह अपनी बड़ी भारी भूल की स्वीकारोक्ति के रूप में रखा है । तीनों ही विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में जो धारायें रखी हैं और जिनको कि आज वह परिवर्तित करना चाहते हैं, जिन शब्दों का परिवर्तन करना चाहते हैं यदि हम दोनों ही रूपों को अपने सामने रखें कि पहले क्या रूप था और आज क्या रूप होने जा रहा है तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही कम अन्तर है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह शब्दों के हेर फेर से या किसी किसी जगह आई का नुक्ता निकाल देने से किसी जगह टी का डैश निकाल देने से, अगर वह समझते हैं कि वह इसमें सफल हो जायेंगे, तो यह उनकी भूल है ।

इन तीनों ही विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जो तत्सम्बन्धी धारायें थीं जिनके लिए पिछले साल सरकार नया विधेयक लायी उनमें आप देखें कि जो भी परिवर्तन आज सरकार चाहती है वह कर सकने की क्षमता पहले की धाराओं में थी । वह होते हुए भी उन धाराओं का उल्लंघन किया जा सका और उन धाराओं को बाईपास किया जा सका । आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जो कानून हम बनाते हैं उनके उपबन्धों को लांघने की योजना पहले ही बना ली जाती है । उसके लिये रास्ते लिये जाते हैं । एक कहावत है 'तुम डाल डाल हम पात पात" । व्यापारी वर्ग आज इस काम में बड़ा कुशल है । ज्योंही सरकार की तरफ से कोई कानून बना वह उससे निकलने का रास्ता ढूंढ़ लेते हैं । आप देखें कि पहले जो अध्यादेश था उसका जो प्रख्यानात्मक ज्ञापन मंत्री जी की तरफ से दिया गया है उसमें अपनी असमर्थता का पूरा विवरण सरकार ने दिया है कि किस प्रकार से उनकी बनाई हुई धाराओं का सफलतापूर्वक लोगों ने उल्लघंन किया और सरकार के बनाये हुए कानून को निष्फल कर दिया । सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में, इलाहाबाद, लखनऊ और आगरे के बारे में, जो संशोधन मंत्री जी लाये थे और उसी समय लाये थे जब नया सदन नये चुनाव के साथ आया था । तो उस समय उन्होंने इस बात की शक्ति दिखाई थी कि वहां पर अध्यापकों और लेक्चरार में जो कुछ असन्तोष है उसको दूर करने के लिये कुछ ऐसा संशोधन रखना चाहिये जिससे वहां सन्तोष हो जाय और शान्तिपूर्ण वातावरण हो जाय । सरकार ने उसके फलस्वरूप ग्रेड में परिवर्तन कर दिया । इसी के साथ-साथ एक बहुत बड़ा सुन्दर परिवर्तन सरकार ने यह किया कि इन यूनिवर्सिटीज का जो प्रथम चुनाव होने को था उसके लिये जो परिनियम बनने थे उसके बनाने का सारा भार सरकार ने अपने ऊपर लिया था कि वह स्वयं बनाकर देगी । उनका कहना था स्टेट्यूट्स के बनाने में विशेष देर नहीं होगी और तत्पश्चात् यूनिवर्सिटीज का चुनाव सरलतापूर्वक हो जायगा ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इन परिनियमों को सरकार ने बनाया और बनाने के साथ उनको लागू करने की योजना सामने रखी। लेकिन इसकी अवहेलना करने वाले जो व्यक्ति थे वह सामने आये और किसी प्रकार से उनको बल मिला और उन्होंने कानूनी रिट दाखिल की और रिट के साथ मौके पर इन्जन्कशन लाये और उस चुनाव को असफल बनाने के लिये उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आखिरश सरकार को इस मुसीबत का सामना करना पड़ा और अपनी गलती को महसूस करना पड़ा क्योंकि रिट रुक नहीं सकती। इसमें ये शब्द हैं कि "इसलिये स्थिति को स्पष्ट करने के लिये कठिनाइयों का निवारण आदेश उसी दिन जारी किया गया जिस दिन हाई कोर्ट ने यह बतलाया कि निर्वाचन सम्बन्धी खण्ड की भाषा स्पष्ट नहीं है"। उस दिन सरकार ने दृष्टिपात किया। तब सरकार को ज्ञान हुआ। तब सरकार ने आदेश जारी किया और इस आदेश को जारी करने के लिये सरकार को पूरा अधिकार जो पहले हासिल था, उसके अनुसार कार्य नहीं किया। इस प्रकार के आर्डर को वह पहले भी ला सकते थे। मैं आपका ध्यान तत्सम्बन्धी धारा की ओर दिलाऊंगा जिसमें सेक्शन ९ में यह लिखा हुआ है कि:—

"At any time after this Act has come into force it shall be lawful for the State Government to do anything necessary generally for giving effect to the provisions of the Allahabad University Act, 1921, as amended by this Act including the making of any statute or the amending of any statute and fixing of dates for the coming into force of such statutes or amendments."

इसमें शब्द यह है कि सरकार कोई भी चीज कर सकती है स्टेट्यूट को चालू करने के लिये और तत्सम्बन्धी बातों को लागू करने के लिये कुछ भी कर सकती है। अब इतना व्यापक अधिकार इसमें दिया हुआ है स्टेट्यूट्स को चालू करने के लिये जिसका कोई अन्त नहीं है। जो रिट सामने आये उस समय यह कहा गया कि निर्वाचन सम्बन्धी खण्ड की भाषा स्पष्ट नहीं थी। जब हाईकोर्ट के सामने यह प्रश्न आया तब सरकार को मालूम हुआ कि ऐसा है। उस भाषा को शुद्ध करने के लिये सरकार कुछ भी कर सकती थी, उसको अधिकार प्राप्त था। सरकार ने यह न करके अपनी कमजोरी दिखाई और वस्तुस्थिति को समझने के लिये अपनी असमर्थता दिखाई। इसके साथ-साथ आप यह देखें कि सरकार को इतना अधिकार प्राप्त रहने पर भी, जो उनको निवारण आदेश का अधिकार प्राप्त था, उसके करने पर भी दूसरी तरफ उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का लोगों को मौका मिला और उन्होंने रिट दाखिल की और उस रिट के दाखिल होने पर सरकार यह समझने लगी कि एक रिक्तता की स्थिति पैदा हो गयी है। सरकार कहती है कि रिटों के परिणामस्वरूप जो इंजेक्शन्स हुए उन से रिक्तता की स्थिति आ गयी। कानून में एक डेडलाक पैदा हो गया। सरकार ऐसे निकम्मे कानून बनावे कि जिनसे एक डेडलाक की स्थिति पैदा हो जाय, अपनी गलती को स्वीकार करे और हमारे सामने ऐसा विधेयक रखे परिवर्तन के लिये कि जिसमें हमें कमजोरियां दिखाई पड़ें तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने कोई नयी बुद्धि हासिल नहीं की।

(इस समय २.०० बजे उपाध्यक्ष, श्री रामन रायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

मुझे यह कह सकने का साहस है कि इन तत्संबंधी धाराओं में तीनों विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जो पद, सदस्यता की अवधि के सम्बन्ध में और कठिनाइयों के निवारण के सम्बन्ध में जो परिवर्तन किये गये हैं वे पहले की धाराओं की अपेक्षा कुछ अधिक उन्नतिशील नहीं हैं। उनमें केवल शब्दों का हेर-फेर करके कोई मूल परिवर्तन नहीं किया गया है और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि सरकार ने कोई नया अधिकार हासिल नहीं किया है और कानूनी निकास के जो रास्ते थे वे खुले रहेंगे। मैं विशेषरूप में दो, तीन बातें मुकाबले के रूप में आप के सम्मुख रखना चाहता हूं। पहले का जो कानून है वह अंग्रेजी में है और इसीलिये मुझे

उन धाराओं को अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। पहला परिवर्तन विशेष तौर से सदस्यता के सम्बन्ध में किया गया। उसका सम्बन्ध लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ११ से है जो इस प्रकार है--

"At any time after this Act has come into force it shall be lawful for the State Government to do anything necessary generally for giving effect to the provisions of the Lucknow University Act, 1920 (U. P. Act V of 1920) as amended by this Act, including the making of any statute or the amending of any statute and fixing of dates for the coming into force of such statutes or amendments."

श्री उपाध्यक्ष--माननीय गौरीशंकर राय जी, आसन की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अब इसमें जो भाषा है उसे आप पढ़ लें। इसमें दिया हुआ है :

"यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी या निकाय के किसी ऐसे सदस्य की पदावधि जो मूल अधिनियम के या इस अधिनियम के अथवा उक्त दोनों अधिनियमों में से किसी के अधीन निर्मित परिनियमों के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित या नामांकित हुआ हो, या

(२) यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी तथा ऐसे सदस्य की पदावधि, जो ऊपरलिखित अधिनियमों तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में या अधिमान के क्रम में आवृत्ति से, जैसी भी दशा हो, यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकारी या निकाय में पदासीन हो या उसका सदस्य हो,

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अधीन जारी की गयी या जारी की गयी प्रकट होने वाली आज्ञाओं और विज्ञप्तियों में उल्लिखित दिनांक या दिनांकों से समाप्त हो जायगी और समाप्त हुई समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रवृत्त रहा हो, भले ही यूनिवर्सिटी पर प्रवृत्त किसी विधि में कोई विपरीत बात हो,"

और इसमें जो शब्द है कि "कैन डू ऐनीथिंग नेसेसरी" तो क्या पहले सरकार के पास अधिकार नहीं था और अब क्या नया अधिकार मिल गया ? वह कौनसी रिक्तता की स्थिति पैदा हुई जिसको पूरा करने के लिये दूसरा अध्यादेश सामने लायी ? तो यूनिवर्सिटयों के सम्बन्ध में, चाहे पदों के बारे में, चाहे सदस्यों के बारे में जितने भी सरकार नियम उपनियम, परिनियम बनाती जा रही है उसमें जो तिकड़मबाजी है उसको सरकार रोक नहीं पायी। मैंने पिछले लखनऊ विश्वविद्यावलय संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में कहा था कि जो ट्रेजरर का पद है वह अभिशाप का रूप बन गया है। यदि राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट कहती है कि ट्रेजरर की आवश्यकता नहीं है, यदि उनकी अवहेलना करके चुनाव करते हैं तो ऐसे आदमियों को वहां रख देना जो गुटबन्दी का श्रीगणेश करें और फिर भी उन्हें सुविधा प्राप्त कर देना, चाहे ऐकेडेमिक कौंसिल हों चाहे सिलेक्ट कमेटी, उनको भंग न किया जा सके और चुनाव न कर सके यह सरकार की अक्षमता है और वही उस का निराकरण कर सकती है। सरकार यह समझती है कि कठिनाइयां बढ़ेंगी और उनको दूर करने के लिये वह एक सर्वोपरि अधिकार ले लेती है जोकि निरंकुश होते हैं। ऐसे अधिकार पहले भी उसे प्राप्त थे जो उन कठिनाइयों का निवारण न कर सके और फिर कठिनाइयों की कठिनाइयां आ पड़ीं और फिर उनको दूर करने के लिये कठिनाई ही सामने उपस्थित कर रही है। धारा १२ जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में है, इसमें लिखा है--

"The State Government may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Principal Act, to the provisions of that Act as amended by this Act, by order published in the official *Gazette*, make such temporary provision as it may deem to be necessary or expedient :

[श्री मोती लाल अवस्थी]

Provided that no such order shall be made after twelve months from the date of the commencement of this Act."

यह पहले की थी, उसके स्थान पर सरकार दूसरे प्रकार की भाषा रख रही है। पहले में यह शब्द हैं कि "मेक सच टेम्पोरेरी प्रावजन्स", कोई अधिनियम भी बना सकती है, जब उसे आवश्यक दिखाई पड़े। अब इसमें यह कहा गया है कि :

"राज्य सरकार किसी कठिनाई के, विशेषतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाई के निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके--

(क) यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम, ऐसी अवधि में, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा"।

तो अब इन दोनों के शब्दों में सरकार की बुद्धि मे जो कुछ भी परिवर्तन दिखाई पड़े लेकिन मेरा ख्याल यह है कि सरकार के पास जो पहले की धारा थी उसमें उन्हें सब कार्य करने की सामग्री थी और, उनके साथ में अधिकार थे और वह स्थिति को सम्हाल सकते थे लेकिन वह सम्हाल नहीं पाये और कठिनाई का निवारण नहीं कर पाये। यह सरकार की कमी है जिसे उसे स्वयं दूर करना चाहिये। सरकार ने जो अधिकार ले रखा है-- "यह निदेश दे सकती है कि यूनिवर्सिटी प्राधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग या निर्वहन, जैसी भी दशा हो, जिसके द्वारा तथा जिस रीति से उस समय तक किया जायगा जब तक कि धारा ११ के अधीन निर्मित परिनियमों के अनुसार उनका संघटन कर दिया जाय"। यह बहुत ही व्यापक अधिकार है। सरकार चाहे जितने भी व्यापक शब्दों में अधिकार ले ले लेकिन जबतक वह समर्थ नहीं है तबतक असमर्थ ही साबित होगी . . .

श्री सुरथबहादुरशाह--उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, इसमें मैं एक विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह कि जैसा मैंने पहले बताने की कोशिश की कि पहले के अधिकारों में और अब के अधिकारों में केवल मात्र शब्दों का अन्तर हो सकता है लेकिन व्यापक अधिकार दोनों में ही सन्निहित थे और सरकार स्थिति को सम्हाल सकती थी। इसमें उपखंड (ग) इस प्रकार से है कि "ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे"। इसमें जो यह टेम्पोरेरी प्राविजन्स की बात रखी गई है, वह तो पहले भी थी। सिर्फ बीच में कुछ हिस्सा परिवर्तित है। लेकिन फिर भी दूसरी बार रखना आवश्यक नहीं है, इसलिये ये दोनों ओवरलैपिंग हैं। एक बात को कई बार विधेयक में रखने से बात काम्पलीकेटेड हो जाती है और हाईकोर्ट में जाकर अल्ट्रा-वायर्स हो जाती है।

हमने इस विधेयक में यह भी देखा कि यूनिवर्सिटियों को उन्हीं चीजों की नकेल में बांधने की कोशिश की जाती है जिनकी वे उत्पत्ति हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उसके निकास निकाल लिये जाते हैं चाहे वे रिट्स की शक्ल में हों या कैसे भी हों। इस प्रकार वे सरकार की इच्छाओं की अवहेलना कर दिया करते हैं। इस कानून की जड़ में वे लोग हैं जिनकी ईमानदारी पर हमें पूरा शक है। ये विश्वविद्यालय जिस प्रकार चल रहे हैं, यह बात हमारे देश के औचित्य पर धब्बा डालने वाली है।

एक बात ७वें खण्ड में है जो विशेषतौर से गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में है। यद्यपि मुझे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कम जानकारी है तो भी मैं दूसरे माननीय सदस्यों ने जो बातें यहां कही हैं उनके आधार पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे सामने गोरखपुर यूनिवर्सिटी कुछ लाडली सी दिखाई पड़ रही है। उसके अधिकार-क्षेत्र में पहले ९ जिले थे और अब बढ़ाकर १४ कर दिये गये हैं। इतना तो मैं मान ही सकता हूं कि हमारे बगल में बैठे माननीय सदस्य फैजाबाद ने फैजाबाद के लिये कुछ शिक्षा चाही थी जो नहीं हुआ, लेकिन सुल्तानपुर, मिर्जापुर और वाराणसी के बारे में मैं नहीं कह सकता कि कौन सी वजूहात से उन्हें गोरखपुर यूनिवर्सिटी के साथ उसके अधिकार-क्षेत्र में वृद्धि करने के लिये जोड़ा गया। एक ही कारण हमारे सामने आया है और वह इस अध्यादेश के ज्ञापन के साथ बतलाया गया है कि बनारस-हिन्दू यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में जो कालेज थे, जिनके नाम भी दिये हुए हैं, डी० ए० वी० कालेज, उदय प्रताप कालेज, हरिश्चन्द्र और बसन्त कालेज...

श्री उपाध्यक्ष—आप अवस्थी जी जरा बैठें। मैं राजनारायण जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यहां व्यवस्था हो चुकी है कि जब कोई माननीय सदस्य भाषण दे रहे हों तो किसी सदस्य को चेयर और उनके बीच में नहीं आना चाहिये। राजनारायण जी ने इस नियम का उल्लंघन किया है, भविष्य में वह ध्यान रखें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—बहुत अच्छा किया, श्रीमन्, आपने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। मगर आपकी आंखें बन्द थीं, आप सोये थे, इसलिये हमने आवश्यकता नहीं समझी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की एक इन्क्वायरी कमेटी के सम्बन्ध में जो लम्बी कहानी है वह मैं यहां नहीं रखना चाहता हूं। उसे शायद हमारे नेता राजनारायण जी रखें। लेकिन जो नाम मैंने अभी लिये उन कालेजों को दूर के विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है। इसके औचित्य में मुझे संदेह है। बनारस के कालेजों की सम्बद्धता यदि हम गोरखपुर के साथ रखते हैं तो उसमें कठिनाइयां पैदा होंगी। उन सारे कालेजों का सारा संचालन उस यूनिवर्सिटी से होगा जहां वे अपना प्रतिनिधि भेजने में दिक्कत महसूस करेंगी। इसी ७ ब. धारा की उपधारा (२) में है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति को अधिकार होगा कि वह ऊपर बतलाये हुए जिलों को कालेजों के अलावा भी दूसरे कालेजों को चाहें तो अपनी सम्बद्धता में आने के लिये स्वीकृति दे दे। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से अधिकार देकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी को बनारस या आगरा के मुकाबिले में क्यों महत्ता देकर उसकी तरफ झुकाव दिखाया जा रहा है? कुछ कारण शिक्षा मंत्री ने बतलाये थे मगर मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब बनारस यूनिवर्सिटी के कालेज हटाये गये तो इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी ने कालेजों के अधिकारियों से या उस नगर के नागरिकों से कोई जानकारी हासिल की है, और क्या उसके मुताबिक मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार के सामने अपने विचार रखे हैं आदि आदि। ऐसी सब शंकाओं का कोई निवारण मंत्री जी की ओर से नहीं किया जा सका।

इस विधेयक में सरकार कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं लाई है। इस विधेयक के पहले अध्यादेश जारी करना सरकार की कमबुद्धि या जल्दबाजी या नासमझदारी ही कही जा सकती है। सरकार ने कहा कि वह यूनिवर्सिटियों के बढ़ते हुए कर्ज को रोकेगी। लेकिन मेरा कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकेगी। उनका ऋण बढ़ता ही जायगा। यदि बलात् रोका जायगा तो या तो यूनिवर्सिटियां अपने शिक्षा के स्तर को गिरा देंगी या विद्यार्थियों का अहित करेंगी या देश में बेकारी फैलाने के लिये माध्यम बनेंगी। अभी-अभी हमारे सामने एक उदाहरण मौजूद है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने कानून के विद्यार्थियों के साथ पूर्ण रूप से न्याय नहीं कर पायी और अनेक विद्यार्थी प्रवेश नहीं पा सके। इधर उधर भटकते फिरे। इसका निबटारा अभी तक नहीं हो पाया। विश्वविद्यालय कहता है कि हम प्रवेश नहीं दे सकते हैं, हम अपनी

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

तादाद निश्चित रखेंगे। दूसरी कालेजेज में भी रोक लगी है। इसलिये अगर रुपया खर्च करने के लिये विश्वविद्यालयों के बीच में बाधा डाली गयी तो अन्ततोगत्वा उसका असर विद्यार्थियों पर ही पड़ेगा। इसलिये सरकार की ऋण लेने पर रोक लगाने वाली नीति सफल नहीं हो सकती। यद्यपि सिद्धांत रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विश्वविद्यालयों को अपने ऋण बढ़ाने देना नहीं चाहिये, उनको खर्चों को घटाने का औचित्य बताना चाहिये। इसके अतिरिक्त गोरखपुर यूनिवर्सिटी के साथ जो लाडलेपन का व्यवहार किया जा रहा है, उसके बारे में भी सरकार को बताना चाहिये कि उसका कारण क्या है।

श्री राजनारायण---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। यह देखिये वह सदस्य नहीं हैं फिर भी भाषणकर्ता और आपके बीच में से जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---पहले आप नियमों को पढ़ लें, फिर आप मेरा ध्यान आकृष्ट करें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमारा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। नियमों में लिखा हुआ है कि जब कोई सदस्य भाषण कर रहा हो तो चेयर और उसके बीच में से किसी को नहीं जाना चाहिये। मेम्बर तो आवश्यकतानुसार इधर से उधर जा भी सकते हैं लेकिन जो मेम्बर नहीं हैं उसके लिये तो और भी आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष---आप नियम देख लें।

श्री राजनारायण---नियम तो इसी प्रकार हैं कि बीच में से कोई न जाय। मैंने इसीलिये आपका ध्यान आकृष्ट किया कि मेरी और चेअर की आंख के बीच में डिस्टर्बेन्स हुआ और मैं आपकी आंख न देख पाया।

श्री उपाध्यक्ष---आप मुझे कोई निश्चित नियम बताइये जिसके अन्तर्गत आप यह प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री राजनारायण---यह तो साफ पार्लियामेंन्टरी पद्धति है और सब जगह यही नियम लागू होता है।

श्री उपाध्यक्ष---आप पहले नियमों को देख लें। मैं बाद में आपको वक्त देने के लिये तैयार हूं।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---वह तो गर्दन झुका कर आये थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैंने इस विधेयक की तमाम खराबियों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। मैं आशा करता हूं कि सदन के सदस्यगण इस ओर ध्यान देंगे। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर ठंडे दिल से विचार करना आवश्यक है। इसलिये प्रवर समिति को भेजे जाने का जो प्रस्ताव है वह बहुत ही आवश्यक है। वहां जाकर उसमें ऐसे परिवर्तन किये जाने चाहिये जिनसे सचमुच कठिनाई दूर हो और सरकार को जो और भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने में सहायता मिले। इन सब चीजों को सामने रखकर इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिये इसको प्रवर समिति के पास भेजा जाय।

***श्री कैलाशप्रकाश** (जिला मेरठ)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विधेयक पर बोलने का मुझे समय दिया। यह विधेयक, जो अध्यादेश इस सदन के बैठने से एक मास पूर्व निकला था उसके परिणामस्वरूप आया है। अध्यादेश पर कहते हुए मैंने माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न किया था कि यदि यह अध्यादेश आप जारी न करते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो यूनिवर्सिटीज पर क्या आफत आ जाती जब तक कि यह विधान सभा बैठ रही है और मैं आशा करता था कि वे मुझे इसका उत्तर देंगे जिससे मुझे इस बात का सन्तोष हो जाता कि अध्यादेश जारी करना जरूरी था। मैंने बहुत गौर से सुना लेकिन मेरे उस प्रश्न का उत्तर मिला नहीं।

श्री प्रतापसिंह--आपका प्रश्न क्या था?

श्री कैलाशप्रकाश--मेरा प्रश्न यह था कि अगर यह अध्यादेश जारी नहीं किया जाता और विधान सभा में यह विधेयक लाया जाता तो इस बीच में क्या आफत आ जाती यूनिवर्सिटियों पर, वह कृपा करके आप बतला दें जिससे इस बात को हम अच्छी तरह से पहचान सकें कि अध्यादेश का लाना जरूरी था। श्रीमन्, उस समय मैंने कहा था कि जो इस विधेयक की धारायें हैं उनकी मेरिट्स या डिमेरिट्स पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वह विधेयक के रूप में आया है लेकिन इस विधेयक में जैसा मेरे और साथियों ने भी कहा, दो तीन बातें हैं और करीब-करीब इस प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों से ये सम्बन्धित हैं। एक धारा तो विशेष उसमें यह है कि किसी विश्वविद्यालय को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी अचल सम्पत्ति को गिरवी कर सके या बेच सके और किसी को यह अधिकार नहीं है कि विश्वविद्यालय की अचल सम्पत्ति को वह कुर्क करा सके या उसके ऊपर कोई अधिकार पैदा कर सके।

श्रीमन्, इसके लिये कहा यह गया है कि क्योंकि विश्वविद्यालयों का कर्जा बढ़ता चला जा रहा था इसलिये इस धारा की आवश्यकता है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मैं इस बात का पक्षपाती और हामी नहीं हूं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी अपने अधिकार के बाहर जाकर काम करे और किसी विश्वविद्यालय के लिये तो मैं बिल्कुल उचित समझता ही नहीं हूं कि जो अधिकार उसको दिये गये हैं उन अधिकारों के बाहर जाकर वह काम करे। श्रीमन्, जब १९५५ में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था तब एक संशोधन अधिनियम में किया गया था और यूनिवर्सिटीज के खर्च करने के अधिकारों को एक कमेटी बना कर काफी सीमित कर दिया गया था। उस धारा में यह स्पष्ट लिखा है कि एक कमेटी होगी जिस कमेटी को इस बात का अधिकार होगा कि यूनिवर्सिटी कितना खर्च करे किस नये मद में, उस चीज को वह सामने लावे। मेरी अपनी जानकारी नहीं है कि उस कमेटी के बाहर, उस कमेटी के फैसले के खिलाफ किसी यूनिवर्सिटी ने काम किया है। और इस सदन में ही नहीं, मंत्री जी की ओर से और कई तरफ से इस बात को कहा गया है। मैं इस बात को बहुत आवश्यक समझता हूं और खास कर उस दशा में जब हमने प्रजातंत्र से अपने को जोड़ा है, जब कि स्वतंत्र होने के बाद हम अपने देश में प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते हैं, जब कि प्रजातंत्र के द्वारा हम अपने देश का उत्थान करने जा रहे हैं तो ऐसी अवस्था में विश्वविद्यालय जोकि शिक्षा की सर्वोच्च संस्थायें हैं, उन की आटोनामी और स्वतंत्रता को मैं बहुत आवश्यक समझता हूं। अगर देखा जाय तो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी बाडी की या निकाय की स्वतंत्रता तभी कायम है जब कि उसे अपने खजाने पर अधिकार हो, उसको अपने नियम बनाने का अधिकार हो और उनको चालू करने का अधिकार हो। यदि इस बिल को देखा जाय तो इसमें पाबन्दी है इस बात पर कि वह किस तरह से अपनी प्रापर्टी को, अचल सम्पत्ति को इस्तेमाल करे, इस बिल में यह भी अधिकार है कि किसी भी विश्वविद्यालय के कोई भी आफिसर या बाडी को सदस्यता से जब जी चाहे, जिस दिन आदेश निकाला जाय उसी दिन समाप्त कर दिया जाय। यह तमाम बातें होते हुये मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी जिस से सब लोग सहमत हैं और स्वयं मंत्री जी भी सहमत हैं और जिस स्वतंत्रता की रक्षा वह करना चाहते हैं उसके अनुकूल वह मुझे बढ़ते हुए नहीं दिखाई देते।

मैं अब उस धारा पर आना चाहता हूं जो अचल सम्पत्ति संबंधी है। यदि वास्तव में प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की कार्यवाही हो रही हो कि उस विश्वविद्यालय

[श्री कैलाशप्रकाश]

के चलाने वालों को अपने उत्तरदायित्व का लेशमात्र भी ख्याल न हो तो मुझे आश्चर्य होता है कि आजतक क्यों चुप रहा गया। इस अधिनियम में अधिकार है कि अगर कोई विश्वविद्यालय गैरजिम्मेदारी से काम करता है और उसकी अचल सम्पत्ति को बेचने या गिरवी रखने का अन्देशा है तो उस विश्वविद्यालय के मुख्य जो वहां के चांसलर इस प्रदेश के राज्यपाल हैं वह सरकार की सलाह से काम करते हैं, कर भी सकते हैं। राज्यपाल को छोड़ भी दिया जाय तो इस के अलावा अधिनियम में एक धारा जैसे कि धारा ७ है जो विजिटेशन की धारा है। उसमें स्पष्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है कि किसी समय भी यदि किसी विश्वविद्यालय की कोई खराबी मालूम हो तो वह उस संबंध में इंक्वायरी करा सकते हैं और इंक्वायरी कमेटी बिठा सकते हैं। जहांतक मेरी जानकारी है मैं नहीं जानता कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी, खैर गोरखपुर यूनिवर्सिटी या संस्कृत यूनिवर्सिटी तो नहीं है और आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में कभी सरकार को आवश्यकता हुई हो कि धारा ७ के अन्दर उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग किया हो। अगर ऐसी कोई खराबी है तो यह धारा है जो इसलिये है कि अगर कोई ऐसी खराबी है और अगर कहना अनुचित न हो तो मैं निवेदन करूं कि केंद्रीय सरकार के जो विश्वविद्यालय इस प्रदेश में हैं उन्होंने जब यह देखा कि किसी यूनिवर्सिटी का काम ठीक नहीं हो रहा है तो उन्होंने इस धारा के अनुसार काम करके उस यूनिवर्सिटी में कुछ कार्यवाही की है। जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं इस बात को हर्गिज प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये कि कोई यूनिवर्सिटी इतनी गैर-जिम्मेदारी का काम करे कि अपनी अचल सम्पत्ति को गिरवी रखने की बात सोचें। लेकिन श्रीमन्, जब अध्यादेश इस विधान सभा में बहस में था तब कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि किसी यूनिवर्सिटी का ऐसा इरादा था। जहां तक कर्जे की बात है, यह तो चलता आया है।

श्रीमन्, इससे भी अधिक एक तकलीफदेह चीज है जो इस धारा से महसूस होती है। इस धारा से केवल इतना ही नहीं है कि सरकार ने कोई पाबन्दी विश्वविद्यालय के ऊपर लगाने का अधिकार अपने हाथ में लिया है बल्कि इस धारा का एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव होने वाला है। यूनिवर्सिटी को अगर कभी आवश्यकता पड़ती हो तो जो कर्ज देने वाले हैं उन कर्ज देने वालों के दिमाग में यूनिवर्सिटी की जो ख्याति है, जो स्टेट्स है, उस पर धब्बा आता है। श्रीमन्, मुझे ऐसा ख्याल है कि सदन में यह एक तर्क दिया गया था कि यह धारा हम इस वजह से खास तौर से रखना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी को कर्ज देने वाले हैं वह इस बात को आंख खोल कर देख लें कि कर्ज दें तो जो उसकी अचल सम्पत्ति है उससे वसूल नहीं कर सकते। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। किन्तु मैं यह सोचता हूं कि एक तरफ तो हमारा सिद्धांत है कि हम प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे, एक तरफ तो हम देश में कोआपरेटिव सोसायटी जो स्वतंत्र हों, बनाना चाहते हैं? हम पंचायतों की स्थापना करना चाहते हैं, गांव-गांव में इस तरह की संस्था स्थापित करना चाहते हैं जो स्वतंत्र हों और दूसरी तरफ हम इस तरह के हालात प्रदेश में पैदा करते हैं कि यूनिवर्सिटी जो कि हमारी शिक्षा के मंदिर हैं, जो शिक्षा के लिये सर्वोच्च संस्थायें हैं, जो प्रदेश के तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स को, तमाम पालिटिशियंस को, तमाम उन लोगों को जिनके हाथ में राजनीति और समाज रहने वाला है पैदा करती है उस संस्था में ही हम विश्वास नहीं रख पाते। उसके अन्दर भी अगर हम इस तरह के हालात नहीं पैदा कर पाते हैं कि इस बात पर विश्वास किया जा सके कि वह अपनी प्रापर्टी को ठीक से रख सकें तो श्रीमन्, यह केवल मेरे लिये ही नहीं बल्कि सबके लिये जो कि प्रजातंत्र को स्थापित रखना चाहते हैं एक शोचनीय विषय है। अगर यूनिवर्सिटी में भी यह परिस्थिति है कि उनसे भी इस बात का अंदेशा हो सके कि अचल सम्पत्ति को गिरवी रख दे, बेंच दे या खराब कर दे तो किस संस्था पर हम यकीन कर सकेंगे?

श्रीमन्, यों तो आज इस देश में बहुत से लोग हैं यह कहने वाले कि इस देश की परिस्थिति में प्रजातंत्र चलने वाला नहीं है, लेकिन मैं उन आशावादियों में से हूं जो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि प्रजातंत्र की स्थापना करनी है, उसमें कठिनाइयां हो सकती हैं। इस तरीके

से श्रीमन्, माननीय मंत्री जी नहीं हैं लेकिन उपमंत्री जी हैं। उनसे बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात पर विचार करें और इस बात की रिस्क उठावें कि अगर कोई यूनिवर्सिटी अपनी अचल सम्पत्ति को खराब करे, गिरवी रखे तो जिस रोज वह गिरवी दे उस रोज उस पर विचार करें, लेकिन उससे पहले कोई इस तरह की आशा करना अनुचित है। मैं य समझता हूं कि हर सदस्य, जो प्रजातंत्र को स्थापित करना चाहता है, उसका फर्ज है कि वह यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके से हो कम से कम इस तरह का वातावरण पैदा करे कि उनको तो यह समझ जा सके कि वे जिम्मेदारी के साथ जो उनकी अचल सम्पत्ति होगी उसको इस्तेमाल करेंगी। मैं समझता हूं मंत्री जी तथा मेरे साथी मेरे इस स्पष्टीकरण को किसी और रोशनी में नहीं लेंगे और मैं यह भी आशा करता हूं कि वह इस पर पूर्णतः विचार करेंगे कि इस क्लाज को रखने से जितना नुक्सान पैदा हो सकता है, जो यूनिवर्सिटीज की प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है, वहां के काम करने वालों के अन्दर जो उदासीनता पैदा हो सकती है, जो शिक्षा पाते हैं, उनकी जो मनोभावना यूनिवर्सिटी के प्रति हो सकती है उन सब को ध्यान में रखते हुए वे विचार करें कि इसको रखना क्या इतना आवश्यक है? मैं नहीं जानना चाहता कि यूनिवर्सिटी की आर्थिक दशा कैसी है, क्योंकि मेरे कई साथी काफी ब्योरे के साथ उसका जिक्र कर चुके हैं, किन्तु एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कभी-कभी विश्वविद्यालय से यह बात सुनने में भी आती है कि जो पैसा सरकार को देय है उसके प्राप्त होने में कभी-कभी इतनी देर लगती है कि यूनिवर्सिटी को कर्जा करना पड़ता है। यदि ऐसी कोई बात है तो मैं समझता हूं मंत्री जी उस प्रशासन की ओर ध्यान देंगे और उसको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे।

श्रीमन्, दूसरी खास बात जो इस विधेयक में है वह यह अधिकार है कि यूनिवर्सिटी की किसी भी बाडी का, किसी भी अधिकारी का, किसी भी बाडी के किसी सदस्य का टर्म जब आदेश हो तभी समाप्त किया जा सकता है। मैं जानता हूं इस बात की दलील दी जा सकती है कि १९५७ में एक संशोधन अधिनियम बनाया गया था उसके अनुसार जो मंशा थी उसको पूरा करने के लिये इसकी आवश्यकता हुई है। जब श्रीमन्, मैं यह बात कह रहा हूं तब यह देखना होगा कि जो विधेयक आज लाने की आवश्यकता पड़ी है, जो इसमें यह अधिकार आज प्राप्त करने की आवश्यकता हुई कि अधिनियम के द्वारा यह अधिकार प्राप्त किया जाय, जो आर्डर हम दे चुके हैं उस टर्म को खत्म किया जाय, वह क्या आवश्यक भी था? क्या दिक्कत इस वजह से पैदा हुई कि यूनिवर्सिटी का काम ठीक नहीं है या कोई और भी कारण है? श्रीमन्, मैंने बहुत ठंडे दिल से इस पर विचार किया है और विचार करता हूं १९५५ से जो संशोधन होते चले आये हैं उन सब को अपने सामने रख कर। यूनिवर्सिटीज के ठीक करने का प्रयत्न १९५५ से हुआ। १९५५ में एक अधिनियम आया, १९५७ में दूसरा आया, स्टेट्यूट्स बने, उनसे स्थिति सुधरी है या कोई दिक्कत पैदा हुई है? इस सब चीज को सामने रखने की मैंने कोशिश की। मैंने नजर डाली है उन तमाम आदेशों पर जो १९५७ के अधिनियम के मातहत जारी किये गये थे। मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता। मैं एक ही विश्वविद्यालय को उदाहरण लूंगा और दूसरों का उदाहरण दे कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का उदाहरण दे कर अपने को वक्तव्य करूंगा। सन् १९५७ के अधिनियम में यह अधिकार सरकार को दिया गया था इस धारा के अनुसार जो मंशा विधान सभा की है उस मंशा को पूरा करने के लिये यदि कुछ बाधायें उपस्थित हों तो उनको हल करने के लिये सरकार आदेश जारी कर सकती है और उस अधिनियम में यह अधिकार दिया गया था परिनियम बनाने के लिये। मैं यह जानता हूं कि वे परिनियम सदन के सामने भी आये। श्रीमन्, वे परिनियम बने। अब जो रिमूवल आफ डिफिकल्टीज के आर्डर्स निकले हैं मेरा ऐसा खयाल बनता है कि इस अधिनियम की यह जो धारा है, जो विशेष रूप से रखी गयी है उसका कारण यह नहीं है कि यूनिवर्सिटी में कोई बड़ी खराबी पैदा हुई है, उसका कारण यह महसूस होता है ये रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर्स हैं, जिनके कारण इसकी आवश्यकता पड़ी।

पहले एक आर्डर जनवरी २७ को निकला, फिर जुलाई १४ को निकला, फिर सितम्बर १५ को निकला। अब एक आर्डर निकलता है नवम्बर २६ को जो कि रिमूवल आफ डिफिकल्टीज

[श्री कैलाशप्रकाश]

फिफ्थ आर्डर के नाम से है। इस आर्डर में यह कह दिया गया कि अथारिटीज के जितने सदस्य हैं उन सबके टर्म्स १५ जनवरी को समाप्त कर दिये गये। क्या विशेषता है इस १५ जनवरी को, कम से कम मुझे अभी तक नहीं मालूम कि १५ जनवरी को क्यों समाप्त कर दिये गये। सन् १९५५ में भी जब संशोधन विधेयक यहां लागू था और इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि जो बाडीज हैं उनको खत्म करके नई बनायी जायं तब भी उस समय यह चीज रखी गयी थी ट्रांजीश्नल क्लासेज में कि इन बाडीज के मेम्बर्स के टर्म्स उस समय खत्म हो जायेंगे जब तक कि नयी बाडीज न बन जायं या नये अथारिटीज को नियुक्त न कर दिया जाय और इतना ही नहीं इस अधिनियम के बनने के बाद भी जो दूसरा आर्डर जुलाई में निकला है उससे भी बिलकुल स्पष्ट है कि ये बाडीज काम करती रहेंगी उस वक्त जब तक कि इनकी जगह दूसरी बाडीज न बन जायं। तो श्रीमन्, क्यों १५ जनवरी को एक खास दिन समझ लिया गया कि इसके बाद इन सब लोगों के टर्म्स को खत्म कर दिया जाय ये सब चीजें हैं जिसके द्वारा यह झगड़ा उठता है, यह चीज है जिसके द्वारा रिट्स यूनिवर्सिटी के खिलाफ दायर की जाती हैं।

कोई विशेष खराबी की बात नहीं है। कुछ लोगों के टर्म्स को १५ जनवरी को खत्म कर दिया गया और यह रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर के द्वारा किया गया। इसके पहले जो रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर्स दिये गये थे उनकी मंशा के विपरीत थे और अधिनियम में इस तरह का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं था। इसलिये जो सदस्य वहां निर्वाचित हुए थे उन्होंने रिट दिये हैं कि क्यों हमारे टर्म को खत्म कर दिया गया।

श्रीमन्, कौन गये कोर्ट्स में, रिट्स किन किन लोगों ने दायर किये ? उन्होंने, कुछ डीन्स ने—जो पहली मई को नियुक्त हुए थे। और ७ मई को, ७ दिन के बाद उनका टर्म खत्म हो गया जब कि तीन साल के लिये उनकी नियुक्ति हुई थी। और इतना ही नहीं कि उनका टर्म खत्म हो गया बल्कि नये परिनियमों के अनुसार हेड आफ दि डिपार्टमेंट रोटेशन से बनते हैं, तो उनके रोटेशन से टर्म भी खत्म कर दिये गये। तो एक व्यक्ति जो रोटेशन से तीन साल के लिये डीन हो सकता था और इसकी आशा लगाये बैठा था उसका टर्म ७ दिन में ही खत्म, हो जाय उसको संतोष नहीं हो सकता। आखिर क्या कारण था जो उनके टर्म को खत्म करना पड़ा ? अगर किसी कारण उनके टर्म को खत्म करना ही था तो क्या परेशानी थी कि इस तरह की बात पैदा कर दी जाती कि उनको अपने रोटेशन में फिर से एक मौका मिल सकता ? तो ऐसे लोगों को रिट पेटीशन में हाई कोर्ट जाना पड़ा। और जो हाई कोर्ट के फैसले हुए हैं उनमें यह कहा गया है कि परिनियमों का या अधिनियम का यह मंशा नहीं हो सकता था कि इस तरह से किसी के टर्म को खत्म कर दिया जाय।

छोड़ दीजिये कानूनी बात को एक। स्वाभाविक बात मालूम होती है कि किसी व्यक्ति को जो बहुत दिन से आशा लगाये बैठा है, जो अपना अधिकार समझता है कि तीन साल के लिये डीन होगा, वह अधिकार कोई अध्यादेश निकाल कर ७ दिन के अन्दर खत्म कर दिया जाय तो उसको जरूर असंतोष होगा। श्रीमन्, मैंने बहुत ठंडे दिल से सोचा है और थोड़ी बहुत जानकारी भी मुझ को रहती है, लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आया कि क्या ऐसी विशेष आवश्यकता हुई कि इस तरह की चीज की जाय। श्रीमन्, इस तरह से यूनिवर्सिटी के चुने हुए मेम्बरों का, नामजद मेम्बरों का एकदम टर्म समाप्त कर देना, मैं नहीं समझता, कहां तक उचित है। औरों की तो बात ही क्या है, इसी सदन की बात मैं कहता हूं कि पिछले वर्ष अगस्त, १९५८ में इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट्स के लिये कुछ सदस्य माननीय सदस्यों ने चुन कर भेजे। अगस्त, १९५८ तक अधिनियम भी आ चुका था और परिनियम भी आ चुके थे। जो मौजूदा अधिनियम और परिनियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। श्रीमन्, अब आपकी तरफ से आदेश हुआ है कि उनको फिर से चुना जाय और वहां नये प्रतिनिधि भेजे जायं जब कि जहां तक मेरी जानकारी है अगस्त, १९५८ में इस सदन

द्वारा जो प्रतिनिधि चुन कर भेजे गये हैं उनका टर्म तीन साल का था। परिनियम इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो लोग आज चुने जायेंगे उनकी अवधि तीन वर्ष की होगी। ऐसी हालत में, श्रीमन्, मैं कासिर हूं इस बात को समझने से और माननीय उपमंत्री जी ने या शिक्षा मंत्री जी ने जब यह प्रस्ताव रखा गया तो, जहां तक मेरी जानकारी है यद्यपि मैं उस समय उपस्थित नहीं था, कोई कारण इस बात का नहीं बताया कि क्यों अगस्त, १९५८ का चुनाव समाप्त कर दिया गया और नये चुनाव करने की आवश्यकता हुई। इस तरीके की परिस्थिति थी।

श्रीमन्, मैं एक चीज की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जिन कठिनाइयों के कारण इस अधिनियम को लाने की अवश्यकता महसूस हुई वह यूनिवर्सिटीज को ठीक करने के लिये नहीं हुई बल्कि वास्तविक बात मालूम नहीं हुई सिवाय इसके कि जो आदेश पहले अधिनियम के बारे में दिये गये थे उनको ठीक किया जाय। इसके बाद जो ५ जनवरी का रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर निकाला गया है उसमें तमाम एलेक्टेड और नामिनेटेड मेम्बर्स का टर्म १६ जनवरी को समाप्त कर दिया गया। मैं यह समझने में मजबूर हूं कि यदि किसी तरीके से सरकार को यह मालूम हो गया था कि १५ जनवरी तक नई बाडीज और अधिकारी नहीं बन सकते हैं तो इस आर्डर के निकालने की क्या विशेष आवश्यकता थी?

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह १५ जनवरी वाली बात लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दोनों के लिये रखी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेंटीनल सेलीब्रेशन्स होने वाले थे इसलिये उन्होंने कहा कि नये चुनाव १५ जनवरी तक नहीं हो सकेंगे इसलिये तीन महीने का समय दे दिया जाय। उनको आज्ञा दे दी गई और मैं इसको उचित भी समझता हूं कि यदि यूनिवर्सिटी को कोई कठिनाई थी तो आज्ञा देना उचित है। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी इसी तरह की प्रार्थना की कि तीन महीने के अन्दर वह चुनाव करके नियमानुसार अपनी बाडीज बना लेंगे, उनको इजाजत नहीं दी गई। यदि यह इजाजत दे दी जाती तो यूनिवर्सिटीज की जो औटोनोमी है वह भी स्थापित रह जाती और तीन महीने में कोई खास काम बिगड़ने वाला भी नहीं था क्योंकि अभी तक उनकी बाडीज नहीं बनी हैं और श्रीमन्, जहां तक मेरी जानकारी है वह यह है कि जिन बाडीज को रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर के द्वारा खत्म किया गया था वह स्वतः समाप्त होने वाली थीं और जुलाई अगस्त में उनका चुनाव होने वाला था। वह तो चुनाव होकर अपने आप बन जातीं। कितना अच्छा होता, यूनिवर्सिटी की औटोनोमी भी बनी रहती और उनको महसूस होता कि हम अपने द्वारा ही अपना काम कर रहे हैं और वह काम भी हो जाता।

श्रीमन्, यह जो मैंने सब बातें एक ही चीज को दरशाने के लिये कही हैं, मुझे महसूस होता है कि बहुत सी कठिनाइयां जो आईं वह आपके रिमूवल आफ डिफीकल्टीज के आर्डर की वजह से आईं और मैं तो यह सोचने लगा हूं कि आप का यह रिमूवल आफ डिफीकल्टीज का आर्डर डिफीकल्टीज को रिमूव नहीं करता है बल्कि पैदा करता है और जैसा कि मैंने एक ही उदाहरण देकर निवेदन किया है उससे मुझे यही प्रतीत होता है। श्रीमन्, मैं इसको मानता हूं कि किसी काम को करने में कभी कभी बाधाएं आ सकती हैं और जिसके हाथ में प्रशासन हो, जिसकी जिम्मेदारी हो, जिस काम को करने की जिम्मेदारी इस सदन ने दी है, उसे करने के लिए उनको यह अधिकार होना चाहिए कि वह उन बाधाओं को दूर कर सकें। किन्तु श्रीमन्, कुछ उदाहरण मैं दे चुका हूं कि रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर्स का जो क्लाज है वह केवल विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नहीं है। हमारे जो और विधेयक हैं उनमें भी यह रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर्स आते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से इस ओर दिलाना चाहूंगा हूं कि ये डिफीकल्टीज ऐडमिनिस्ट्रेटिव इनइफीशेंसी के कारण भी पैदा हो जाती हैं। हमने विधेयक में अधिकार लिया है कि हम स्टेट्यूट्स और रेगुलेशंस बनायेंगे। वे समय के अन्दर नहीं बन पाते। स्वतः

[श्री कैलाशप्रकाश]

डिफीकल्टीज पैदा हो जाती हैं। इस विधेयक में नहीं, मैं दूसरे विधेयक में देख चुका हूं कि चूंकि रेगुलेशंस और स्टेट्यूट्स समय के अन्दर नहीं बन सकते हैं इस वजह से जो अधिनियम हैं उनकी धाराओं को स्थगित कर दो, केवल कुछ धाराओं को लागू कर दो।

श्रीमन्, मैं बहुत विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत होता है और उसको अधिनियम का रूप दिया जाता है तो पूरी तस्वीर उसके सामने होती है। उस पूरी तस्वीर को ले कर सदन अपनी स्वीकृति और अधिकार देता है। उस तस्वीर को पूरा करने में, जो कठिनाई होती है उस को दूर करने का अधिकार सरकार के हाथ में होना चाहिए, उसके अधिकारियों के हाथ में होना चाहिये। किन्तु उस तस्वीर को बदल दो, उसका कोई हिस्सा काट दो, किसी हिस्से में कुछ जोड़ दो यह अधिकार बड़ा अधिकार है और उससे यह हो सकता है कि जो वास्तविक मंशा सदन का हो वह पूरा न होता हो। ऐक्ट को रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर्स क्लाज के जरिये माडिफाई कर दो, उस को ऐडाप्ट कर लो—माडिफिकेशन और एडाप्टेशन उस में हो जाय और जैसा मैंने कहा, मैंने कुछ अध्ययन किया है तीन, चार, पांच साल के अन्दर अ र इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि इस रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर्स क्लाज को बहुत सोच विचार कर रखना चाहिए। ऐडमिनिस्ट्रेटिव इनइफीशेंसी को छिपाने के लिये हरगिज इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशियेन्सी कोई डिफीकल्टी नहीं है जिसके लिये सदन ने अधिकार दिया हो कि द्वारा उसको दूर कर दिया जाय। मुझे कोई एतराज नहीं है कि कानूनी ढंग से, जो बाधा पड़ती हो मन्शा पूरी करने के लिये, मन्त्री के पास उसके लिये अधिकार रहें, किन्तु इस बात को मैं बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि मन्त्री जी मुझसे सहमत होंगे कि जब कभी इस धारा का उपयोग किया जाय उसमें सब से पहले सोचने की बात यह है कि यह डिफीकल्टीज किस तरह से क्रियेट की गईं। क्या जिस चीज को हम ठीक करने जा रहे हैं उसकी वजह से कोई कानूनी बाधा है या हम कुछ ऐसे अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं जिनका अधिकार वास्तव में सदन द्वारा मिलना चाहिये था। हाईकोर्ट ने जो फैसला नवम्बर में दिया है लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलसिले में उन्होंने इस बात के ऊपर एतराज किया है कि सदन द्वारा यह अधिकार प्राप्त नहीं है और सदन या सरकार का यह मंशा नहीं हो सकता था कि इस तरीके से रिमूवल आफ डिफीकल्टी का आर्डर निकाला जायज और उसके लिये बात की जाय। इसलिये श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि यह रिमूवल आफ डिफीकल्टी का जो क्लाज है वह यह भी बहुत विचारणीय है। मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि उदाहरण के लिये मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी को लिया है। यह विधेयक करीब करीब उसी रूप में और यूनिवर्सिटीज पर भी लागू है। पहले भी मैंने कहा था और आज भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात पर बहुत ठंडे दिल से विचार करें कि तमाम प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में इस तरीके की परिस्थिति पैदा है। किसी एक जगह परिस्थिति पैदा हो सकती है, हो जाय। दूसरी जगह कोई परिस्थिति पैदा हो सकती है, हो जाय; किन्तु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती है तो यह हमारे लिये, उनके लिये, जो नवयुवकों के भविष्य में आशा लगाये हुये हैं, जो चाहते हैं कि नवयुवक आगे चल कर देश के प्रजातन्त्र का भार सम्भाल सकें, बहुत विचारणीय और बहुत सोचने की बात हो सकती है। यूनिवर्सिटीज तो कम से कम ऐसे स्थान हों कि जहां पर सब से अधिक शिक्षित समुदाय रहता है, जिनसे हम यह आशा करते हैं कि वह न केवल अपने विश्वविद्यालय को चलाते हैं बल्कि वह प्रदेश और देश की स्थिति का अध्ययन करके, अपना अन्वेषण करके, अपने अनुभव करके इस तरीके का मार्ग प्रदर्शन करेंगे, इस तरीके का प्रकाश देंगे कि जिससे देश की स्थिति ठीक हो सके। जहां एक ऐसा समुदाय, जहां एक ऐसा ग्रुप है पढ़े लिखे व्यक्तियों का वहां पर इस प्रकार की परिस्थिति अगर पैदा होती है तो मैं श्रीमन्, दोहराना चाहता हूं फिर उसी वाक्य को कि अपने प्रजातंत्र के लक्ष्य को सामने रखते हुये हमारे लिये यह बहुत विचारणीय बात हो जाती है। केवल अधिनियम बना कर और इस तरीके के अधिकार प्राप्त कर के मैं यह समझता हूं कि समस्या का हल होने वाला नहीं है। हमें और गहरे

जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज में भी क्या हम इस तरीके का वातावरण नहीं पैदा कर सकते ? इस तरह का प्रवाह नहीं पैदा कर सकते हैं ? यह सरकार और दूसरे पक्ष वालों के लिये एक विचारणीय बात है कि हम वहां मस्तिष्क वाले लोगों से वह अपील नहीं कर सकते कि वह ठीक तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग करें और अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें। और यदि हम वहां यह नहीं कर सकते,वहां हम निराश हो गये हैं और हमें उन पर भी नियंत्रण लगाना पड़ता है और यह महसूस करना पड़ता है कि हर समय प्रदेशीय सरकार को अपने हाथ में अधिकार लेना पड़ेगा तो प्रजातंत्र का भविष्य मुझे बहुत उज्ज्वल दिखाई नहीं पड़ता।

इस विधेयक में जो कुछ खास बातें हैं वह जगह जगह पर स्टेट्यूट्स बनाने का अधिकार या रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर के अन्तर्गत आदेश देने का अधिकार है और वक्त को बढ़ाया गया है। किसी जगह १२ महीने के बजाय ३० महीने किया गया है, किसी जगह ४८ महीन किया गया है और किसी जगह २४ महीने किया गया है। मैं जानता हूं इस बात को कि अगर कहीं ३० रखा गया है तो उसका मतलब ३० महीने का नहीं है, संभव है कि उसमें १८, १९ महीने बीत चुके हों और वह कुल ११, १२ महीने के लिये हो। इसी तरह से जहां ४८ रखा गया है वहां भी है। किन्तु यह बात भी विचारणीय है कि कितना समय निर्धारित करना चाहिये और कम से कम जो समय हो सकता है वह रखने की आवश्यकता है। यह तो मैं नहीं कहता, आज की जो परिस्थिति है और जो दशा यूनिवर्सिटियों में पैदा हो गयी है, उसमें सरकार को ऐसे अधिकार लेने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि जितनी अवधि के लिये यह अधिकार लिये जा रहे हैं, यह बात विचारणीय है कि क्या वास्तव में उतनी अवधि आवश्यक है। क्या उससे कम अवधि में काम नहीं चल सकता ? करीब करीब बहुत सी बातें विचार की हुई हैं और यदि वह विचार की हुई हैं और कुछ कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं तो यह प्रयत्न और प्रयास होना ही चाहिये कि कम से कम समय ले कर इन विश्वविद्यालयों का जो अपना नियमित काम चलता है वह चले और इस सदन को और सरकार को कोई परेशानी न उठानी पड़े।

श्रीमन्, जब यह अधिकार विश्वविद्यालयों में नहीं रहते तो कुछ भ्रम पैदा होता है, कुछ आशंकायें पैदा होती हैं जो यदाकदा सदन में भी सुनने को मिलती हैं और आज प्रमुख विश्वविद्यालयों में इस तरीके की बातें पैदा हैं कि सरकार की ओर से जो बहुत कुछ काम होते हैं उनमें सरकार की मंशा केवल यूनिवर्सिटी को सुधारने की नहीं होती, केवल शिक्षा के स्तर को उठाने और विद्यार्थियों के हित की नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ मंशा व्यक्तिगत रूप से लोगों को सुरक्षा देने की होती है। मैं नहीं जानता कि यह भ्रम है या तथ्य है। किन्तु यह भ्रम भी हो तो विश्वविद्यालय जैसी संस्था को मैं ऐसी जगह समझता हूं जहां उस भ्रम की कोई खास गुंजायश नहीं होनी चाहिये। यदि वहां ऐसी बातें चलती हैं, प्रोफेसर्स और स्टाफ में इस तरीके की चर्चा चलती है, गुटबन्दी और सरकारी पक्ष और विपक्ष की बातें होती हैं तो वह विश्वविद्यालय के लिये अच्छी चीज नहीं है और उसका विद्यार्थियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

हम चर्चा कर चुके हैं कि विद्यार्थियों में अनुशासन नहीं है। हमारे लिये यह एक सर दर्द है। इसके लिये वहां एक वातावरण पैदा होना चाहिए और अगर विद्यार्थी अपने गुरुओं से इस तरीके की राजनीतिक बातें सुनेंगे--गलत या सही--तो उनका दिमाग़ बैलेंस्ड नहीं हो सकता और उसका क्या प्रभाव हो सकता है यह माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं। श्रीमन्, और जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां ऐसी ही बातें हैं। एक इसमें नयी चीज है जो अध्यादेश में भी है। वाराणसी में जो कालेज थे वह सब बन्द होने थे और अध्यादेश जो जारी किया गया उसका एक मुख्य कारण मंत्री जी ने बतलाया था कि इन कालेजों को असंबद्ध करना है बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से और फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय से उनको सम्बद्ध करना था। मैंने यह प्रश्न किया था कि कब से ये कालेज बन्द होने वाले हैं ? मुझे जो अनौपचारिक रूप से सूचना प्राप्त हुई है वह यह है कि हिन्दू विश्वविद्यालय में १९६१ में जो परीक्षा होगी उस परीक्षा तक उनको विश्वविद्यालय से संबद्ध रखा जायगा, यानी जो इन कालेजेज में इस वर्ष विद्यार्थी प्रवेश

[श्री कैलाशप्रकाश]

पायेंगे वह काशी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अपनी परीक्षा दे सकते हैं। मैं नहीं जानता, कहां तक यह बात सही है। मंत्री जी बतलायेंगे कि इसमें वास्तविकता है या नहीं और अगर नहीं है तो फिर वही बात कि इस तरीके का अध्यादेश लाकर इस सदन के ऊपर अवधि की सीमा लगा दी गयी है, इस लिए समय के अन्तर्गत अधिनियम बन जाना चाहिए, वह जरा ठीक नहीं है। क्योंकि कम से कम मैं उस पाबन्दी को महसूस करता हूं। अगर कोई अध्यादेश न आया हुआ होता और अगर इस सदन के बैठने के पश्चात् ६ सप्ताह के अन्दर अधिनियम बना देना न होता तो सम्भव है मैं मन्त्री जी से इस बात की प्रार्थना करता कि वह बहुत अच्छा अवसर ले कर सबन्धित जो अधिकारी हैं यूनिवर्सिटीज के उनको कन्सल्ट करके इस सदन को अच्छी तरह से कन्सल्ट करके, और जितनी यूनिवर्सिटीज में बाडीज बनी हुई हैं उनको कन्सल्ट करके कोई इस तरह का विधेयक लाते, किन्तु जैसा मैंने कहा कि अध्यादेश आया और माननीय मंत्री जी के ऊपर भी इस तरीके से एक वैधानिक सीमा है और वह सब रास्ते, जिनके मैं सुझाव दे सकता था, बन्द हो गये और इसी वजह से मुझे उसका खयाल आता है।

श्रीमन्, मुझे कुछ और अधिक नहीं कहना है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो कुछ समय है जिसके अन्दर इस अधिनियम को पास होना चाहिये और मैं इस बात का भी हामी हूं कि उस समय के अन्दर पारित कर दिया जाय; किन्तु उस समय के रहते हुए मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की बात सुनने के बाद माननीय मंत्री जी विचार कर लेंगे और अगर कोई संशोधन इसमें आवश्यक हों, यूनिवर्सिटी की आटोनामी का ध्यान रखते हुये और जो प्रभाव पड़ता है उसका ध्यान रखते हुये तो उन संशोधनों को स्वीकार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैंने जो कुछ निवेदन किया वह इस चीज को सामने रखते हुए किया है कि एक ओर तो काम चले किन्तु दूसरी ओर हम कोई ऐसी परिपाटी या परम्परा न डाल दें जिससे कि हमारी शिक्षा के जो यह उच्चतर केन्द्र हैं उनमें एक आशंका, एक अस्थायीपन, अनस्टेबिलिटी का वातावरण पैदा हो जाय। श्रीमन्, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विश्वविद्यालय विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने से पहले श्री कैलाश प्रकाश जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि इस विधेयक पर एक तो संतुलित आलोचना दूसरे दृष्टिकोण से हो सकती थी, जिससे मैं अनभिज्ञ था उसके बारे में उनके विचार बहुत ही प्रोफाउन्ड तरीके से मुझको सुनने को मिले। इस विधेयक को पूरा पढ़ने के बाद और जो विचार इस पर प्रकट किये गये उनको सुनने के बाद मैं यह अनुभव करता हूं कि इसका नाम तो जरूर विश्वविद्यालय विधेयक है लेकिन दरअसल यह लखनऊ विश्वविद्यालय विधेयक ही है और एक बहुत बड़ी कहानी इसके पीछे लगी हुई है और मालूम यह पड़ता है कि जैसे कभी ९८ आदमियों का वक्तव्य एक तुरुप की दुक्की की तरह से आता है तो यह लखनऊ विश्वविद्यालय विधेयक तुरुप का इक्का बन कर आ जाता है। और दुर्भाग्य यह है कि यह दुक्की और इक्का रहता जेब में ही है और एक दूसरे को दिखा कर वस्तुस्थिति को जहां की तहां रखने की कोशिश है तथा एक तरह की प्रेशर पलिटिक्स है, यह मेरे लिये कम से कम दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

दरअसल बात यह है कि सन् १९२१ का विधेयक था जो एक लम्बे अर्से से चला आ रहा था और मैं इस बात से सहमत हूं कि विश्वविद्यालयों को ब्रिटिश काल में भी स्वशासन का अधिकार प्राप्त था और उस समय ब्यूरोक्रेसी मर्यादित थी और एक सीमा थी जिसके आगे जाकर वह विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। इसके बाद १९५५ में यह विधेयक पास किया गया और मुझे अफसोस है कि आज जो मेरे मित्र विश्वविद्यालय के स्वशासन की जोरदार पैरवी करते हैं, उनकी ही देखरेख में, अथवा उनकी ही प्रेरणा से, जो १९५५ में विधेयक पास किया गया,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वशासन की रक्षा के नाम पर जिस मशीनरी का कब्जा चला आ रहा था उस के अधिकारों की रक्षा की गयी और वास्तव में जो विश्वविद्यालय के नाम से संबोधित होने चाहिये—अध्यापक और विद्यार्थी— उनको पूरी तरह से शिकंजे में जकड़ने की कोशिश की गयी। फिर आज हम इस बात से कैसे सहमत हो सकते हैं कि विश्वविद्यालय बनाम कुछ सीमित व्यक्तियों को अधिकार दिया जाय अथवा वह व्यक्ति किस प्रकार से विश्वविद्यालय के और तत्वों की उपेक्षा करते हैं और सरकार पर्यवेक्षक बन कर जनता के तत्वों की उपेक्षा होती देखती रहे। १९५५ से पहले यह था कि जो अध्यापक या अल्पसंख्यक लोग अपना प्रतिनिधित्व समितियों और उपसमितियों में नहीं कर सकते थे, बहुमत प्रणाली के द्वारा, उनको एकलसंक्रमणीय वोटिंग के आधार पर पुराने विधान में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार होता था। इस प्रकार विश्वविद्यालय में जो लोग अल्पमत में होते थे उनको भी अपने विचार प्रकट करने का गौरव प्राप्त होता था, लेकिन इस विधेयक ने आकर इस अधिकार को खत्म कर दिया।

इसके अलावा विद्यार्थी हुल्लड़ न करें इसके लिये मानीटर होता था, विश्वविद्यालय कमेटी होती थी। मगर इस लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापक और प्रोफेसर लोग भी हुल्लड़ करते हैं, इसलिये उनमें डिसिप्लिन कायम रखने के लिये अध्यापकों की डिसिप्लिनरी कमेटी की स्थापना की गयी। इसके अलावा और भी जिन अधिकारों को छीना गया, उनके विरुद्ध अध्यापकों और आम जनता ने आवाज उठायी। मगर अफसोस की बात तो यह थी कि जो विश्वविद्यालय की स्वाधीनता के पैगम्बर थे उन्होंने उसके विरुद्ध ही आवाज उठायी। वह विधेयक भी गया और इन विधेयकों के आने जाने की लंबी कहानी का एक सिलसिला है। सन् १९५७ में एक विधेयक आया और उसमें पुरानी जो बन्दिश लगी थी कि अध्यापकों का बहुमत सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर काम करेगा, उसको रद्द कर दिया गया। इसी तरह से एक्जीक्यूटिव कौंसिल में बाहरी सदस्यों के लिये नियम बनाया गया था कि वे ६ साल से अधिक सदस्य नहीं रह सकते, इसके अलावा अनुशासन समिति जो अध्यापकों के विरुद्ध कायम की गयी थी उसको भी भंग कर दिया गया। इस कानून में हुआ क्या? इस कानून में यह भी कहा गया है कि अध्यापकों के जो बहुत से ग्रेड्स हैं उन सब को खत्म करके केवल दो तरह के अध्यापक रहेंगे। यह अध्यापकों के साथ बड़ा एहसान था। सन् १९५७ के कानून में यह चीज जरूर हुई कि सन् १९५५ के कानून में जो कुछ अख्तियारात विश्वविद्यालयों से ले लिये गये थे वे उनको वापस कर दिये गये। तब क्या हुआ? इस पर रिट दाखिल हुआ। कानून में किसी तरह से लूपहोल्स रखे गये या रह गये, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन रिट दाखिल हुआ और सन् १९५७ के कानून की जो धारायें थीं उन पर अमल नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, उसमें यह बात कही गयी है कि बहुत से लोग बाहरी व्यक्ति विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल में चुने जाते हैं वे दो टर्म से फालतू रह सकते हैं एक्जीक्यूटिव कौंसिल में, जिनके डर के मारे और जिससे मुक्ति प्राप्त करने के लिये विधेयक में यह चीज जोड़ी गयी है कि उनके लिये एक अपवाद बना दिया गया है कि ये ८ व्यक्ति जरूर रहेंगे, उन पर कोई बन्धन नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन इस प्रकार का कोई विधेयक पास करे, या गवर्नमेंट इस प्रकार का कोई अख्तियार अपने हाथ में लेने के लिये कि वह चाहे जिसको वहां से हटवा सके, चाहे जिसको वहां रखवा सके, इस प्रकार का विधेयक पास करा ले, परन्तु इतनी बात बिलकुल स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति १९३०, १९३१ या १९४० से वहां एक्जीक्यूटिव कौंसिल में जमा हुआ है—जो प्रजातांत्रिक आधार पर जमा हुआ है उसे तो उखाड़ने के पक्ष में हम नहीं हैं लेकिन अगर वह अपने दूसरे हथकंडों के आधार पर जमा हुआ है तो हम इस बात को फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अनुचित ढंग से वहां जमे हुए हैं जिस प्रकार से मुमकिन हो उनको वहां से हटाया जा सके। लेकिन यह कानून क्या कर रहा है? सन् १९५७ के कानून का अमल नहीं होता है। उसमें एक तरफ तो यह बात रखी गयी है और दूसरी तरफ यह भी है कि टर्म की कोई सीमा नहीं रहेगी इन ८ आदमियों के लिये। जिनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिये सरकार अत्यधिक परेशान रहा करती है। वे तो इस विधेयक के अनुसार १२ वर्ष तक भी रह सकते हैं।

[आचार्य दीपंकर]

नियम तो यह है कि तीन तीन साल के दो टर्म बीतने पर वे हटा दिये जायेंगे लेकिन उसका पालन नहीं होता है। आखिर यह क्यों है? वह इसलिये है कि सिंसियरिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। आप किसी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तथा आपके मन में सचमुच किसी विश्वविद्यालय के लिये व्यथा है तो आप बिना किसी हेरफेर के और तिकड़मबाजी के इसे पास कर दें लेकिन उसे आप अमल नहीं करवा सकेंगे। इसी तरह से दो ग्रेड बना देने की बात हुई। कहा गया है कि अब दो ग्रेड रहेंगे। मैं अर्ज करूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आज भी ५० अध्यापक ऐसे हैं जो ५०० रुपये तक आकर रुक गये हैं। ग्रेड का जो नियम है वह त्रिशंकु की तरह से बीच में लटका हुआ है, न तो वह खत्म होता है और न अमल में ही आता है। ऐसे विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में सरकार ने जो नियम बनाये, कानून बनाये हैं वे सचमुच में उनकी जरूरत से अनुप्राणित होकर ही बनाये हैं, इसमें सन्देह प्रकट होता है।

एक बात और लीजिये। जब आचार्य नरेन्द्र देव जी यहां के विश्वविद्यालय के कुलपति थे तो उन्होंने विश्वविद्यालय के एक विभाग के सम्बन्ध में, जो बहुत ही प्रतिष्ठित विभाग है और भारतवर्ष में जिस विभाग की योग्यता की बहुत आवश्यकता है, कहा था कि यहां योग्यतम व्यक्ति ही रखे जाने चाहिये और जब तक कोई योग्यतम व्यक्ति नहीं मिल पाता है तब तक के लिये वह स्थान रिक्त भी बना रहे तो कोई बात नहीं है। आचार्य जी के हटने के बाद उस विभाग में ऐसे लोग रखे गये जो और तमाम बातें करने में तो भले ही योग्य हों लेकिन अपने विषय में कितने योग्य हैं इसमें सन्देह है। तो यह जब इनक्वायरी का सवाल उठता है या कानून के अमल होने का प्रश्न उठता है, गवर्नमेंट बगलें झांकने लगती है और किनारा कसने लगती है। उप-समितियों का चुनाव सन् १९५७ के ऐक्ट के अनुसार होना चाहिये था। अगर वहां की एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने और वहां के तमाम लोगों ने कहा कि हमारे पास खर्च के लिये पैसा नहीं है लिहाजा अस्थायी तौर पर उपसमितियों का चुनाव टले और सरकार ने कहा कि हम ही खर्च दे देंगे, तब सरकार खर्च देने लगी, फिर हाईकोर्ट का रास्ता निकला और रिट आने लगे, मामला ज्यों का त्यों पड़ा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय कुछ लोगों का डोमेस्टिक अफेयर हो गया है, खाला जी का घर हो गया है और पावर पालिटिक्स का अखाड़ा बन गया है और दुग्गी पर तिग्गी लगाने की तिकड़म की जाती है।

उसमें जो कमियां हैं उन पर अब मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। आज विश्वविद्यालय पर करीब ४७ लाख रुपया कर्ज का है और कमाल की बात यह है कि सरकार से आज तक यह दरख्वास्त नहीं की गई कि हमारे ऊपर कर्जा है उसे चुकाने में मदद दी जाय। कोई साहूकार है पठान की तरह से, खवीस साहूकार है, बड़ा सूद लेता है साल भर में १ लाख १६ हजार सूद के ले लेता है, बड़ा खूबसूरत कर्जमन्द है। कर्जा अगर उतर सकता है, तो सरकार के पास वह नहीं आता बल्कि इस बात पर लड़ता है कि कर्जा लेने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? यानी कुयें में गले में पत्थर डालकर क्यों नहीं गिरने दिया जाता? अगर कोई कहे कि भाई ऐसा क्यों करते हो तो कहा जाय कि यह तो हमारा नागरिक अधिकार है हम अपने गले में पत्थर बांधते हैं और कुयें में गिरते हैं। जरा सदन के और माननीय सदस्यों के सोचने की बात है कि विश्वविद्यालय, जिस पर ४७ लाख रुपये का कर्ज है और जिस ने पिछले १२ साल में ११-१२ लाख रुपया केवल सूद में दिया हो तो उसके लिये ऐसा कानून बनता है। इसमें कोई कान्सपीरेसी या साजिश तो नहीं है। हम जानना चाहते हैं सरकार बताये और माननीय मंत्री जी बतायें, मैं उन से प्रत्यक्ष प्रश्न करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अधिकारियों की तरफ से इस कर्जे की निवृत्ति के लिये कितने प्रार्थना-पत्र कितनी बार आये और क्या सरकार ने उन को स्वीकार किया और इस कर्जे को निबटाने की सरकार की तरफ से क्या कोशिश की गई? मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना वक्तव्य देते समय मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य दें।

एक बात और कमाल की है कि कर्जा लेने वाले के बारे में इस बिल में जिस शाब्दिक जंजाल के साथ यह बात कही गई है मैं उस से सहमत नहीं हूं। विश्वविद्यालय की स्वतन्त्रता की

रक्षा के विचार से नहीं बल्कि आवश्यकता को देखते हुये भी कर्जा लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर यह बन्दिश हो कि विश्वविद्यालय कर्जा नहीं ले सकते तो बड़ा अंकुश होगा। इतना ही हो जाय कि सीमित दायरे में और सरकार की जानकारी में कर्जा लेना चाहें तो ले सकते हैं। विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्ति को गिरवी या धरोहर रखकर अगर कर्जा लिया जाता है तो सब जानते हैं कि कर्जे की वह चल या अचल सम्पत्ति पूरक नहीं होगी और बिलकुल सही बात माननीय कैलाश प्रकाश जी ने कही कि राज्यपाल उसके मुख्य संचालक हैं, सरकार बीच में आएगी। इस इमारत को बचाओ, कुर्क न करो हम रुपया अदा किये देते हैं। सरकार को मजबूरन बीच में आना ही पड़ेगा। वाइस चांसलर दखल देंगे ही देंगे। इसलिये असीमित कर्जा लिया जाय और कर्ज ले लेकर घी पीने वाली बात हो, यह नहीं होना चाहिये। लेकिन सरकार की जानकारी में और सीमित दायरे में कर्ज लेने का अख्तियार होना चाहिये क्योंकि वह एक स्वतंत्र बाडी है और अपनी समस्याओं को स्वयं अच्छी तरह से सोच सकती है। मैं समझता हूं कि दूसरे विश्वविद्यालयों ने भी कर्ज लिये हैं। उस कम्पलीकेशन को देखते हुए आज तक इस प्रकार का कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया। यह तो एक बहुत नासूर का मर्ज लखनऊ विश्वविद्यालय का है और उसी की वजह से यह विधेयक आया। यह नासूर का मर्ज केवल विश्वविद्यालय की जरूरत पूरा करने का ही नहीं है बल्कि दूसरे व्यापार चलाने के लिये भी है।

श्रीमन्, इस बिल में तीन बातें हैं। पहली बात, गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र का विस्तार किया गया। दूसरे, विश्वविद्यालयों पर कर्ज लेने पर बंदिश लगाई गई और तीसरे, विश्वविद्यालयों के संचालकों के बारे में कुछ क्लाज हैं। मैं समझता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का अगर विस्तार हो तो व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्तिजनक बात नहीं मालूम पड़ती। अगर कोई समस्या आगे चल कर पेचीदा रूप धारण करती है तो सदन में फिर विचार हो सकता है। लेकिन इसको लेकर कोई संशोधन किया जाय यह मेरी समझ में नहीं आता। कर्ज लेने के सम्बन्ध में मैंने अपने विचार आपके सामने रखे कि सीमित मात्रा में और सरकार की जानकारी में आवश्यकता के अनुसार कर्ज लेने का अख्तियार जरूर होना चाहिये विश्वविद्यालयों को। परन्तु एक प्रश्न यहां उठता है। मैंने यह सुना—नहीं जानता कि मेरी जानकारी कितनी सही होगी कि डी० ए० का एक बड़ा भारी झगड़ा पैदा हुआ और कहा जाता है कि उसकी वजह से कर्ज लिया गया। सरकार कहती थी कि जितना तुम डी० ए० देते हो उतना हम नहीं देते। वह इसके ऊपर अड़े हुए थे कि हम जरूर साढ़े सत्रह परसेन्ट डी० ए० हर एक को देंगे। मेरे खयाल से उनका यह अड़ न्यायोचित नहीं थी। लेकिन उसके बदले में सरकार इस प्रकार की बात करे कि तुम चाहे कितना ही कर्ज लिये जाओ और अपने पांव में बेड़ी बांधे जाओ, हम डी० ए० का खर्च नहीं देते, दोनों में जो भी गलत हो, इस चीज ने, सरकार को अपना संकुचित दृष्टिकोण कायम रखने का अवसर दिया और यदि उसके पीछे कुछ रुपया लिया गया तो उसको भी औचित्य दे दिया। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि यह एक अन्तरिम हल है और विश्वविद्यालय के मामलात की पूरी जांच होनी चाहिये।

अन्त में मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय का मामला जांच-पड़ताल का विषय बने इसमें गैर-जरूरी दखल यदि होता हो तो मैं अपनी बात को वापस ले सकता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि हजारों, लाखों व्यक्तियों की जिन्दगी का सवाल है, हमारे पूरे प्रदेश की तालीम का प्रश्न है, इस वजह से वहां के तमाम मामलात की जांच-पड़ताल होनी चाहिये। यह माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिये खुशी की बात होगी, क्योंकि हमारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण जी गाहे-बगाहे यह मांग किया करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी के मामलात की जांच-पड़ताल होनी चाहिये। मैं शिक्षा मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जरा वहां के मामलात की जांच-पड़ताल करा ली जाय। आपको बहुत सहूलियत हो जायगी अर्थ व्यवस्था के रखने में और रोजाना के इस पचड़े से बचेंगे। तो यह तमाम चीजें जब इतनी

[आचार्य दीपंकर]

आलोचना के विषय में हैं, सभी साथी समझते हैं कि कुछ न कुछ मामला है वहां पर तो, उसकी जांच पड़ताल हो जाना नितांत आवश्यक है। एक बात कहूं यदि पिछला हमारा अध्यादेश अगर चालू न होता तो उसकी वजह से क्या बात होती, जैसा कैलाश प्रकाश जी ने कहा, उसका उत्तर मंत्री जी देंगे, मगर मैं यह जानता हूं कि अगर अध्यादेश न लागू होता तो विश्वविद्यालय की कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउन्सिल के चुनाव का मामला खटाई में पड़ चुका था, सेलेक्शन कमेटी का चुनाव नहीं हो सकता था। इसी प्रकार स्पेशल आडिट का होना, जिसके बगैर काम होना कठिन था मुमकिन नहीं था और बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग पिछले १० वर्ष से हुई नहीं और यह अजीब कमेटी है। एक बिल्डिंग के लिये ओरिजिनल इस्टीमेट ८६,००० रुपये का बनता है बढ़ते-बढ़ते ७,००,००० रुपये का हो जाता है। तो इन तमाम चीजों की रोशनी में मैं चाहूंगा इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिये और तब विधेयक आना चाहिये। मुझे शक है कि इस विधेयक का जो जनहितकारी तत्व है वह अमल में नहीं आयेगा ठीक उसी प्रकार जैसा अभी तक हुआ है और खुदा जाने कोई रिट वगैरह हो जाय इसके खिलाफ और यह भी धड़ाम से गिरे। मैं इसके डायरेक्शन का समर्थन करता हूं और जो कुछ सुझाव मैंने पेश किये हैं मैं आशा करता हूं कि उन पर विचार किया जायगा और यदि विश्वविद्यालय की आन्तरिक स्वतंत्रता को आघात न पहुंचाते हुए जो कुछ वहां हो रहा है उसकी पूरी जांच-पड़ताल होने के बाद यह विधेयक दुबारा पेश किया जायगा तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, इस विधेयक पर कुछ बात करने के पहले एक छोटी सी बात की तरफ ध्यान दिलाना जरूर आवश्यक समझता हूं। यह विधेयक जो पेश किया गया है पता नहीं क्यों इसके उद्देश्य और कारण के नीचे जो मंत्री जी का पद दिया हुआ है उसमें गृह मंत्री लिखा हुआ है। मैं इस बात को जानता हूं कि एक ही व्यक्ति कई पदों को रखता है, लेकिन क्या अच्छा न होता यदि उनका पद यहां काम के अनुरूप शिक्षा मंत्री रखा गया होता। अभी एक साथी ने बताया कि मालूम होता है कोई पुलिस की कार्यवाही होगी इसलिये गृह मंत्री का शब्द है। हमारी समझ में दूसरी शंका है। गृह मंत्री का कोई घरेलू झगड़ा होगा इसलिये घरेलू कार्यवाही करने के लिये शायद यह लिखा गया हो।

विधेयक की क्या आवश्यकता है? पहले सबसे बड़ी जरूरी बात जो इसमें दिखायी गई है कि विश्वविद्यालय अपनी सम्पत्ति को हस्तांतरित न कर दे इसके लिये एक कानून आवश्यक है। जब भी कोई कानून बनाना होता है, २, ४ उदाहरण तो हमारे सामने जरूर होने चाहिये, ताकि हम समझ सकें कि इस कानून की आवश्यकता है। मंत्री जी ने या और साथियों ने यह नहीं बताया कि वह कौन सा विश्वविद्यालय था जिसने अपनी सम्पत्ति को हस्तांतरित कर दिया या हस्तांतरित करने के प्रयत्न में वे पकड़े गये।

(इस समय ३ बज कर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यदि केवल ज्योतिष का मसला हो और दूर से सोच लिया हो कि इस विश्वविद्यालय में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो सम्पत्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं और सिर्फ इस संभावना के ऊपर यह विधेयक लाया गया हो तब तो बात दूसरी है, लेकिन अभी तक हमने यही समझा है कि कानून तभी बनाये जाते हैं जब उसकी आवश्यकता हमको मालूम होती है।

एक बात जो हमारी समझ में आई है वह यह भी है कि विश्वविद्यालय खर्च करते हैं। विश्वविद्यालय में अगर बड़े आदमी पहुंच जायं तो विश्वविद्यालय का खर्च भी बढ़ सकता है। इस उम्मीद पर बढ़ सकता है कि हम खर्च करेंगे और सरकार कभी न कभी मजबूर हो कर उस खर्च को अदा करेगी। लेकिन क्या सरकार उस खर्च को चाहे तो रोक नहीं सकती? सभी विश्वविद्यालयों में अर्थ कमेटियां बनी हुई हैं। उनका काम है एस्टिमेट्स बनाना, खर्चे को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाना और उसी के अनुसार खर्च हुआ करता है। मैं यह बात नहीं समझ पाता कि सरकार यह अधिकार क्यों लेना चाहती है कि उनको कर्जा न दिया जाय। जब यह घोषणा की जाती है कि कोई भी कर्ज देने वाला आदमी विश्वविद्यालय की सम्पत्ति से अपना कर्जा वसूल नहीं कर सकता तो उसका सीधा-सादा अर्थ यह होता है कि एक बाप कहता है कि मेरा लड़का नालायक हो गया है और इस नालायक लड़के को जो भी कर्ज देगा वह कर्जा वसूल करने का अधिकारी नहीं होगा। अगर सरकार का यह मंशा हो कि वह संसार में इस बात को प्रकट करे कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका खर्चा अगर कर्ज के रूप में होगा तो उस कर्ज को सरकार वहन नहीं करेगी तब तो उस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन उलट कर इस ढंग से रखना कि कर्जा कोई दे देगा तो वसूली के लिये सम्पत्ति नहीं पा सकता मेरी समझ में उलटी नाक पकड़ना है। सरकार को दो टूक बात कहनी चाहिये कि विश्वविद्यालय जो हैं उनके खर्च करने की सीमा क्या होनी चाहिये, सरकार खर्च पर कंट्रोल चाहती है और सीमा के अन्दर खर्च करने की इजाजत देना चाहती है, उससे अधिक सीमा नहीं बढ़ना चाहिये तो इस बात को हम समझ पाते। क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है इसलिये अधिक खर्च की जिम्मेदारी को वह नहीं लेना चाहती है, तो इस बात को तो हम समझ पाते हैं। लेकिन इसको न कह कर विश्वविद्यालय के ऊपर गोलमोल शब्दों में एक लांछन लगा देना और कर्ज देने वालों को मना कर देना कि वे कर्ज न दें यह बात कुछ समझ में नहीं आती। इस बात को हम जानते हैं कि व्यावहारिक रूप में विश्वविद्यालय को कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ा करेगी। आप समय पर ग्रान्ट नहीं दे पाते हैं। जब ऐसा समय विश्वविद्यालय के सामने आयेगा, जब बिना कर्ज लिये काम नहीं चल सकता तो उनका काम कैसे चलेगा, उनकी क्या हालत होगी, यह बात समझ में नहीं आती। इसलिये जैसा मैंने पहले बतलाया यह तो उचित है कि उनके खर्च पर रोक हो, उसके लिये नियम बनाया जाय। लेकिन कर्ज की जरूरत पड़ने पर कर्जा न लें, आप इस तरह का कोई बंधन डालना चाहते हैं तो यह बात समझ में आने वाली नहीं है।

एक बात इसमें जो जोर के साथ कही गयी है वह यह कि कुछ कठिनाइयां पड़ जाती हैं और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये इसमें कुछ धारायें रखी गयी हैं। मुझे एक फूहड़ औरत का किस्सा याद आता है। वह कई बार अपने घर की सफाई करती थी और जितनी एक तरफ से सफाई करती थी उसे वह पीछे फेंक देती थी और घर जैसा गंदा था वैसा ही रहता था। दिन भर उसकी सफाई होती थी और दिन भर गंदगी बढ़ती रहती थी। सरकार का काम कुछ ऐसा ही मालूम हो रहा है कि एक दिक्कत को दूर करने के लिये वह कानून बनाती है तो उस कानून को बनाने की वजह से दूसरी दिक्कत पैदा हो जाती है। अगर सरकार सब दृष्टिकोण सोच कर ही कानून बनाये तो कौन सी दिक्कत पड़ जाती है? अभी मैं विश्वविद्यालय की एक छोटी सी बात देख रहा था कि संक्रमणकाल के लिये कितना अवसर समय-समय पर सरकार ने मांगा है तो कुछ आंकड़े सामने आये जो बहुत आश्चर्यजनक थे। लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालय जब बने तो १२ महीने का संक्रमणकाल सरकार ने मांगा। जब वाराणसी विश्वविद्यालय बना तो १८ महीने का मांगा, गोरखपुर विश्वविद्यालय जब बना तो २४ महीने का मांगा जिसे बढ़ा कर ३६ महीने कर दिया और अब बढ़ा कर ४८ महीने का मांगा है। तो १२ महीने से संक्रमणकाल बढ़ते-बढ़ते ४८ महीने हो गया और ४८ को उलट कर ८४ महीने हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं, हमारी सम्भावना में यह आता है। यह किस की बुद्धि का परिचायक है? सरकार की कानून बनाने वाली मशीनरी का या विश्वविद्यालय में काम करने वालों की गुटबाजी का? इतना संक्रमणकाल जो आप बढ़ाते चले जा रहे हैं और ठीक ढंग से विश्वविद्यालय का काम नहीं हो पा रहा है तो कहीं न कहीं यह कमी होगी जरूर, क्योंकि १२ महीने का ४८ महीने हो जाना, चौगुनी शक्ति का कम हो जाना, यह एक आश्चर्यजनक बात है। मैं फिर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विशारदों से प्रार्थना करूंगा कि संक्रमणकाल का अधिक समय रख लेना इस बात का परिचायक है कि या तो आप सोच सकते हैं कि कितने समय में आप इस काम को पूरा कर सकेंगे या बाद को आप अपनी बुद्धि और शक्ति का परिचय नहीं देते हैं कि जितना समय आपने रखा था उसके अन्दर कार्य को समाप्त कर दिया जाय।

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

एक बात और, जो कठिनाई से सम्बन्ध रखती है। हमारी समझ से कठिनाइयां अधिक उत्पन्न इसलिये भी हो रही हैं कि विश्वविद्यालय का असली स्वरूप आपने अभी तक निश्चित नहीं किया है। विश्वविद्यालय एक रेजीडेन्शल टाइप, टीचिंग टाइप ही होना चाहिये या उसको बढ़ा कर के दूसरे ढंग से एफिलिएटिंग टाइप कर देना चाहिये, इस विषय में मालूम होता है कि आपका विचार दृढ़ नहीं है। आप एक यूनिवर्सिटी को टीचिंग और रेजीडेन्शल यूनिवर्सिटी खोलते हैं और बढ़ते बढ़ते वह एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी हो जाती है। फिर कालेजेज को डिसएफिलियेट करते हैं। उदाहरणस्वरूप बनारस यूनिवर्सिटी शुरू में एक टीचिंग और रेजीडेन्शल यूनिवर्सिटी थी। उसने अपना एफिलियेशन बनारस भर में शुरू कर दिया। कई कालेजेज उसके पास हो गये। टीचिंग कैरेक्टर जो उसका था वह समाप्त हो गया। उसके बाद आपकी समझ में आया कि उसका पुराना रूप ले आना चाहिये। नतीजा यह हुआ कि बहुत से कालेजेज को डिसएफिलियेट कर दिया गया। अब आवश्यकता यह हुई कि एक दूसरी यूनिवर्सिटी को यह कार्य सौंपा जाय। क्यों नहीं आप निश्चित कर लेते कि जिस यूनिवर्सिटी को हमें बनाना है उसका एक ही स्वरूप होगा, रेजीडेंशल या एफिलियेटिंग। गड़बड़ घोटाला की बात आप क्यों करते हैं।

मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था। वह यूनिवर्सिटी जब कायम हुई उसी समय सोच लेना चाहिये था कि अगर इस यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है तो इसके पास उतना पर्याप्त क्षेत्र होना चाहिये जिससे यह उपयुक्त यूनिवर्सिटी बन सके। उधर आगरा यूनिवर्सिटी थी, ५२ जिले उसके पास थे। उसमें से ९ जिले आपने गोरखपुर यूनिवर्सिटी को दे दिये। तो ४३ जिले आगरा यूनिवर्सिटी के पास रह गये। यह आपको सोचना चाहिये था कि दोनों यूनिवर्सिटीज एफिलियेटिंग हैं तो यह कैसे सम्भव है कि एक के पास तो ४३ जिले रहें और दूसरे के पास केवल ९ जिले रहें और उन ९ जिलों से ही वह अपना काम चला लेगी? मानी हुई बात है कि यह दिक्कत आपने पैदा की। गोरखपुर यूनिवर्सिटी को आपको पर्याप्त क्षेत्र देना चाहिये था। आपने दो चार जिले बढ़ा दिये हैं। मेरा विश्वास है कि इतने से इसका काम नहीं चलेगा। अगर इसको जिन्दा रखना है और एफीलियेटेड रूप में इसको बढ़ाना है तो आगरा यूनिवर्सिटी के वृहत क्षेत्र को छोटा कर के गोरखपुर को दिया जाय। इसका कारण एक और है कि जितना क्षेत्र छोटा होता है उतना ही गुटबाजी के लिये ज्यादा समय मिलता है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में शिकायतें की गई हैं और इसके पैदा होते ही इसमें रोग लगने लगा है। हमारी समझ से कारण चाहे कुछ भी रहे हों, जैसा कि ब्रह्मचारी जी ने बताया था कि एक भूल हो गई कि महाराना प्रताप कालेज को इसमें शामिल कर लिया गया। वह अलग रहना चाहिये था। अगर एफीलियेटेड हो जाता तो बात दूसरी थी। उनकी दृष्टि से यह कारण पर्याप्त हो सकता है। लेकिन हमारी दृष्टि से मूल कारण यह है कि इसका क्षेत्र बहुत ही संकुचित है इसलिये गुटबाजी का अवसर और समय मिल जाता है कि थोड़ा सा मैनोवरिंग करके यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया जाय। अगर इस यूनिवर्सिटी को बचाना है तो जैसा कि इस विधेयक में जिन जिलों को रखा गया है उनको और बढ़ाया जाय। अगर इसके क्षेत्र को नहीं बढ़ा सकते हैं तो इस यूनिवर्सिटी की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक कठिनाई इसके छोटे क्षेत्र के होने के कारण और उत्पन्न हो गई है। इसके क्षेत्र में कानून बना हुआ है कि बी०ए० तक कालेज हो सकते हैं। एम०ए० का कालेज नहीं हो सकता है। एक नियम यह बनाया गया है कि इसके दस मील के रेडियस के अन्दर दूसरा कालेज नहीं हो सकता है। यह बंधन क्यों रख रहे हैं जब कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में यह बंधन नहीं है? इसके माने हैं कि आप महसूस करते हैं कि यह यूनिवर्सिटी बच्चा है। पर्याप्त क्षेत्र नहीं मिलता है और पर्याप्त साधन नहीं हैं इसलिये आर्टिफिशियल मीन्स से ताकत दी जाय ताकि वह बढ़ सके। मैं समझता हूं कि इस स्पून फीडिंग से यूनिवर्सिटी नहीं चल सकेगी। इसके क्षेत्र को बढ़ा दें और यह एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी है तो उसको ताकत उसको दें। जब आपकी रेजीडेंशियल यूनिवर्सि-

टीज लखनऊ और इलाहाबाद एफीलियेटिंग का काम करती हैं तो फिर इस बिचारी एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी की आप ताकत क्यों खत्म किये देते हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है।

श्रीमन् मैं समझता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को प्रापर्ली फीड करने की आवश्यकता है। इसकी दिक्कतों को समझना चाहिये और उनको दूर करना चाहिये। यदि बनावटी ढंग से दूर करेंगे तो वह दूर नहीं हो सकेंगे। एक जो महान् परिवर्तन इस विधेयक में किया जा रहा है वह बहुत थोड़े से अल्फाज में जरूर है लेकिन यूनिवर्सिटी पर सब से बड़ा आघात है और सरकार अपने हाथ में अधिकार लेना चाहती है और वह यह है किसी को किसी पद से हटाने का। यह अधिकार सरकार क्यों लेना चाहती है? यूनिवर्सिटी की गुटबाजी को खत्म करने के लिये, अगर गलत आदमी उसमें घुस गये और उन्होंने अपनी महन्ती कायम कर ली है तो उनको हटाने के लिये सरकार यह अधिकार लेना चाहती है। आपने पहले भी तो कानून बनाये थे। क्या वह सब असफल हो गये? क्या उनसे काम नहीं चलता? अगर आप साफ कह दें कि जिन व्यक्तियों को हटाना चाहते थे उन विधेयकों के बावजूद भी नहीं हटा पा रहे हैं तब तो बात हमारी समझ में आती। आप यह अधिकार चाहते हैं कि बिना किसी समुचित कारण के जिस वक्त जिस आदमी को चाहें, यूनिवर्सिटी के किसी पद से हटा सकें। इतना बड़ा अधिकार जो सरकार लेना चाहती है सरकार को उसका समुचित कारण बताना चाहिये।

मैं यूनिवर्सिटी की आटोनामी के नाम पर पुकार मचा कर इस बात को नहीं कह रहा हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि जब आप रुपया पैसा देते हैं तो विश्वविद्यालय की अन्दरूनी चीजों पर भी आप का कुछ दखल होना चाहिये, उसकी पवित्रता नष्ट होती हो या न होती हो, चाहे वह आदर्श से नीचे जाती हो या न जाती हो, यह दूसरी चीज है। चूंकि आप खर्च देते हैं तो हम इस बात को मानने के लिये तैयार हैं कि आप को स्वतः यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप अपना उस पर कुछ संरक्षण रखें लेकिन वह सीमा के अन्दर होना चाहिये। अगर आप सीमा से अधिक अधिकार चाहते हैं तो यह उचित नहीं हैं। फिर इसमें औचित्य का प्रश्न ही नहीं उठता जब तक आप समुचित कारण नहीं बताते हैं कि यह अधिकार आप क्यों चाहते हैं। आप सीधे-सीधे बतलाइये कि आप यह अधिकार क्यों चाहते हैं कि जिस आदमी को चाहें, यूनिवर्सिटी के जिस पद से चाहें हटा सकें। क्या चुनाव खत्म हो गये? या चुनाव में यह ताकत अब नहीं रह गयी कि किसी गलत आदमी को चुनाव के जरिये हटाया जा सके? क्या आपके सब कानून समाप्त हो गये? जब सरकार अपने हाथ में यह अधिकार ले लेती है, तो चाहे वह इसका व्यवहार करे या न करे लेकिन हर दिल में यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि आप किसी दिन भी उसका व्यवहार कर सकते हैं। जैसा अभी एक साथी ने बताया, यह ताश के पत्ते हैं, एक्के और दुक्के। आप मेज पर रखें या न रखें। जब जेब में आप रखते हैं तो डर पैदा हो सकता है कि उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि इन ताश के पत्तों को या तो मेज पर फेंक दीजिये नहीं तो इनको फाड़ दीजिये। आपका कहना है कि कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन में सब पत्ते एक साथ नहीं दिखाये जाते। वह ऐसा खेल-खेल सकते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय की पवित्र भूमि ऐसे लोगों के लिये नहीं है। सड़क पर मैंने ताश खेलने वालों को देखा है। उनको मैं जानता हूं, लेकिन मैंने बताया कि विश्वविद्यालय एक पवित्र स्थान है। वहां पर खुले हाथों जाना चाहिये। जो चीज आप करना चाहते हैं उसकी मंशा बतानी चाहिये। उस पर अगर हमें संतोष न हो तो जो हमारा भय है उस के निराकरण की कोई व्यवस्था होनी चाहिये। अगर आप बता देते कि किन परिस्थितियों के अन्दर आप किसी पद पर आसीन व्यक्ति को हटायेंगे, कितने दिनों के बाद हटाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो थोड़ा सा संतोष हुआ होता। लेकिन जैसा मैंने बताया आप कुछ भी नहीं बताते।

एक बात, जब रिमूवल आफ डिफीकल्टीज की बात आपने कही तो इस प्रदेश में जो सबसे बड़ी कठिनाई उत्पन्न होने वाली है उसका जिक्र इसमें न देखकर मुझे आश्चर्य ही हुआ। आप जानते हैं आपने इस बात पर एक निर्णय भी किया है। हमारे यहां इस सूबे ही के अन्दर अब दो तरह के विश्वविद्यालय हो गये हैं। एक जो केन्द्र के जरिये चलाये जा रहे हैं, जो तीन वर्ष का

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

डिग्री का कोर्स रखते हैं और एक जो आपके विश्वविद्यालय नये हैं जो देश में सबसे अलग हैं, अनोखे हैं, किसी दूसरे प्रान्त या प्रदेश में नहीं पाये जाते वह दो वर्ष के कोर्स वाले हैं। मुझे दो वर्ष के कोर्स और तीन वर्ष के कोर्स से कोई ममता किसी से नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे यह कह रहा हूं कि सब प्रदेशों के समान समता न होने के कारण आप जो अपनी अलग नीति चलाये चल रहे हैं, दूसरे प्रदेश दूसरी तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं तो जो यह असमानता या विमुखता कहिये, उलटे ढंग की चीज आप चला रहे हैं। इसके कारण जो प्रदेश में विषम परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है कि लड़के इंटरमीडियट पास होने के बाद अगर बनारस विश्वविद्यालय में जाना चाहें या अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जाना चाहें तो क्या करें, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहें तो क्या करें, यह कठिनाई एक ऐसी है जो कि हमारे प्रदेश के सामने आ गई है। यह हम जानते हैं कि आपने बहुत सोच समझकर के अपनी आर्थिक अवस्था को देखकर के ही इस बात का निर्णय किया होगा कि इस प्रदेश में दो वर्ष का कोर्स रखा जायगा, तीन वर्ष के कोर्स नहीं चलाये जायेंगे। हम इस बात को मानते हैं। लेकिन प्रश्न तो यह है कि इसी प्रदेश में दो तरह के विश्वविद्यालय चलने लगेंगे तो एक अव्यवस्था जो विद्यार्थियों में उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है जैसा मैंने अभी बताया कि बनारस के छोटे-छोटे कालेजेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी वहां से पढ़कर निकलने के बाद अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जायं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वह बनारस यूनिवर्सिटी में जाना चाहें तो बड़ी भारी अड़चन पड़ रही है। आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिये। रिमूवल आफ डिफिकल्टीज के नाम पर या किसी दूसरे नाम पर, नाम से कुछ कोई मतलब नहीं है, मैंने बताया कि यह कठिनाई ऐसी है कि जिस पर आपको कोई न कोई सुझाव देना चाहिये।

एक बात इस विषय में और है। पता नहीं कि वह इससे सम्बन्ध रखती है या नहीं। लेकिन प्रश्न कई जगह से उठाया गया, स्टूडेण्ट्स की डिसिप्लिन का, अध्यापकों की डिसिप्लिन का, विश्वविद्यालय के गिरते हुये स्तर का, इस विधेयक से उसका कोई सीधा सम्बन्ध है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि इन सबके लिये एक जो आवश्यक चीज होती है वह नियम की स्थिरता होती है। जो भी कुछ आप कानून बनायें वह इतना स्थिर तो होना ही चाहिये कि दस, पांच, बीस वर्ष चले ताकि उसके अनुसार काम किया जा सके। अनुशासनहीनता के जहां और कारण हुआ करते हैं तहां उसका एक कारण यह भी है कि जबकि हमको यह पता न हो कि कल क्या होने वाला है, जो आज नियम बनता है यह नियम कितने वर्ष चलेगा, साल भर बाद, दो साल बाद कब बदल दिया जायगा, कुछ पता नहीं जब नियम इतना अस्थिर हो जायगा तो वह इन्डाइरेक्ट तरीके से इंडिसिप्लिन का भी कारण हुआ करता है। जब यह तर्क इधर से पेश किया गया था तब हमारे उधर बैठे हुये साथियों ने एक अनोखा तर्क दिया था। तर्क यह दिया था कि समाज के अनुरूप ही विश्वविद्यालय होता है और समाज जब तेजी के साथ बदलता है तो मानी हुई बात है कि विश्वविद्यालय के नियम और उपनियम भी बड़ी तेजी के साथ बदलेंगे। समाज तेजी के साथ बदल रहा है और सरकार की प्रोग्रेसिव स्कीमों के अनुसार बदल रहा है? इसका मुझे तो पता नहीं लेकिन अगर ऐसा हमारे साथी ने बताया कि समाज बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है और छः छः महीने के बाद, साल-साल भर के बाद नया समाज हमारे सामने आ रहा है तो छः-छः महीने और साल-साल भर पर विश्वविद्यालय के नियम भी बदले जाने चाहिये क्योंकि इस बात को तो हम मानते हैं, मौलिक बात मानते हैं कि समाज के अनुसार ही विश्वविद्यालय होने चाहिये। अगर बात ऐसी है तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है और वह सुझाव यह है कि विधेयक लाने के बजाय एक प्रणाली अपनायें। जिस प्रकार से हमारे यहां रेलवे विभाग में है कि रेलवे अपना एक टाइम टेबिल, निकाला करती है वह ६ महीने के बाद फिर अपना एक दूसरा टाइम टेबिल निकाल देती है। यह देखने में बड़ी सुविधाजनक बात मालूम होती है। तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हमारा समाज भी जल्दी से बदल रहा है तो इस विधेयक के झगड़े को छोड़कर सरकार एक छोटा सा कानून बनादे कि हर एक यूनिवर्सिटी

को अधिकार है कि रेलवे बोर्ड की तरह हर ६ महीने में यूनिवर्सिटी भी अपना टाइम टेबिल निकाल दिया करे। पहला जुलाई में और दूसरा जनवरी में। अगर इस प्रकार से हर ६ महीने में वे अपना एक टाइम-टेबिल निकाल दिया करे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। आपका समाज जो जल्दी से बदल रहा है तो यूनिवर्सिटी का कानून भी बलना चाहिये, वह बात भी आपकी पूरी हो जायगी और आपको आसानी हो जायगी। अभी हम कुछ किताबों को कंसल्ट कर रहे थे और यह देखना चाहते थे कि यूनिवर्सिटी के लिये जो विधेयक बने हैं वह कितनी बार बदले हैं और कैसे जल्दी-जल्दी बदले हैं। लायब्रेरी में यूनिवर्सिटी से संबंधित एक किताब मिली। दुर्भाग्य से उसमें लेटेस्ट संशोधन वह चस्पां नहीं कर पाये। ये किताबें जो लायब्रेरी में रखी हैं वह पुराने समय की छपी हुई हैं। आप जो बार-बार संशोधन करते जाते हैं तो उसमें वह नदारद हैं। हमको कोई ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि आप इतने जल्दी-जल्दी कानून को बदलते जाते हैं कि यदि लायब्रेरियन या लायब्रेरी के आदमी उसमें अपनी मजबूरी महसूस करते हों कि जल्दी से संशोधन लगा कर उनको शुद्ध कर दें तो फिर उनका कोई बड़ा भारी अपराध नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात को सोचें कि इतनी जल्दी से क्यों यह कानून बदल रहे हैं और खास करके विश्वविद्यालय का कानून क्यों इतनी जल्दी बदला जाता है।

इस विषय में मैं माननीय शिक्षा मन्त्री को पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं जब यहां पर कहा गया था कि शिक्षा का उद्देश्य अन्तिम होता है। इस प्रकार की शिक्षा का ठीक ढंग से पता नहीं मिल सकता है और बहुत खोज करने पर भी उसका असल पता नहीं चल पाता है कि वह क्या है। तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि नियम, अधिनियम और विधेयकों को उस दिन के लिये छोड़ रखें जब उनका अन्वेषण करने वाले ठीक-ठीक ढंग से यह पता लगा लें कि शिक्षा क्या ठीक है और क्या गलत है। पुराने ढंग से कुछ दिन चलने दें। मैं इस बात का पक्षपाती नहीं हूं कि पुरानी चीज अच्छी है। मैं इस चंचल गति को देखकर कभी-कभी यह सोचता हूं कि क्या यह अच्छी बात न होगी कि थोड़े दिन उन पुरानी चीजों को, चाहे वे सड़ी गली क्यों न हों, रख कर काम चला लें। जब नई चीज हमारे सामने स्पष्ट हो जाय तब हम नई चीज ग्रहण करने की कोशिश करें। मैंने यह बात आप के सामने सिर्फ इसलिये कही कि आपकी जो गति है वह बहुत चंचल और अस्थिर है। अस्थिर चीज को भी गणित का एक छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते मैं अनुचित नहीं मानता हूं। अस्थिर चीज में भी गति मालूम होती है, अगर वह एक रास्ते पर चलती जाय, चाहे वह जितनी भी गति से चलती जाय, कितनी तेजी से चलती जाय, तो कोई शिकायत हमको नहीं होगी क्योंकि उसमें हम विकास मानते हैं, लेकिन दुख तो यह है कि एक दफा किसी बुराई को समझ कर आप बान्धने वाला कानून बनाते हैं। दो साल बाद किसी ने उलटी बात की तो फिर उलटा कानून बनाते हैं। एक बुराई को दूर करने के लिये, जिसको आप बुराई महसूस करते हैं, उसके लिये विधेयक बनाते हैं। दो वर्ष के बाद आप महसूस करते हैं कि जल्दी करने से सख्त कानून बन गया। उसको नरम बनाते हैं।

यूनिवर्सिटी की औटोनामी का प्रश्न था। कुछ लोगों का विचार हुआ कि विश्वविद्यालय बहुत उच्छृंखल हो गये हैं तो उनको कसकर रखना चाहिये। उसके नियम सख्त बना दिये। दूसरे साल आप ने महसूस किया कि यह बहुत सख्त हो गये उसमें कुछ रियायत होनी चाहिये तो आप रियायत दे देते हैं। पता नहीं कि एक वर्ष की सख्ती के अन्दर क्या विश्वविद्यालयों में सुधार हो गया या खराब हो गये। मेरा निवेदन यह है कि आपका चाहे कुछ भी रास्ता हो, उसकी गति एक दिशा की तरफ नहीं है, आप की मति चंचल है उसकी मैं शिकायत नहीं करता। बुराई तो यह है कि आप कभी दाहिने चलते हैं, कभी बायें और कभी राइट एबाउट टर्न कर देते हैं। एक चीज बनाते हैं और फिर बिगाड़ देते हैं। एक फूहड़ औरत सफाई करती है दिन भर और पीछे गन्दगी होती चली जाती है, पूरा दिन खत्म हो जाता है लेकिन सफाई हो नहीं पाती।

अब इस विधेयक में आपने दो तीन चीजें नयी जोड़ी हैं। उनके विषय में भी कुछ कहना आप के लिये जरूरी था कि वे क्यों जोड़ी गयीं। पराने कानून में जो चीजें नहीं थीं आपने

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

उनको भी जोड़ दिया। क्यों? क्या आवश्यकता थी? इसका कोई समुचित कारण आपने नहीं दिया। आपको उसे बताना चाहिये था। रिमूवल आफ डिफीकल्टीज की बात हमने समझ ली, संक्रमण काल की बात भी समझ ली, वे गलत हों या सही, उनसे हम सहमत हों अथवा नहीं, यह दूसरी चीज है, लेकिन इसके अलावा जो आप ने नयी बातें बढ़ाई हैं उनका कारण कहीं नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि आप इस पर प्रकाश डालें कि यह क्यों आवश्यक हैं। पुराने विधेयक में उनकी आवश्यकता नहीं थी। यूनिवर्सिटी के करेक्टर में कौन सा ऐसा परिवर्तन आ गया कि जिसके कारण इस परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी।

एक बात इस सिलसिले में मैं और कहूंगा कि विश्वविद्यालय के गिरते हुये स्तर की बात कही गयी है। स्तर के गिरने की बात करना और उसके मूल कारण की तरफ ध्यान न देना, यह उचित बात नहीं मालूम होती। उसका स्तर क्यों गिर रहा है, अध्यापक क्या पहले से कम लायक हैं? मैं इस बात को नहीं समझता। पहले डी० एस० सी० और पी० एच० डी० अध्यापकों का नम्बर कम होता था, लेकिन आज शायद ही ऐसा कोई अभागा हो जो इन बड़ी डिगरियों को ले कर न आता हो। पुराने समय में केवल एम० ए० ही, बेचारे गरीब पढ़ाया करते थे और स्तर के गिरने की कोई शिकायत नहीं थी। अब हमारी समझ से अधिक विद्वान आ रहे हैं, सर्टिफिकेट उनके पास है इस लिये इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन तब भी यह स्तर गिरता चला जा रहा है और यह शिकायत इतनी आम है कि इधर के या उधर के ही नहीं, जो खड़ा होता है वही यह बात उठा देता है। इसके तमाम कारणों की तरफ जाना तो शायद इस विधेयक में न्यायसंगत न होगा, लेकिन एक बात जरूर पूछूंगा कि क्या इसमें कोई भाषा का प्रश्न नहीं है? क्या आप यह नहीं समझते कि यूनिवर्सिटियों में जो विषय पढ़ाये जाते हैं, उस भाषा में पढ़ाये जाते हैं कि जिसको लड़के नहीं जानते? क्या आप ने इस बात को महसूस नहीं किया है कि यूनिवर्सिटी में जो लड़के आते हैं वह ६, ६ महीने और साल साल भर बैठे रहते हैं और फिर कहते हैं कि वह समझ नहीं पाते कि क्या पढ़ाया जा रहा है? मैं एक छोटा अध्यापक होने के नाते अपने लड़कों से ही हमेशा शिकायत सुना करता हूं कि 'मास्टर साहब ६ महीने हो गये लेकिन क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, उसका पैर-पूंछ मुझ को कभी पता नहीं चला।" अब इसको जरा सोचिये। दो साल का कोर्स है। आप उसको बढ़ा कर ३ साल का नहीं कर रहे हैं, आपकी कुछ कमियां हैं और लड़के शिकायत करते हैं कि साल भर तो कुछ समझ में नहीं आता और दूसरे साल शायद कुछ टटोल कर समझने की कोशिश वह करते हों। आप उस भाषा में उनको पढ़ा रहे हैं, मैंने बतलाया कि जिसके वह जानकार नहीं हैं और आप बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको बदलने का प्रयत्न नहीं करते हैं, दूसरी तरफ शिकायत करते हैं कि विश्वविद्यालय का स्तर गिर रहा है। स्तर गिरेगा नहीं तो क्या होगा? जब जिस माध्यम के अन्दर लड़का पढ़ता है वह जानता ही नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, उस भाषा में बात कहने की उसमें ताकत ही नहीं तब स्तर गिरेगा नहीं तो क्या बढ़ेगा? मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि रिमूवल आफ डिफिकल्टी के नाम पर यह सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। अगर मैं कहूं कि अंग्रेजी हटा दीजिये तो वह एक पार्टी की बात हो जायगी। अगर आप इसको नापसंद करते हों तो उस लड़के को अंग्रेज ही बना दीजिये, कुछ करिये तो, कुछ समझ में तो आये! अगर भाषा का परिवर्तन नापसन्द हो, मंथर गति से चलना चाहते हों, हालांकि कानून बदलने में गति तीव्र है और संतुलित व्यवस्था के लिए आवश्यकता भी है कि अगर एक दम कदम तेज पड़ता है तो दूसरा धीमा पड़े, वर्ना गिरने की संभावना रहती है, लेकिन यह परिवर्तन आपको करना ही है। इसकी ओर से आप आंख नहीं मूंद सकते यह मूल कारण है स्तर गिरने का।

किसी एक व्यक्ति ने कभी सलाह दी थी कि अगर अंग्रेजी में पढ़ाई होती हो, लड़के न समझते हों तो वह सुनने से इन्कार कर दें। बड़ा उसका मजाक उड़ाया गया था कि इंडिसिप्लिन क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन मैं यह समझ नहीं पाया कि कैसे यह संभव है कि लड़का वहां साल दो साल यों ही बैठा रहे। अगर सम्भव है तो यही कि वह डफर बन जाय, मूर्ख बनकर

क्लास में बैठा रहे और आजकल यही हो रहा है। तो जहां विश्वविद्यालय के बारे में आप इतने कानून ला रहे हैं, एक बहुत आवश्यक विधेयक ला दीजिये, इसमें थोड़ी-सी तरमीम कर दीजिये और मैं आप के अनुसार तरमीम चाहता हूं, अपनी नीति के अनुसार नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजी को हटा दीजिये---आप शायद कर नहीं सकेंगे। मैं कहता हूं कि लड़का जब कहता है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, मेरे अन्दर ताकत इतनी नहीं है कि पढ़ाई जो हो रही है उस को समझ सकूं, मुझे हिन्दी में पढ़ाया जाय या किसी दूसरी भाषा में पढ़ाया जाय तो कम से कम उस की व्यवस्था कर दीजिये। अगर अंग्रेज के घर से लड़के आते हैं या ऐसे घरों से आते हैं जो अंग्रेज बने रहना चाहते हैं उनके लिए शायद मैं हटाने को कहूं तो न मानेंगे और शायद उनके साथ अन्याय हो और उनकी अभिलाषा के विरुद्ध शायद हम जाते हों, तो उनके लिए रहने दें। इसलिये यह परिवर्तन आवश्यक है। लाखों और हजारों की तादाद में जो विद्यार्थी केवल हिन्दी में पढ़ना चाहते हैं उनके पढ़ने के लिये व्यवस्था कर दीजिये। मैंने इस बात को इसलिए कहा कि १९४७ और ४८ में जब अंग्रेज गये थे तो एक लहर उठी थी, हर विश्वविद्यालय में कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हो गये थे जिन्होंने हिन्दी में पढ़ाना आरम्भ कर दिया था और हिन्दी के क्लासेज लगते थे। मैं सभी विश्वविद्यालयों की बात जानता हूं कि दो तरह की क्लासेज वहां लगने लगीं थीं, एक तो उनके लिए जो हिन्दी में पढ़ते थे और दूसरी अंग्रेजी वालों के लिये। लेकिन १२ वर्ष की सल्तनत के बाद पहिया ऐसा उल्टा कि हिन्दी की क्लासेज बन्द हो गईं। इसका कारण सरकार का रुख, या बहती हुई हवा या जो भी हों, लेकिन वह बहाव बन्द हो गया। उम्मीद तो यह थी कि १२ वर्ष उन विषयों की पढ़ाई हिन्दी में होने लगेगी जिनके लिये कहा जाता था कि वे साइंस हैं या टैक्निकल विषय हैं या उनके लिये शब्द और पढ़ाने वाले नहीं हैं। अब तो फेल होने वालों की संख्या चाहे ७० प्रतिशत हो जाय तब भी गति बदलने वाली नहीं है और मुझे तो शंका यह है कि यदि किसी दिन १०० फीसदी भी हो गई तो भले ही अनइम्प्लायमेंट की समस्या और अनुशासनहीनता की समस्या दूर हो जाय मगर आप की नीति बदलने वाली नहीं है। मैं विनम्र शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि भाषा की नीति में अगर इसी प्रदेश में दृढ़ता नहीं आवेगी तो क्या फिर राजा गोपालाचारी या विधानचन्द्र राय के प्रदेश में आवेगी? मार्ग आप को ही दिखाना है और दृढ़ता से कदम उठाना है। भाषा का प्रश्न भारतवर्ष के लिये बड़ा जटिल होता जाता है। उसके कारणों में न जाते हुए इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि इस जटिलता को बढ़ाने में इस सरकार का भी हाथ है। एन्थनी का यह कहना कि अंग्रेजी को सर्वदा क़ायम रखा जाय अनुचित नहीं मालूम होता जब हम आपकी और हिन्दी प्रान्तों की ओर देखते हैं। आप इस विधेयक में या किसी दूसरे विधेयक में विद्यार्थियों के नाम पर या स्तर के नाम पर ऐसी जरूर व्यवस्था कर दें कि जिस भाषा को विद्यार्थी समझे उसी में उसे शिक्षा दी जाय। यह बिलकुल जायज मांग है। इसमें अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं है। और न हिन्दी का पक्ष है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हालांकि विधेयक के बाहर भी मैं चला गया लेकिन आवश्यक था ताकि आप का ध्यान उधर आकर्षित कर सकूं जिससे आप उसका कुछ समुचित समाधान कर सकें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय और प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं इसका विरोध करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री रामस्वरूप वर्मा की मांग पर हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में--- ११०,

विपक्ष में--- १९।)

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, इस विधेयक के सम्बन्ध में जो वादविवाद हुआ है उसमें इधर कोई नयी बात नहीं कही गयी। अभी कुछ दिनों पहले ही असेम्बली के इसी सेशन में जब आर्डिनेंस को डिसऐप्रूव करने का वादविवाद जारी था, उस अवसर पर जो तर्क उपस्थित किये गये, उनके सम्बन्ध में आपकी आज्ञा से, आदरणीय सदन के सम्मुख जो कुछ मैं निवेदन कर सका, उससे अधिक बात इस विधेयक पर विचार करते हुए, कुछ कही नहीं गयी। पर विधेयक प्रस्तुत हुआ सदन में और आज दो दिन से इस पर विचार विमर्श हो रहा है। तो जो बातें कही गयी थीं यद्यपि उन बातों की पुनरावृत्ति ही हो रही है और उनका उत्तर देने के लिये मेरे पास भी और कोई बात नहीं है, न कोई नयी दलील है, वही बातें दोहरायी गयी हैं, अतः मुझे भी अपने उत्तर का वही पुनरावर्त्तन ही करना होगा।

श्रीमन्, मैं आदरणीय सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो वह इस बात पर विचार करे कि यह जो विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने का साहस मैंने किया है वह क्या कोई नयी बात है जिसे ले आने की चेष्टा कर रहा हूं ? हमारे आदरणीय पंडित देवी प्रसाद मिश्र ने यह कहा कि हम इतनी जल्दी-जल्दी विधेयक क्यों ले आते हैं ? क्यों नियम, अधिनियम, परिनियम और उपनियमों की तालिका जल्दी-जल्दी प्रस्तुत करते हैं ? मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इसमें कुछ नहीं की गयी, न कोई इस विधेयक को ले आने की इच्छा भीतर से सरकार की थी कि हम कोई नया विधेयक ले आवें और उस ऐक्ट में संशोधन करें जिस ऐक्ट को अभी डेढ़ साल पहले हमने स्वीकार किया। वास्तव में सदन के सम्मुख सन् ५७ में एक विधेयक प्रस्तुत हुआ यूनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में। बहुत विचार विमर्श हुआ, इस आदरणीय सदन में कई दिनों तक विचार होता रहा और अन्त में वह विधेयक इस सदन ने स्वीकार किया और वह अधिनियम बना। जब आपने विधेयक स्वीकार कर लिया और वह अधिनियम हो गया तो उस कानून को लागू करने और कार्यान्वित करने का यह काम आपका हो गया और इस सरकार का हो गया जिसके विधेयक को आपने स्वीकार किया था।

हमारे लिये वह सदन का एक आदेश हो गया और उस की स्वीकृत नीति हो गयी, जिस नीति को कार्यान्वित करना आवश्यक था। उस नीति को कार्यान्वित करने की चेष्टा आरम्भ हुई और हमने उसके लिये स्टेट्यूट्स बनाया और उसे बना कर लागू कर दिया और यूनिवर्सिटीज से यह प्रार्थना की गयी कि वे उन स्टेट्यूट्स के मुताबिक अपना संगठन कर लें। सन् ५७ के ऐक्ट में इस बात का निश्चय था, यही इस सदन की मंशा थी कि इस अधिनियम के बन जाने के बाद यूनिवर्सिटीज की बाडीज और अथारिटीज में इस नये स्टेट्यूट्स और ऐक्ट के मुताबिक ही परिवर्तन और संशोधन हो। मान्यवर, मैं आप को स्मरण कराना चाहता हूं कि जिस समय वह विधेयक ५७ का हमारे सामने था, उसमें एक धारा यह दी हुई है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल का कोई सदस्य दो टर्म के बाद फिर तीसरे टर्म में सदस्य नहीं हो सकता। यह जो विधेयक हमने प्रस्तुत किया था उसके अनुसार एक्जीक्यूटिव कौंसिल के जो लोग मेम्बर चले आ रहे थे, अब वे आगे जो चुनाव होता उसमें सदस्यता के अयोग्य हो जाते ; इसी सदन में एक ओर से यह मांग की गयी थी कि जो लोग सदस्य चले आ रहे हैं उन्हें इस प्रकार से प्रतिरोध करना बहुत अच्छा न होगा और इसके लिये कुछ व्यवस्था की जाय कि अगर यह बाडीज खत्म हों तो फिर उनके चुने जाने में बाधा न पड़े। मुझे स्मरण है श्रीमन्, हमारे विरोधी दल की ओर से इस मांग का विरोध किया गया और कहा गया ? नहीं जिनका टर्म खत्म हो रहा है वह टर्म खत्म हो जाय जो और मूल विधेयक में धारा रखी गयी है वही धारा स्वीकार रहे। पर बहुमत में इधर से भी और उधर से भी कुछ लोगों का यह मत था कि इसमें यह संशोधन कर दिया जाय कि अगले टर्म में भी इस टर्म के खत्म होने के बाद दूसरे टर्म के लिये एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के जो मेम्बरान हैं वे खड़े हो सकें और दो कांजीक्यूटिव टर्म के बाद तब वह प्रतिबन्ध लगाया जाय। जो संशोधन पेश किया गया था उसमें लिखा हुआ था "ऐक्सपायर्ड आफ दी

टर्म" उसे इस आदरणीय सदन ने संशोधित किया "आन दी ऐक्सपायरी आफ़ दी टर्म" जिसके माने यह हो गये कि जितना टर्म और बाकी है उतने दिन वह चलेगा। उस विधेयक को हमने ऐक्ट बनाया और उसको लागू करने का काम हमारे ऊपर आया।

श्रीमन्, स्टेट्यूट्स भी बनाने का अधिकार सदन ने दिया था और इस अधिनियम के प्रकाश में स्टेट्यूट्स में परिवर्तन, परिवर्धन किये गये। मैंने उस समय कहा था कि हमारे इस कानून को, जो विधेयक हमने प्रस्तुत किया है यह विधेयक आधारित है हमारे अध्यापकों की मांग पर। हमने यह भी उस समय कहा था कि इस विधेयक को लाये हैं इस विचार से कि हमारे १९५५ के अधिनियम में यदि ऐसी बातें थीं जिससे हमारे अध्यापकों को कुछ रोष था जिसके कारण एक संघर्ष सा चलता रहता था, वो अध्यापकों के ग्रेड कर दिये उनकी मांग के मुताबिक, तो अब उनकी इच्छानुसार हम इस अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन कर दें।

श्रीमन्, तमाम टीचर्स ऐसोसियेशन्स और उनके जो कन्वेंशन्स हुए, ५, ४ वर्षों में जितने प्रस्ताव हुए उन सब को लेकर अध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल ४, ६ बार सरकार से मिला, मेरे सामने भी वह प्रतिनिधि मंडल आया और जिन चीजों की उन्होंने मांग की है, यह सोच करके जैसा अभी पंडित देवी प्रसाद जी ने कहा, आखिर वह अध्यापक तो वही है पहले स्तर ऊंचा होता था आज वह गिरता जा रहा है। मैं कह चुका हूं कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये यह भी आवश्यक है कि हमारे अध्यापकों को आर्थिक चिन्ता न हो और मन लगा कर अपना काम करें। इसीलिये ग्रेड भी दो किये गये क्योंकि उनकी यह मांग थी। तो अब यदि कानून की कुछ अड़चनें हैं जो उनको खटकती रहती हैं उनका भी परिहार किया जाय। उन्होंने जो मांग पेश की थी उसके अनुसार १९५५ के ऐक्ट में संशोधन किया। डिसिप्लीनरी पावर्स के जो सेक्शन्स थे जो वाइस-चांसलर को दिये गये थे जिस पर सबसे अधिक विरोध था अध्यापकों का वह हटाये उसमें से। जैसे किसी विश्वविद्यालय में सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रथा नहीं थी और कुछ में थी उसको समकक्ष ले आये और सानुपातिक प्रतिनिधित्व का तरीका अपनाया गया और इसके प्रकाश में स्टेट्यूट्स में परिवर्तन होना चाहिये था, जिसके लिये सदन ने अधिकार दे दिये थे, इसलिये स्टेट्यूट्स में परिवर्तन किया गया।

अब यह भी मैं बता दूं जिस प्रकार उस अधिनियम को बनाने के लिये हमने इलाहाबाद और लखनऊ के तमाम टीचर्स असोसियेशन और उनके प्रतिनिधियों से बातें कीं और मैं स्वयं प्रयाग गया था उनके डेपूटेशन्स को आमंत्रित किया, बहुत समय दे कर उनकी बातें सुनीं। उनके वाइस चांसलर्स व अधिकारियों से बात करने के बाद और उनकी सम्मति लेने के बाद उस विधेयक को प्रस्तुत किया था। उन्होंने स्वयं इस बात को माना कि सरकार स्वयं स्टेट्यूट्स बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले, वे बना नहीं सकेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने तो कमेटी भी बनाई जो मीट ही नहीं हुई और मीट जब हुई तो काम नहीं कर सकी। उनकी मांग थी कि हम स्टेट्यूट्स नहीं बना सकते, आप हमारे लिये बना दें, क्योंकि पहली बार सरकार स्टेट्यूट्स बनाती है तो उसके बाद स्टेट्यूट्स बनाने का अधिकार यूनीवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव कौंसिल को है और वह आर्डिनेन्स व रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा स्टेट्यूट्स में जो परिवर्तन करती है इसे बराबर प्रेक्टिस में लाती रहती है। सरकार को उन्होंने अधिकार लेने को कहा कि उनके स्टेट्यूट्स बना दे तो हमने बना दिये। इलाहाबाद यूनीवर्सिटी की जो छोटी कमेटी बनी थी उसने उनके स्टेट्यूट्स को देखा और सहमति प्रकट की। लखनऊ यूनीवर्सिटी की जो एक्जिक्यूटिव कौंसिल थी उनके वाइस चांसलर से बातें की और स्टेट्यूट्स को उनकी एक्जिक्यूटिव कौंसिल को भेजा गया। वहां से कुछ सुझाव आये थे। रजिस्ट्रार ने भेजे थे। बाकी को उन्होंने कहा कि और सुझाव भेजेंगे लेकिन वे नहीं भेज पाये। अन्त में कहा कि आप यह कर लें और इस प्रकार वे स्टेट्यूट्स बने और उन स्टेट्यूट्स का अर्थ यह था कि उनके अनुसार हमारी बाडीज बन जांय। उन स्टेट्यूट्स को लागू करने के लिये यूनीवर्सिटीज से कहा गया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इलाहाबाद यूनीवर्सिटी ने ३ महीने की मोहलत मांगी, उन्होंने कहा कि हमारे यहां जुबली के सेलिब्रेशंस होने को हैं, तीन महीने का समय दीजिये, वह उनको दिया गया। फिर ३ महीने बाद ५९ में काम शुरु कर दिया।

लखनऊ यूनीवर्सिटी में भी वाइसचांसलर ने स्टेट्यूट्स के मुताबिक यूनीवर्सिटी की समितियों में कर्मचारियों व पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की तथा चुनाव करने की कार्यवाही आरम्भ की। ज्योंही यह कार्यवाही आरम्भ हुई त्योंही हाई कोर्ट में रिट दाखिल हुआ। एक आदेश निकला कि १५ जनवरी, ५९ तक तमाम बाडीज नयी बन जांय ७ मई से स्टेट्यूट्स लागू हुए और लागू होने पर रिट्स दाखिल हुए। हाई कोर्ट में रिट पर विचार हुआ। हाई कोर्ट ने फैसला किया और उस फैसला में उन्होंने कहा कि ऐक्ट में टर्म डिटरमिन करने की जो बात है वह उसके वर्ड्स से क्लीयर नहीं है। अगर सरकार की यह मंशा है कि टर्म डिटरमिन हो जाय तो शब्द उसके कुछ और स्पष्ट होने चाहिये। हाई कोर्ट के इस आर्डर के बाद रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर निकाल कर हाई कोर्ट की जो मंशा थी उसके अनुसार हमने उन वर्ड्स को स्पष्ट किया। जब वह आर्डर निकला तो फिर रिट दाखिल हो गया। एक नहीं ४ रिट दाखिल हुए और उनमें इस रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर को ही चैलेंज किया गया। नतीजा यह हुआ कि आज इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में तो बाडीज बन रही हैं लेकिन लखनऊ यूनीवर्सिटी में कोई बाडी नहीं है, एक्जिक्यूटिव कौंसिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप और बोलेंगे। आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
२४ अगस्त, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ५६६ पर)

राजस्व (क) विभाग की निम्नलिखित विज्ञप्तियों की प्रतिलिपि

संख्या ३७३६ (२) /१ अ० ४१४/५३

दिनांक लखनऊ, ६ जून, १९५३

यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१) की धारा २२१ के साथ पठित धारा १५ के अन्तर्गत समस्त तहसीलदारों को प्रथम श्रेणी का पदेन असिस्टेन्ट कलेक्टर नियुक्त किया जाता है ।

संख्या ४३४४/१ (अ०) ४१४–५३

दिनांक, लखनऊ, ८ जुलाई, १९५३

यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१) की धारा २२३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उन क्षेत्रों में जिनके सम्बन्ध में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, की धारा ४ के अधीन विज्ञप्तियां निकाली जा चुकी हैं, प्रथम श्रेणी के सब असिस्टेंट कलेक्टरों को यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ की, जैसा कि वह १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ के द्वारा अनुकलित किया गया है, धारा ३३, ३५, ३९ और ४० के अधीन कलेक्टर के अधिकार, प्रदान करते हैं ।

संख्या ९४९ आर० (एस)/१, (क०) १३००–५८

दिनांक लखनऊ, १७ मार्च, १९५९

यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, (यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१,) की धारा २२१ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल विज्ञप्ति संख्या ४३४४/१ (ए०) ४१४–५३ और ४३४४(२), १ (ए०) ४१४–५३ दिनांक ८ जुलाई, १९५३ को निरस्त करते हैं ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७९ पर)

सूची
सेमिनार के खर्च का विवरण

	रु०
१—प्रचार	५,७४८.३२
२—पन्डाल	७,१६६.८१
३—यातायात	१,६२९.९७
४—विभिन्न प्रदर्शन एवं बिल्लों (variety show and badges)	१,४७९.०७
५—पीने का पानी	८८३.१८
६—कार्यालय लेखन-सामग्री और डाक-व्यय तथा तार वगैरह ..	३७८.१७
७—आवास	२९२.०७
८—जल-पान	२,५००.००
९—कवि सम्मेलन तथा मुशायरा	१,४८०.१८
१०—फुटकर खर्च	५३३.७८
योग	२२,०९१.५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८३ पर)

वर्ष	व्यय प्रति मन
	रु० नये पैसे
१९५१–५२	१.१५
१९५२–५३	१.१३
१९५३–५४	१.१५
१९५४–५५	१.०२
१९५५–५६	१.०२
१९५६–५७	०.९९
१९५७–५८	२.०९
१९५८–५९	१.००
	(अनुमानित)

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८४ पर)

तालिका 'क'

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम		टेहरी राज्यकालीन वेतन-क्रम	वर्तमान वेतन-क्रम
			रु०	रु०
१	श्री हरदयाल सिंह पवार ..	..	१५०:४५०	२५०:८५०
२	श्री जबर सिंह विष्ट ..	..	७५:२००	१२०:२५०
३	श्री लीला नन्द नौटियाल	..	७५:२००	७५:१२०
४	श्री रतन सिंह भंडारी ..	..	६०:१२०	७५:१२०
५	श्री काछू राम कामदार ..	..	२५ (स्थिर)	३२:३७
६	श्री भूपाल सिंह कामदार ..	..	२५ (स्थिर)	३२:३७

विधान सभा उत्तराखण्ड

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८४ पर)

तालिका

	जिला			१९५७–५८ में दी गई रकम	१९५८–५९ में दी गई रकम
				रु०	रु०
१	सहारनपुर	..	..	९९,७००	२६,८३१
२	बुलन्दशहर	..	..	५०,०००	२०,०००
३	मेरठ	..	..	७५,०००	२८,०००
४	मुजफ्फरनगर	..	..	७४,७५०	२८,०००
५	देहरादून	..	..	७५,०००	२५,०००
६	रामपुर	..	..	१,९९,९९३	२०,०००
७	बदायूं	..	..	४५,०००	२२,०००
८	बिजनौर	..	..	४५,९९५	२०,०००
९	बरेली	..	..	२१,६६५	१२,०००
१०	मुरादाबाद	..	..	७६,०००	..
११	पीलीभीत	..	..	१,८१,८५०	३०,०००
१२	शाहजहांपुर	..	..	१५,२३८	१५,९००
१३	आगरा	..	..	९९,९९०	१५,०००
१४	अलीगढ़	..	..	६६,७००	२७,०००
१५	एटा	..	..	३०,०००	१२,०००
१६	इटावा	..	..	४०,०००	१२,०००
१७	फर्रुखाबाद	..	..	७०,०००	२०,०००
१८	झांसी	..	..	२५,९२०	६,३००
१९	मैनपुरी	..	..	७५,०००	६,०००
२०	मथुरा	..	..	५०,०००	१५,०००
२१	जालौन	..	..	३०,०००	१२,०००
२२	बांदा	..	..	३५,०००	१२,०००
२३	हमीरपुर	..	..	२५,०००	९,६००
२४	इलाहाबाद	..	..	१४,३२८	२,३००
२५	बलिया	..	..	३०,०००	१०,०००
२६	वाराणसी	..	..	३०,०००	२१,१००
२७	फतेहपुर	..	..	२५,४५०	२०,५००
२८	गाजीपुर	..	..	..	१२,०००
२९	जौनपुर	..	..	४७,०००	३०,०००
३०	मिर्जापुर	..	..	२५,७००	५,०००
३१	प्रतापगढ़	..	..	१३,३४५	२५,०००
३२	फैजाबाद	.	..	४७,५००	२५,०००
३३	आजमगढ़	..	..	३०,०००	१०,०००
३४	बहराइच	..	..	२४,८२०	७,४५९
३५	बस्ती	..	..	९५०	१५,०००

	जिला			१९५७–५८ में दी गई रकम	१९५८–५९ में दी गई रकम
				रु०	रु०
३६	देवरिया	..	..	४३,[illegible]५५	९,५२०
३७	गोंडा	..	..	१४,[illegible]५५	२०,०००
३८	गोरखपुर	..	..	३४,०२०	७,५४०
३९	सुल्तानपुर	..	..	१,[illegible]४३	१०,०००
४०	लखनऊ	..	..	५१,[illegible]५०	१२,६००
४१	बाराबंकी	..	..	४०,०००	१२,५००
४२	हरदोई	..	..	६४,[illegible]५०	..
४३	कानपुर	..	..	७५,०००	२४,०००
४४	खीरी	..	..	४६,[illegible]००	१५,०००
४५	राय बरेली	..	..	३४,[illegible]५०	३४,५००
४६	सीतापुर	..	..	५२,[illegible]८७	२२,०००
४७	उन्नाव	..	..	४०,०००	१५,०००
४८	अल्मोड़ा	..	..	८१,[illegible]५०	२५,०००
४९	टेहड़ी गढ़वाल	..	..	१,१२,०००	२५,०००
५०	नैनीताल	..	..	१,००,०००	२५,०००
५१	पौड़ी गढ़वाल	..	..	१,००,०००	..
	योग	..	..	२६,८८,१६४	८,३५,६५०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १३; एल० ए०—१९५९—८४५।